खण्ड-306, अंक-6
मंगलवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1896
(26 मार्च, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 306 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 26 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—395

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां)
अनवर मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध, श्री
अबुल फज़ शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए 0 सी 0 आइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का 0 मु 0 मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देई, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री

गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरजा प्रसाद पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गरोला, श्री
गोविन्द सिंह, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया-जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर-जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनादन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागश्वर, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दर्लासिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ, श्री
दीपनरायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
दव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
घरम राम, श्री
धर्म चन्द्र, श्री
धर्म पाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह डाक्टर (जिला फरुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिना बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)

निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिल अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारेलाल (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुरहमान, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीष्म, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री

रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राज पती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती, श्री (जिला वाराणसी)
रामरती देवी, श्रीमती (जिला फैजाबाद)
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमन दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह, श्री

वीरन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शत रुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुल रहमान बर्क, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल श्री
सत्यपाल सिंह, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नज्जन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह, श्री
सुलतान सिंह, श्री
सूबेदार, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नबाव
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की :--

(1) श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा,

(2) श्री राम बाबू मिश्र ।

भूतपूर्व सदस्य, आचार्य जुगल किशोर, श्री जवाहर लाल रोहतगी तथा राजा जगन्नाथ बख्श सिंह के निधन पर शोकोद्गार

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि आज सम्मानित आचार्य जुगल किशोर, सम्मानित श्री जवाहर लाल रोहतगी एवं राजा जगन्नाथ बख्श सिंह क निधन की सूचना मुझ सदन को दनी पड़ रही है। आचार्य जुगल किशोर जी हमारे प्रदेश और देश के जाने माने विद्वान व स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। 80 वर्ष की अवस्था में आगरा में 22 मार्च को रात्रि को उनकी यह लीला समाप्त हो गयी। श्री आचार्य जुगल किशोर जी आजन्म इस प्रदेश और देश की सेवा करते रहे। साबरमती आश्रम तथा गुजरात विद्यापीठ में आचार्य जुगल किशोर जी ने पूज्य बापू जी के चरणों में सेवा कार्य किया। वे प्रेम महाविद्यालय, वृन्दाबन के प्रिंसिपल भी रहे। स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में कई बार वे जेल गये। उनका त्याग और उनकी तपस्या हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के इतिहास में अपना विशेष स्थान रखती है। 1937 में वे पहली बार इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और सभा सचिव नियुक्त हुए। 1946 में वह विधान निर्मात्री सभा के सदस्य रह। 1954-60 तक वे प्रदेश के शिक्षा मंत्री, समाज कल्याण मंत्री और श्रम मंत्री रहे। लखनऊ और कानपुर विश्वविद्यायय के वे कुलपति भी रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वे अध्यक्ष रहे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी रहे हैं। एक विद्वान और एक अग्रणी शिक्षाविद् के रूप में भी अपना विशेष स्थान रखते थे। ऐसा महान् व्यक्ति आज हमारे बीच से उठ गया, यह हमारे लिये अत्यन्त ही शोक का विषय है। उनके रिक्त स्थान की पूर्ति बड़ी कठिनाई से हो सकेगी।

ऐसे विद्वान पुरानी पीढ़ी के लोग आज हमारे बीच से उठते चले जा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम की पीढ़ी और आज की नई पीढ़ी के बीच म उनका जो एक जीवन मार्ग-दर्शक पुल के रूप में काम करता रहा है, उससे उनकी कमी हमें भविष्य में और भी खटकगी।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी कानपुर के जन-जीवन में और स्वतत्रता संग्राम के सेनानियों में अग्रणी स्थान पर रहे हैं। उनका घर-निवास स्थान, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिये एक तीर्थ स्थल के रूप में रहा। पूज्य महात्मा गांधी से लेकर जवाहर लाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस आदि तमाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जब कभी कानपुर आते थे, उनके यहां ठहरते थे। कानपुर कांग्रेस के जन्मदाता भी वह कहे जा सकते हैं। उन्होंने जिस प्रकार कांग्रेस संगठन को बल दिया और उनके सारे परिवार ने उनके नेतृत्व में सारे प्रदेश में कांग्रेस संगठन को उस समय बल दिया जब कांग्रेस पार्टी का कार्य करते लोग घबड़ाते थे। स्वर्गीय जवाहर लाल रोहतगी ने बड़े बलपूर्वक और विश्वासपूर्वक अपने कार्य को निभाया। वह सम्पूर्णानन्द मंत्रि-मंडल कार्य में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य उप मंत्री रहे और बाद में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहे। सन् 37 से 62 तक वह इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे।

राजा जगन्नाथ बख्श सिंह जिस समय प्रथम बार यह विधान सभा का जो पहले विधान परिषद् कहलाती थी, विधान सभा के रूप में समायोजन हुआ, उस समय वह यहां पर 7 साल तक उप-नेता विरोधी दल रहे और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा मंत्री के रूप में इस देश की सेवा की। राजा जगन्नाथ बख्श सिंह जो रायबरेली जिला परिषद् के सदस्य भी रहे

और बाद में उसके अध्यक्ष भी रहे। जब संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण हुआ तो आप उसके भी सदस्य रहे। राजा जी हमारी पुरानी पीढ़ी के एक प्रमुख व्यक्ति थे। 89 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हुआ और वह आज हमारे बीच में नहीं हैं।

श्रीमन् आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे और इस सदन की ओर से इन तीनों सम्मानित व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों तक हमारी हार्दिक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

श्रीमन् माननीय उपनेता सदन ने तीन व्यक्तियों के निधन पर जो फरमाया है, मैं उससे सहमत हूं। मुझको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इन तीनों सज्जनों के साथ वर्षों-वर्षों काम करने का उनका जो योगदान रहा है कानून बनवाने आदि में और दूसरे जनसेवी कार्यों में, उनसे मैं थोड़ा सा वाकिफ हूं। अब समय के साथ पुरानी पीढ़ी के लोग और जिनसे मेरा और बहुत से इस सदन के जो सदस्य हैं, उनका थोड़ा बहुत संबंध रहा है अर्थात् स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, उनकी पंक्ति धीर-धीरे छिन्न होती जाती है और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है मानों जो जगह रिक्त होती जाती है, उस स्थान को भरने वालों की कमी आज हमारे देश और समाज मे दिखलाई देती है। हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारे देश और प्रदेश के नवजवान, जन सेवक आगे बढ़ें, क्योंकि जनतंत्र तो तभी विकसित होता है और तभी देश जनतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ता है जब अधिक से अधिक जनसेवा के क्षेत्र में आनरेरी काम करने वाले लोग आगे बढ़ें, तभी वह देश फलता-फूलता है। इन शब्दों के साथ फिर मैं अपने आपको और विरोधी पक्ष को आबद्ध करता हूं जो कुछ तिवारी जी ने इस संबंध में कहा है और मेरी प्रार्थना है आपसे कि हम सब की ओर से जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनको हमारा शोक और संवेदना पहुंचाने की कोशिश करें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने और माननीय नेता विरोधी दल ने जो दिवंगत आत्माओं के प्रति अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं।

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत परिचय तो थोड़े समय तक केवल स्वर्गीय जुगल किशोर जी से था। जहां तक मुझे जानकारी है उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा, देश सेवा में बिताया, अनेक विद्यालयों से संबंधित रहे। जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा, मान्यवर, ये तीनों व्यक्ति पुरानी पीढ़ी के थे और हमारे बीच में नहीं हैं। आचार्य जी, अन्त तक, जब तक उनमें सामर्थ्य रही तब तक वह समाज की सेवा करते रहे। इसी प्रकार रोहतगी जी ने भी सारा जीवन समाज की सेवा में बिताया। इन दोनों व्यक्तियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी सराहनीय भूमिका अदा की। राजा जगन्नाथ बख्श सिंह के बारे में माननीय तिवारी जी ने जो कुछ कहा, मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूं। मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि भगवान इन दिवंगत आत्माओं को शांति दे और आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी संवेदना उनके संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की आप कृपा करें।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपनेता सदन तथा माननीय नेता विरोध दल ने इन दिवंगत आत्माओं के प्रति जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसें मैं अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं और अपनी ओर से और अपने दल की ओर स श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपस निवेदन है कि मेरे दल की संवेदना का संदेश उनके संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर शिवनाथ सिंह 'कुशवाहा' (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने और अन्य माननीय नेताओं ने जो इन महान् दिवंगत आत्माओं के बारे में अपनी संवेदना प्रकट की है, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से इन दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। श्रीमन्, इन महान् आत्माओं ने देश के लिये अकथनीय और अनुकरणीय सेवा की है। उनसे हमें कुछ सबक लेना है। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और उनके प्रति संवेदना वही होगी कि उनके आचरण के अनुरूप अपने आप को ढालें। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः उन महान् आत्माओं के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और श्रीमान जी से निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना उनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण, माननीय वि मंत्री जी और माननीय विरोधी दल के नेता और अन्य दलों के नेताओं ने संवेदना के जो भाव व्यक्त किये हैं मैं अपने को उनसे संबद्ध करता हूं।

आचार्य जुगल किशोर जी के बारे में बहुत से माननीय सदस्य मुझसे अधिक जानते हैं। उनके साहचर्य में, उनके संपर्क में काम करने का बहुत से माननीय सदस्यों को अवसर मिला। वह सहारनपुर जिले के पटेहर गांव में पैदा हुए थे। 1894 में उनकी पदाइश हुई थी। उन्होंने कलकता, ननीताल, वाराणसी में शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर वहां से एम0 ए0 की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। उसके बाद साबरमती आश्रम में गांधी जी के साहचर्य में, स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में अपने आपको उन्होंने आबद्ध किया और जो कार्य उन्होंने किया उसका फल भी देश को मिला।

गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने 'गांधी आश्रम' और दूसरे पदों पर बहुत काम किया था। इसके पश्चात् विधान सभा में भी उन्होंने सदस्य के रूप में, सभा सचिव और मंत्री के रूप में सराहनीय कार्य किया था। यही नहीं उन्होंने 2 विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का भार भी सफलतापूर्वक उठाया था और बहुत बड़ी आयु उनको मिली, सम्मान उनको मिला। आयु और सम्मान से वह हमारे बीच से उठ गये। उनके उठ जाने स सामाजिक और राजनैतिक जीवन में जो रिक्तता आई है, निश्चय ही उसकी पूर्ति निकट भविष्य में कठिन है और हम सब उनके निधन पर शोकाकुल हैं।

दूसरे हमारे साथी श्री जवाहरलाल रोहतगी से भी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को निकट से जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला है। वह हमारे प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री थे और आजादी की लड़ाई में और उसके बाद जो विधान सभा की सदस्यता के कार्य के रूप में भी उनका प्रसंशनीय कार्य था। हम सब उनकी सेवाओं को भी भुला नहीं सकते हैं। उनके निधन से हमारे सामाजिक और राजनतिक जिन्दगी में एक बड़ी रिक्तता आई है।

राजा जगन्नाथ बख्श सिंह को व्यक्तिगत रूप से मुझे जानने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन जब म पढ़ता था, तब मुझे मालूम हुआ कि वह संसदीय परम्परा के बहुत अच्छे जानकार थे और मंत्री पद पर भी उन्होंने काम किया था। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय सर सी0 वाई0 चिन्तामणि और सर जे0 पी0 श्रीवास्तव के जमाने में उनका नाम सुनने को मिलता था। उन्होंने विधान सभा में भी बड़ी निर्भीकता के साथ अपने पक्ष को रखने का यत्न किया। यह एक बड़े अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे। उनके निधन से भी हमारे सामाजिक और राजनैतिक जीवन में रिक्तता आई है। मैं आपकी और पूरे सदन की संवेदना के जो भाव हैं उनको शोक संतप्त परिवार को पहुंचा दूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शाश्वत शांति मिले तथा उनके परिवार को धैर्य प्रदान करे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

प्रतिनिहित विधायन समिति का चौतीसवां प्रतिवेदन†

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति के चौतीसवें प्रतिवेदन को, जो पंचम विधान सभा के विघटन से पूर्व माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था, सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश की जमानत पर रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना आज मेरे पास कोई नहीं है । लेकिन माननीय शतरुद्र प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की रिहाई की सूचना मिली है तो मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं ।

"मुझे आपको सूचित करना है कि शतरुद्र प्रकाश, सदस्य, विधान सभा (वाराणसी) जिन्हें भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 तथा उत्तर प्रदेश स्पेशल पावर्स अधिनियम की धारा 6 के अधीन बन्दी बना कर जिला कारागार, लखनऊ में रखा गया था, को आज दिनांक 23 मार्च, 1974 को जमानत पर कारागार से मुक्त कर दिया गया है ।"

राज्य सभा के निर्वाचन में स्वतंत्रता पूर्वक मतदान करने में बाधा डालने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अभी-अभी विशेषाधिकार की अवहेलना के तीन पत्र आये हैं । मैंने अभी इनको पढ़ा नहीं है । एक तो श्री गिरिजा शंकर पाठक का है जो 10.45 पर मिला । दूसरा बेनी प्रसाद वर्मा का है जो 10.25 पर मिला । तीसरा श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग का है जो 10.20 पर मिला । इनको मैं पहले देख लूं । अगर आपको कुछ कहना है तो कहें ।

***श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—**

अध्यक्ष महोदय, बेनीप्रसाद वर्मा ने और श्री पाठक ने जो इस माननीय सदन के सदस्य है, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है । इन्हीं माननीय सदस्यों के जरिये मुझे भी थोड़ी सी जानकारी मिली है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इसके पहले शतरुद्र प्रकाश का मामला उठा था वह भी ऐसा ही था ।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने अभी बताया कि आपने अभी पढ़ा नहीं है और आपको यह देरी से मिले हैं। यदि आप चर्चा आरम्भ कर देते हैं तो बड़ी कठिनाई होगी ।

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।**

†छापा नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष—

अगर संक्षेप में यह बतला देंगे तो फिर सुनने की जरूरत नहीं होगी। इसी पर मैं फैसला कर दूंगा।

श्री रामसेवक यादव—

श्री बेनी प्रसाद इस माननीय सदन के सदस्य हैं। हम सभी जानते हैं कि इस सदन के सदस्यों के जरिय राज्य सभा के उम्मीदवार चुने जाते हैं। इस बार राज्य सभा के उम्मीदवार देश के बहुत बड़े पूंजीपति के0के0 बिड़ला खड़े हुये हैं। यहां कई बार यह बात उठ चुकी है और बाहर भी बहुत प्रचार है कि वह पैसे के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वोट खरीदना चाहते हैं। इस माननीय सदन के सदस्य वोट देने के लिये स्वतंत्र हैं चाहे जिसको वोट दें। यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि और जगह भी स्वतंत्र हैं। लेकिन यहां प्रश्न है माननीय सदस्यों का। वह स्वतंत्र हैं और उन्हें अधिकार है कि जिसे मुनासिब समझें अपना वोट दें। लेकिन जब इनके मतों को पैसे के सहारे खरीदा जाता है तो स्वतंत्र मतदान और स्वतंत्रता से काम करने में बाधा पड़ती है।

साथ ही आप जानते हैं कि हम माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रदेश से भ्रष्टाचार जाये और उस पर अंकुश लगे। लेकिन जब एक बाहरी उम्मीदवार इस सदन के माननीय सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा और हमारे काम में इस तरह से बाधा डालेगा तो जो यहां चर्चा सुनते हैं उनके ऊपर, अखबारों में जो छपता है उसके ऊपर और पूरी जनता पर इस सदन के प्रति क्या धारणा बनेगी उसे आप अच्छी तरह से समझते हैं। जो पत्र श्री बेनी प्रसाद जी ने दिया है उसे मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। दिनांक 25 मार्च, 1974 को मैं अपने मित्र श्री प्रभाकर दत्त शुक्ला, एडवोकेट, बाराबंकी के आवास पर ठहरा हुआ था कि रात लगभग 10 बजे उसी शहर के श्री प्रमोदकुमार उर्फ विन्नू पुत्र स्वर्गीय रामसिंह मेरे पास आये और प्रस्ताव किया कि मैं बिड़ला, विधान सभा से राज्य सभा के होने वाले इस चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, से भेंट करके 20 हजार रुपया अग्रिम धनराशि लेकर उनको वोट करूं और वोट के बाद 30 हजार रुपया उनसे बाद में मिल जायगा। मैंने इस जाल में फंसने से इनकार कर दिया तो उन्होंने धमकी दी कि वह मेरे हाथ पैर तुड़वा देंगे और विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लायक नहीं रहने दिया जायगा। अतः यह सूचनार्थ मैं आज सदन में विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं (व्यवधान)। मेरा निवेदन पूरा सुन लिया जाय। इसी तरह से श्री गिरिजा शंकर पाठक ने भी लिखकर दिया है। इस तरह से एक विषाक्त वातावरण पैदा हो गया है। इससे राजनीति में काम करने वालों के चरित्र पर लांछन लगता है। पूरे सदन के चरित्र पर लांछन लगता है। माननीय सदस्य इस तरह से काम स्वतंत्रापूर्वक नहीं कर सकते हैं और इससे इस सदन का अवमान होता है। सदस्यों को ईमान बेचने की छूट न दी जाय। यह हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना में आता है।

सरकार की ओर से श्री बिड़ला को विशेष संरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस की व्यवस्था की गई है। श्री बिड़ला ने विरोधी दल के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की है और जानबूझकर विरोधी दल को हराने की ही कोशिश हो रही है। सरकार की ओर से उनको संरक्षण नहीं मिलना चाहियें और उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिये। ऐसा नहीं किया गया है और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। मैं चाहता हूं कि आप विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की आज्ञा दें और आज ही इस पर बहस हो क्योंकि 28 तारिख को चुनाव होने जा रहा है। इसके पहले ही कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। मेरा निवेदन है कि आप इस सदन के अधिकारों के रक्षक हैं। माननीय सदस्यों के सम्मान और मर्यादा के रक्षक हैं और इस तरह से गतिविधियां चलेंगी तो इस सदन के माननीय सदस्य एक वस्तु के रूप में हो जावेंगे जिन्हें खरीदा जा सकता है। मैं आपसे करबद्ध प्रर्थना करता हूं कि इस प्रश्न को तत्काल यहां पर लिया जाय जिससे कोई रास्ता निकल सके।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं माननीय यादव जी के विचारों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सदस्यों को खरीदने के अनेक प्रयास चारों ओर से किये जा रहे हैं । कैपिटलिस्ट्स भी सदस्यों का वोट खरीदने के लिये मैदान में हैं और सारे सदन की मर्यादा इसमें निहित है । मैं ऐसा समझता था कि नेता सदन की ओर से इस प्रश्न को उठाया जायगा । हम लोग आपस में लड़ सकते हैं लेकिन वोट देने की स्वतंत्रा होनी चाहिये । इसकी जिम्मेदारी सरकारी पक्ष पर है । इस सम्बन्ध में उधर से कोई बात नहीं आई है । मैं इसका कारण नहीं जानता हूं लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर ऐसा होगा तो सदस्य कैसे बच सकेंगे ? यहां के सदस्यों को प्रदेश की लाखों जनता ने चुनकर भेजा है । अगर उनको कैपिटलिस्टों द्वारा खरीदा गया तो इस सदन की मर्यादा की रक्षा कौन करेगा ? यह सबसे बड़ा प्रश्न हमारे बीच में है । सदस्यों को वोट स्वतन्त्रता पूर्वक देने की छूट की व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री बेनी प्रसाद (जिला बाराबंकी)—

अभी-अभी हमारे यहां कमरे में पांच-छः लोग आये और कहा कि पैसा लो और वोट दो हमने इन्कार किया और कहा कि इसका नतीजा बहुत बुरा होगा ।

श्री अध्यक्ष—

सुनने में कोई बात नहीं है । लेकिन हमें देखना है कि इसका इस सदन की कार्यवाही से कैसा सम्बन्ध है । यह विषय ऐसा है जो चुनाव से सम्बन्ध रखता है । मान लीजिये इस विषय पर हम चर्चा करें और कोई व्यक्ति इस चीज को याचिका में रखे, तो ऐसी चीजों को यहां दोहराने से सदन की मर्यादा नहीं बढ़ेगी । अदालत जो भी फैसला ले, लेकिन हमें यहां ऐसा नहीं करना चाहिये कि जितने लोग राज्य सभा के सदस्य चुने जायं, उन सभी के चुनाव को खतरे में डाला जाय ।

दूसरी चीज यह है कि इसका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध है कि नहीं । हमें इस बात को देखना चाहिये । हम देखते है कि दुनिया में लालच बहुत बढ़ी है । हम विधान सभा के सदस्यों को उससे अलग नहीं रख सकते । यहां, विधान सभा में, आपका संरक्षण है । लेकिन आपके आवास में, जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा है, यदि उसको वहां जाने का अधिकार है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं ।

फिर सभी दलों के सदस्यों ने अपने-अपने उम्मीदवार खड़े किये हैं । अपने को मजबूती से थामे रखा जाय, यह बात तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर कहें कि दूसरे पर प्रतिबन्ध लगाया जाय, तो प्रश्न उठता है कि यह हम कैसे कर सकते हैं । अगर मान लीजिये कि सबको अपनी संख्या के अनुसार अपने उम्मीदवार राज्य सभा को भेजने का हक है और उसमें माननीय सदस्य के विवेक की गुन्जाइश नहीं है, तो आप को संख्या बता दी जाती, कि इस संख्या में भेज दो । लेकिन यह कठिनाई है । फिर यहां की जो कार्यवाही है, उसको हम बाहर नहीं वहां दे पायेंगे । यह मामला चुनाव से सम्बन्धित है । चुनाव की याचिका के जरिये तय होता है । अगर हम ऐसा करते हैं, तो जो सदन के सदस्य हैं, उनको चुनौती मिल जायगी बाहर से इसलिये यह मामला सदन से संबद्ध नहीं है । आपको पूरा अधिकार है कि आप अपनी पार्टियों पर अनुशासन रखें । लेकिन जो व्यक्ति चुनाव के योग्य हैं, तो उस पर कैसे प्रतिबन्ध लगा सकते हैं । ऐसा कोई कानून है नहीं कि इस हैसियत का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा । तो ऐसा व्यक्ति हर माननीय सदस्य से, उसकी व्यक्तिगत निर्णय बुद्धि और विवेक की अपील करते हुये वोट मांगता है, यह स्थिति है ।

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[* * * * *]

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

[* * * * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायगा (व्यवधान) आप क्यों अधीर होते हैं (व्यवधान) जो पुराने सदस्य हैं उनको जानना चाहिये कि यह आरोप तथा प्रत्यारोप ठीक नहीं है। (व्यवधान) । हमको कुछ मान्यतायें मानकर चलना होता है। जैसे विरोधी पक्ष के नेता अथवा नेता सदन जब खड़े होते हैं तो उनको समय दिया जाता है । उस समय सदन का सम्मान व गरिमा इसी में है और उसमें भी चार चांद लग जायेंगे जब आप अनुशासन के साथ अपने नेता को सुनने की कृपा करें।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

इसके पेश्तर, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अर्ज करूं एक छोटी सी चीज अर्ज कर देना चाहता हूं। मैं खड़ा तो हुआ लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया । माननीय सदस्यों ने आवाज दी तो आपने नोटिस ले लिया। जो जबरदस्ती करके आपकी नोटिस ले लेना चाहता है। उसकी तरफ आप अपनी आंख व तवज्जह न दें वरना एक कम्पटीशन होने लगेगा कि कौन जोर से बोल सकता है और मैं समझता हूं तभी सुचारु रूप से कार्यवाही चल सकेगी। मैं माफी चाहता हूं यह बात अर्ज करन के लिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका सुझाव है ।

चौधरी चरण सिंह—

यह सुझाव नहीं है बल्कि दरख्वास्त है आपसे । मैं समझता हूं कि आपने कोई रूलिंग अभी नहीं दी है, अपनी राय जाहिर की है...

श्री अध्यक्ष—

मैंने प्रश्न रख दिया है ।

चौधरी चरण सिंह—

आपकी राय बनाने में आसानी हो जाय इसलिये मैं अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं । मनुष्य स्प्रिट तथा बाडी दो चीजों में बना हुआ है । अगर कोई व्यक्ति किसी मेम्बर को यहां आने से रोकता है जबरदस्ती तो ब्रीच आफ प्रिविलेज है क्योंकि शारीरिक रूप से उसको रोका जाता है लेकिन अगर कोई उस आदमी को इतना बड़ा लालच देता है कि उसका दिमाग, उसकी स्प्रिट विचलित हो जाती है तो वही दलील उस पर लागू होनी चाहिये । लेकिन आपने फरमाया कि मेम्बरान को हक है कि जिस तरह से चाहें राय दें, यह उनकी स्वतंत्रता है लेकिन उस स्वतंत्रता के रास्ते में क्या यह मामूली बाधा नहीं है अगर किसी आदमी को एक, दो लाख रुपया दिया जाता है ? यह विचारणीय बात है । परस्वेट आप कर सकते हैं, आर्ग्युमेंट आप दे सकते है कि फलां पार्टी के मेम्बर सही हैं और अपनी पार्टी को छोड़कर फलां को वोट दो

नोट—[*****] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह बहस तो हो सकती है लेकिन अगर कोई एक या दो लाख में किसी को खरीद लेता है और उसके एवज में वह वोट दिया जाय वर्ना तुमको फिजिकली नुकसान पहुंचाया जायगा तो फिर आपके लिये यह सोचने की बात होगी कि यह डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि मिटोक्रेसी है । यह जनतंत्र नहीं रह जायगा बल्कि पैसातंत्र हो जायगा । बहुत सी बातों में हम इग्लैन्ड के संविधान अथवा मेज पार्लियामेंट से गाइड होते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हाउस आफ कामन्स के स्पीकर ने जो राय दी हो वह अन्तिम वाक्य है । वहां भी रोज मामले उठते हैं, पार्लियामेंट में उठते हैं और वहां पर रूलिंग्स दी जाती है और ऐसा भी मेरा ख्याल है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट या अमेरिका में धीरे-धीरे सोसायटी की प्रोग्रेस को और सोसायटी के गुट को दृष्टि में लाकर अपनी लीगल रूलिंग्स में भी धीरे-धीरे चेंज लाये जिससे सारे समाज में चेंज के बजाय कांस्टीट्यूशन में चेंज हो । यह एक प्रदेश का प्रश्न है । समय के साथ और देश की परिस्थितियों के साथ आपको भी चलना है । देश की सबसे बड़ी विधान सभा के आप अध्यक्ष हैं । आपकी पुरानी लीक हो चुकी है । उसी पर नहीं चलना है । आज देश की परिस्थितियां ऐसी हो गयी हैं, ऐसे मामले आपके सामने आते हैं जो कि हमारे प्रदेश के लिये घातक सिद्ध हो सकती हैं जैसे मेम्बरों के वोट खरीदना ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस पर विचार करें । हमारे देश में पोलिटिकल करेप्शन इतना हो गया है जिसकी कोई सीमा नहीं रह गयी है । माननीय नेता सदन मेरी बात से सहमत होंगे कि बिड़ला से उनको भी कोई हमदर्दी नहीं होगी । हम यह फर्ज करके चलते हैं कि सदन में डीसेन्सी कहीं है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी के एक मित्र उठे थे । नेता जनसंघ कह ही चुके हैं। राम सेवक यादव जी अपना दृष्टिकोण रख ही चुके हैं। तो यह सदन एक राय का है कि मेम्बर्स को फ्रीडम आफ वोट हो, उसकी आप रक्षा करें एक गुजारिश तो मेरी आपसे यह है । कल इस पर आप अपनी रूलिंग दे दीजियेगा। अगर किसी वजह से आप सहमत न हों तो कम से कम इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आज शाम को 2 घंटे की चर्चा करने का आप समय अवश्य दे दीजियेगा । यह कोई मामूली चीज नहीं है । इसके दूरगामी असर पड़ते हैं । आज सार्वजनिक जीवन भ्रष्ट हो गया है। आज आपको मौका मिला है आप लाइट हाउस की तरह हमें गाइडेन्स दें । आप सदन के माननीय सदस्यों की रक्षा करें किन्तु आज जो मनुष्य की कमजोरी है, वह परिस्थितियों के अनुसार कमजोर पड़ गई है उस स्थिति में हम सबका फर्ज है कि प्रजातंत्र में सदन की जो पावर है उस पर किसी तरह का लांछन न आने पाये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी राय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ऊदल—

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि इस सम्बन्ध में अगर कोई सुझाव हो तो दीजिये । अभी माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे । मैंने चाहा कि मैं आपको सुझाव दूं । मेरा निवेदन यह है कि जब तक हमारा संविधान ऐसे लोगों को खड़ा होने की इजाजत देता है तब तक ऐसे इजारेदार या पूंजीपति या जो सार्वजनिक जीवन भ्रष्ट करना चाहते हैं पैसे के बल पर वे खड़े हो सकते हैं। तो हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प क्या है ? जिस तरह से कुछ धारायें चुनाव में ऐसी हैं जैसे अनियमित काम करने वाले या भ्रष्टाचारी लोग चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, वे अयोग्य हो जाते हैं उसी तरह से इस सम्बन्ध में भी हमको विचार करने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जब तक यह सदन भारत सरकार को या पार्लियामेंट को इस तरह का प्रस्ताव पास करके नहीं भेजती कि जो हमारा संविधान है उसमें इस तरह का संशोधन किया जाय कि जो देश के इजारेदारों या पूंजीपति तथा ऐसे लोगों को जो सार्वजनिक जीवन को पैसे के बल पर भ्रष्ट करना चाहते हैं उनको खड़े होने का अधिकार है । तब तक हम ऐसे भ्रष्ट तरीकों को नहीं रोक सकते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री

[श्री ऊधल]

जो इस तरह का प्रस्ताव सदन में ले आवें और उसे पास करके पार्लियामेंट से अपील करें कि जो भ्रष्ट तरीके अपनाये जा रहे हैं उनको रोका जाय । यही मेरा सुझाव माननीय मुख्य मंत्री जी को है ।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर मैं साधारणतया आज इस परिस्थिति में नहीं था कि कुछ बोलता। एक मौलिक प्रश्न और बुनियादी बात माननीय नेता बिरोधी दल और दूसरे लोगों ने उठाई है और वह यह है कि क्या पूंजीपति या धनवान लोग इस सदन की मर्यादा को अपने पैसे के जोर पर खराब कर सकते हैं ? स्पष्टतः सारा सदन इसका एक ही उत्तर देगा कि जब तक इस सदन की मर्यादायें और मान्यतायें हैं और एक भी व्यक्ति यहां मौजूद है वैसा नहीं होने देगा और इसका विरोध करेगा ।

मान्यवर, मैं सरकार की तरफ से सिर्फ एक बात करना चाहता हूं और वह यह है कि ऐसे लोग जो पिछले कुछ सालों में पैसे के जोर पर पार्लियामेंन्ट में गये हैं, उनके इतिहास से माननीय नेता बिरोधी दल मुझसे कम वाकिफ नहीं है । मेरा तो बीच में इस सदन से बदकिस्मती से 4 साल तक संबन्ध टूटा भी रहा, लेकिन माननीय नेता विरोधी दल सौभाग्य से बराबर इस बात को देखते रहे हैं और इस बात को नजर में रखते रहे हैं कि कब कब किस-किस पैसे वाले ने किस-किस तरफ से राज्य सभा में जाने का सौभाग्य प्राप्त किया और इस सदन का कब-कब ऐसा दुर्भाग्य हुआ, इसकी जानकारी उनके द्वारा सदन को बेहतर हो सकती है। मैं अपनी तरफ से एक बात साफ कहना चाहता हूं । अपने दल की तरफ से तथा इस सारे सदन की जो भावना है उसको देखते हुये सदन की तरफ से भी कह सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति पैसे के जोर से इस मर्तबा पार्लियामेंट में जाना चाहता है उस 28 तारीख को पर्चियां खुलने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि उसे जबरदस्त धोखा होगा और ऐसा व्यक्ति कभी भी यहां से जीत कर जाने वाला नहीं है।

यह बात सही है कि जैसा माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि हम लोगों में हांड़ मांस लगा हुआ है और हांड़ मांस हमें ठंड की तकलीफ देती है उससे कुछ कमजोरी कभी कभी आ ही जाती है। परेन्तु हम लोग जो यहां आये हैं, लाखों लोगों के प्रतिनिधि बन कर आये हैं। जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश के 9 करोड़ लोगों की आशायें बंधी हुई हैं, तो उनका हांड़ मांस कोई मामूली हांड़ मांस नहीं है। इनको कुछ ज्यादा सख्त होना होगा दधीचि की हड्डी की तरह बनना होगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जैसे माननीय चौधरी सिंह जिनका विरोधी दल के नेता होने की हैसियत से विरोधी दल से सभी दलों से संबन्ध है, इतना तो हर एक मानेगा कि इस दिशा में अपने लोगों को ठीक रखने में वे नाकामयाब नहीं होंगे और उसी तरह से दूसरे दल के लोग भी इस दिशा में अपने दल को ठीक रखने में कामयाब होंगे। सिर्फ एक ही भाई तो है, जिन्होंने अपने दल की तरफ से उनका नाम पेश किया है। अगर उनके यहां भी हम सब मिल कर चलें और यहां तक कि अगर माननीय चरण सिंह जी चाहें तो हम एक डेपुटेशन बनाकर उनके पास चलें और उनसे प्रार्थना करें कि आपने नाम पेश कर दिया पर अब क्षमा कीजिये। तो ऐसा करने के लिये मैं अपनी तरफ से इसके लिये भी बिल्कुल तैयार हूं। अगर ऐसा हो सके तो हम सब उनसे यह बात कहने के लिये तैयारी करें ।

एक बात मैं और कहूंगा कि इस अवसर पर हम लोग इसको दलीय प्रश्न बनाने की चेष्टा न करें। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने अपना एक स्तर रखा और फिर कुछ दूसरे लोगों ने उस स्तर को गिराकर अपनी बात सामने रखी जिससे मालूम होता है कि सरकार ही सुरक्षा उनको दे रही है। जहां तक सुरक्षा देने की बात है, सच पूछिये तो गोडसे को भी सुरक्षा देनी पड़ी थी। जैसे ही उसने महात्मा गांधी पर गोली चलाई, अगर उस दिन उसे सुरक्षा न दी गई होती तो लोग उसे उसी समय चीर कर टुकड़ें-टुकड़ें कर देते। हमारे देश की जो रीति है, उसमें

जितनी सुरक्षा आवश्यक है हर एक को देनी पड़ती है। अन्यायी और अत्याचारी को भी न्याय और विधि के मुताबिक ही सजा दी जा सकती है। रुपये देकर अगर कोई वोट लेना चाहता है तो उसके लिये रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में प्राविधान है और उस प्राविधान के होते हुये अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसके लिये हम सब मिलकर सोचें कि किस तरह से इस मुसीबत से और असंगतियों से इस प्रजातंत्र में हम अपने को दूर करें।

हमारे माननीय सदस्य ऊदल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, संविधान में नागरिकता की जो परिभाषा है, उसमें तरमीम की जाय। एक तरह की नागरिकता वह हो जो खड़े हो सकते हों और दूसरी तरह की नागरिकता वह जो खड़े न हो सकते हों। मैं जानता नहीं हूं कि आया हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। लेकिन यदि इस विषय पर आप नोट बनाकर दें तो हम उस पर विचार करने के लिये तैयार हैं अगर ऐसी खूनी पंजे वाले लोगों को विधान सभा में आने से रोका जा सके तो इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन हम अपने अपने दल में और इस बात की सदन में प्रतिज्ञा करें मैं नाम लेकर नहीं कहना चाहता हूं कि मैं किसी पर छींटाकशी नहीं करना चाहता हूं, केवल इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सम्मानित सदन के नेता होने के नाते कि सदन के हर दल के लोग प्रतिज्ञा करें कि हम अपने वोट को बचायेंगे और सदन के सम्मान को बढ़ायेंगे। जैसा कि एक बार हमने साबित भी कर दिया है कुछ साल पहले शायद 1968 में एक पैसे वाले को हराया गया था। सबने सोचा था कि इसको हराना है ताकि हम पैसे वाले के चंगुल से दूर रह सकें।

मैं सरकार की तरफ से जैसा कि नारायणदत्त जी तिवारी ने कहा था मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि श्री के0 के0 बिड़ला का न तो हमारे दल से कोई ताल्लुक ही है और न हम उनको किसी प्रकार की सहायता पहुंचाना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह सम्मानित सदन अपने सम्मान को सुरक्षित रखने में स्वयं सक्षम है।

*श्री रामसेवक यादव---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं और जहां तक शुभेच्छा का प्रश्न है तो वह बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने एक बात कही कि इस सदन से पैसे वाले चुने जाते रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति उम्मीदवार बने तो पैसे के सहारे ही लड़ता है और इसके सिवाय और कोई उसके पास शक्ति नहीं होती है। दूसरा प्रश्न यह है कि उन्होंने कहा कि एक बार पैसे वाला हार गया था, हार जरूर गया था तो भी उसने सदस्यों के वोट हासिल किये थे। इससे स्पष्ट है कि भ्रष्ट तरीके में हम लोग फंस चुके हैं और इससे आंखें नहीं मूंद सकते हैं। हम इससे बचे नहीं हैं। उनको ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिये।

एक बार माननीय मुहम्मद शाहिद फाखरी साहब जिनके पीछे सत्ता की सारी शक्ति थी वह हार चुके हैं इसी तरह से हथकंडों के द्वारा। मैं उनकी भावना की कदर करता हूं लेकिन शुभेच्छा से हम बचे रहें, मर्यादा की रक्षा करेंगे और दधीचि की हड्डी बनेंगे तो यह कहने की बात होती है लेकिन वस्तुस्थिति को माननीय मुख्य मन्त्री जी भलीभांति जानते हैं, उसका मुकाबला कैसे किया जायेगा कि आंख मूंदने से हम बदनाम न हों। यह तो इसी तरह से हुआ कि अपने घर की हिफाजत करें, चोर चोरी नहीं करेगा, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपने अभी अपना निर्णय नहीं दिया है। मैं भी चाहूंगा कि इस पर विचार करने के लिये अलग से समय दिया जाय। हमारे वोट यदि बिकते हैं तो इससे हमारा और सदन का अवमान होता है और यह सीधे-सीधे विशेषाधिकार का सवाल है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुहम्मद शफीउर्रहमान अन्सारी (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी हमारे साथी बता रहे थे कि नेता सदन ने अच्छा ख्याल जाहिर किया है। मैं कई दिनों से इस हाउस में श्री के0 के0 बिड़ला का तज्किरा सुन रहा हूं। मुझे ख्याल आता है कि जो लोग ईमान की दुहाई देते हैं, सदन की मर्यादा की बात करते हैं वह शायद भूल रहे हैं कि उनसे पहले वह सदन की मर्यादा को धक्का लगा रहे हैं। आप यहां बात कर रहे हैं, जनता बाहर हंस रही है उन्होंने बार-बार कहा है कि बिड़ला वोट हासिल करेंगे, उनके ऊपर पाबन्दी आयद हो, रोक लगाई जाय। यह बात कई दिनों से हो रही है। मुझे याद आता है एक पुरानी कहावत है "चोर की दाढ़ी में तिनका" यह सच साबित हो रही है।

मानता हूं कि बिड़ला नोट के बल पर डाका डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

भाई साहब मुझे कहने दीजिये। डाकू जब डाका डालने जाता है। अपने ईमान के दरवाजों को बन्द कर लीजिये, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि डाका डाल ले। मुझे आप से कहना है कि हम लोगों को अपनी-अपनी पार्टी के आधार पर यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि नोटों के आधार पर मत नहीं देंगे। बार-बार ईमान की दुहाई दे रहे हैं। क्या यह सम्भव नहीं है कि एक-एक सदस्य से आश्वासन ले लें कि किसी प्रकार से वोट पूंजीपति के हाथ नहीं बिकेंगे। आपको अपने वोट पर विश्वास होना चाहिए। आप अपने ईमान को मजबूत बनाइए।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

हम लोग उत्तर प्रदेश विधान सभा में बैठे हुए हैं। हम सब लोग जिम्मेदार आदमी हैं। हम लोगों को करोड़ों आदमियों ने चुनकर भेजा है। मैं इस बात का सख्त विरोध करती हूं कि जो यह प्रश्न... (व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

एक जो संविधान की स्थिति के रूप में ध्यान दिलाया गया और एक विशेषाधिकार के बारे में ध्यान दिलाया गया। अब इस पर दोनों दलों के समान विचार हैं। सदन में कोई असहमति नहीं है। तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। क्यों अधीर हो रहे हैं।

(श्री त्रिवेणी सहाय के खड़े होने पर)

जो सहमति है उसके खिलाफ अगर बोलना है तो बोलें।

सबकी यह सहमति है सबकी यह इच्छा है तो इस पर कोई रास्ता सोच लिया जायगा।

एक सदस्य—

एक बात मुझे कहना है कि कुछ लोग दारुलशफा में रह रहे हैं और वे विधान सभा के चुनाव हार गये हैं, उनको कम से कम माननीय अध्यक्ष महोदय निकाल बाहर तो करा दिया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

दलीय स्थिति के ऊपर एक राय के सभी लोग मालूम होते हैं। इसके विपक्ष में यदि किसी को कहना होता तो हम किसी को बोलने की इजाजत देते।

कई सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

(शोर)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं केवल एक मिनट का समय चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट आप चाहते हैं तो सभी माननीय सदस्य एक-एक मिनट चाहेंगे तो इस तरह से सदन का समय पूरा समाप्त हो जायगा।

श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दूसरी बात कह दी। मान्यवर उन्होंने अपने भाषण में एक उपदेश दे दिया।

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं तो ठीक आपके नेता ने जो विचार व्यक्त किया है, वैसे अगर आप असहमत हैं और इस प्रकार से आप अपने नेता की बातों से असहमत होकर अनुशासन हीनता करते हैं, तो मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। आप अपने नेता का कहना नहीं मानते हैं। क्या भरोसा है आपका कि आप अपने नेता का कहना मानकर दूसरों को वोट दे दगे? जो मा० माधव प्रसाद त्रिपाठी आपके नेता हैं, उनकी बात आप नहीं मान रहे हैं...(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मैं उनकी भी आज्ञा मानता हूं और आपकी भी आज्ञा मानता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कहता हूं कि इस विधान सभा में अनुशासन की बात जो है उसे आपको मानना चाहिए। (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने बता दिया है। (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, क्या इतने बड़े सवाल को लेकर क्या कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है?

श्री अध्यक्ष—

आप.....(शोर) (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय—

(व्यवधान) (शोर)

श्री मोहन लाल कपूर— (जिला मेरठ)—

(व्यवधान) (शोर)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप किसी की बात नहीं मानते हैं तो कोई भी माननीय सदस्य अपने नेता की बात नहीं मानेगा। अगर आप किसी की बात नहीं मानना चाहते हैं तो फिर एक सदन अनुशासन को तो आपको मानकर चलना ही पड़ेगा। सवाल यह है कि हम तो यही कह रहे हैं न कि अनुशासनप्रिय आप बनिये। अनुशासनप्रिय अगर आप बन जायंगे तो उसका स्वयं निराकरण हो जायगा।

एक और दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय गर्ग ने उठाया है। आज इस पर विचार का समय नहीं है क्योंकि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिए इसे इस समय नहीं ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। (माननीय राजस्व मन्त्री के पुकारे जाने पर)

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी कुछ विद्यार्थी इसी विधान सभा के सामने अनशन करने जा रहे थे और माननीय सच्चिदानन्द से मिलने जा रहे थे, वे इसी बिड़ला कांड से सम्बन्धित थे उनको बिना किसी चार्ज के गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने स्वयं पुलिस वालों से पूछा कि इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है तो हमें कोई दफा नहीं बतायी गयी है।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दें ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि कोई दफा नहीं बतायी गयी श्री इनाम अली, सी०ओ० जो एक बहुत बड़े कान्ड से सम्बन्धित हैं, ने इस प्रकार की कार्यवाही की है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल कपूर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में बिड़ला प्रकरण पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि विधान भवन के बाहर कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं ताकि बिड़ला जी वोट न खरीद सकें। उन लोगों से मिलने के लिए कुछ विद्यार्थी वहां पर गये लेकिन उन सबको पुलिस ने बिना किसी बात के पकड़ लिया है। इस बात से साबित होता है कि सरकार बिड़ला को संरक्षण दे रही है और उनके खिलाफ जो कार्यवाही कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है।

(अत्यधिक शोर)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप तो एक सूचना दे रहे हैं। आप लिखित रूप से सूचना दीजिये कि आपकी यह जानकारी है।

(माननीय राजस्व मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री मोतीलाल बेहलवी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जब यह आइटम समाप्त हो जाय तब आप व्यवस्था का प्रश्न उठायें।

एक सदस्य—

मान्यवर, ये बहुत अनुशासनहीनता कर रहे हैं।

प्रदेश में भयानक पाला पड़ने तथा पछुआ हवा से रबी की फसल को क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

माननीय सदस्यों के नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी है कि प्रदेश में भयानक पाला पड़ जाने से लाखों एकड़ रबी की खास फसलें (मटर,अरहर, चना) मारी गई है इसके पैदावार के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है और किसानों की कमर तोड़ दी है। सर्व श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा हरि केवल प्रसाद ने सूचित किया है कि भीषण पछुआ हवा के कारण रबी की फसल नष्ट हो गई है।

2--इस सबन्ध में सदन के समक्ष यह निवेदन करना है कि अब तक प्रदेश के केवल लखनऊ, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, फतेहपुर, जालौन, झांसी, वाराणसी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बदांयूं, मिर्जापुर, हमीरपुर, जौनपुर, मथुरा आदि तथा बांदा जिलों में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि रबी की मटर, आलू, अरहर की फसलों को पालु से क्षति पहुंची है। अरहर, मटर, आलू रबी की यद्यपि मुख्य फसलें नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण हैं और पाले से क्षति की सूचना प्राप्त होते ही शासन ने सभी जिला अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुये उन्हें आदेश दे दिया गया है कि वे पाले से हुई हानि के बारे में रिपोर्ट शीघ्र भेजें तथा सहायता प्रस्ताव शासन को भेजें।

जहां तक तेज पछुआ हवा से क्षति का सबन्ध है, तेज पछुआ हवा के चलने से रबी की फसल को क्षति पहुंचने की कोई रिपोर्ट शासन को नहीं मिली है लेकिन यह जरूर है कि मार्च के प्रथम पक्ष में कहीं कहीं तेज पछुआ हवा चलती रही जिससे रबी की फसल को कुछ क्षति का अनुमान लगाया जा सकता है। उपरिलिखित पाले के सबन्ध में जो रिपोर्ट मगाई गई है उसके साथ पछुआ हवा से हुई क्षति के बारे में भी सूचना प्राप्त होगी। जिलों से रिपोर्टों के प्राप्त होने पर शासन द्वारा उचित सहायता दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

3--इस सबन्ध में यह बता देना आवश्यक है कि नियमों के अनुसार रबी की परताल करके छूट आदि के लिये प्रारम्भिक सहायता प्रस्ताव शासन को भेजने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है। इस तिथि के बाद ही रबी की फसल को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जिसमें पाला भी शामिलहै, हुई क्षति का सही सही आकलन हो सकेगा और उस स्थिति में यदि हानि की मात्रा 50% या उससे अधिक हुई तो मालगुजारी में उचित सहायता छूट अथवा स्थगन के रूप में दी जायगी जहां तक किसानों को कठिनाई का सवाल है, स्थिति यह है कि रबी की वसूली का समय अभी नहीं आया है रबी की वसूली 15 अप्रैल के बाद शुरू होती है, बल्कि ज्यादातर जिलों में वसूली मई के महीने से प्रारम्भ होती है इसके अतिरिक्त 6 1/4 एकड़ तक के किसानों को मालगुजारी तो पहले से माफ है।

जैसा ऊपर कहा गया है, शासन इस मामले के प्रति जागरूक है और नियमों के अनुसार इस सबन्ध में विस्तृत रिपोर्ट विभिन्न जिलों से मगाई जा रही है जिनके प्राप्त होने पर, प्रभावित लोगों को नियमानुसार सहायता दी जायगी।

श्री चन्दन सिंह (जिला मथुरा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जौ और गेहूं के बारे में इसमें कोई विवरण नहीं है। मैंने मथुरा जिले का दौरा किया, वहां जौ और गेहूं की फसल 80 परसेंट समाप्त हो चुकी है। तो मथुरा को अकाल-ग्रस्त घोषित क्यों नहीं किया गया, उसे अकाल-ग्रस्त घोषित करना चाहिए।

श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)--

माननीय अध्यक्ष जी, बांदा जिले में तो अरहर, चना और रबी की फसलों का इतना नुक्सान हुआ है पिछले चुनाव के दौरान और बाद में हमने भी जिन क्षेत्रों का दौरा किया तो वहां बहुत से लोगों का फाकाकशी करना शुरू हो गया है। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने सूचना दी कि 15 अप्रैल के बाद ही उनके नुक्सान का जायजा लिया जा सकता है लेकिन जबतक वसूली में पूरी छूट नहीं दी जाती है और इसी दौरान उन तमाम लोगों को जिनकों आज भी फाकाकशी करनी पड़ती है, उनके लिए फौरी सहायता नहीं दी जाती है तो वहां लोगों की दशा बड़ी गम्भीर हो जायगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में फौरी कदम उठाये जायं और तमाम सूखाग्रस्त इलाके के लोगों को राहत दी जाय।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

इसमें कानपुर जिले का नाम नहीं आया, लेकिन मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि कानपुर जिले में पाले से जितना नुक्सान हुआ है उतना शायद ही दूसरे जिले में हुआ हो। चुनाव के दौरान मैं घूम रहा था, इतना पाला पड़ा कि हमारे क्षेत्र में जमीन सफेद हो गयी थी। वहां की अरहर, आलू और जौ की फसल में 90 फीसदी का नुक्सान हो गया है और यह मान्यवर, दुर्भाग्य की बात है कि या तो कानपुर का जिलाधिकारी कर्त्तव्यपरायण नहीं है या फिर सरकार ही इतनी सुस्त और लापरवाह है कि हर जिले में सही रिपोर्ट मंगवा नहीं सकते। कानपुर जिले में पाले से फसल को काफी नुकसान हुआ है। माननीय मन्त्री जी दोबारा फिर कानपुर की रिपोर्ट मंगायें और अगर उस रिपोर्ट से यह हो कि नुक्सान नहीं हुआ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को दंड दें जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से अगर सब बोलेंगे तो मन्त्री जी जवाब क्या देंगे। यही विचार था कि इसमें बहुत से लोग अपने-अपने जिलों के बारे में कहेंगे। कृपा कर के आप लोग आसन ग्रहण करें। दो सवाल पूछे गये हैं। आमतौर से ऐसे सवालों पर सब यह चाहते हैं कि हमारा जिला भी जोड़ दिया जाय, वहां पाला पड़ा है। आपकी तरफ से सूचना आएगी यह समझ कर कहा था कि सब कह दें। लेकिन अभी तीन सवाल हुए हैं। मोतीलाल जी का अलग है। कानपुर के बारे में देखना पड़ेगा। जो प्रश्न है उनका जवाब हो जाय फिर एक-एक करके कहें। (व्यवधान) अगर सिर्फ जिलों का नाम हो तब तो ठीक है लेकिन लोग और सवाल कर रहे हैं। (श्री धर्मवीर के खड़े होने पर) आप कृपा कर के आसन ग्रहण करें।

एक सदस्य--

अगर यह सूचना पूर्ण है तब तो कुछ नहीं कहना है और यदि यह सूचना अपूर्ण है तो हमको यह मौका मिलना चाहिए कि बाकी जिलों की रिपोर्ट क्यों नहीं आई।

श्री अध्यक्ष--

इसका फैसला तो आप करेंगे, मैं थोड़े ही करूंगा। जो तथ्य यहां रखे जायेंगे उसी से जाहिर होगा कि कोई सूचना पूर्ण है या अपूर्ण। आप एक-एक करके प्रश्न करें। माननीय शिवनाथ सिंह। (व्यवधान) आपका मात्र उद्देश्य सवाल करना है जवाब नहीं चाहते क्या ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)--

आपने मुझे मौका दिया इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

और लोगों को तो नहीं बोलना चाहिए।

कुंवर शिवनाथ सिंह 'कुशवाहा'--

श्रीमन्, यह सूचना बिल्कुल अपूर्ण है। इन्होंने केवल फर्ज अदायगी के तौर पर इसे मंगाया है। इस चुनाव के दौरान रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों ने पड़ताल की ही नहीं जिसकी वजह से कोई रेकाड्स तैयार नहीं हुए। मन्त्री जी कहते हैं कि 15 अप्रैल तक रेकार्ड तैयार करेंगे। तबतक जब फसल ही नहीं रह जायगी आप कैसे पड़ताल करायेंगे? केवल कागज में तहसील में बैठ कर खानापूरी कर लेंगे। इसलिये वस्तुस्थिति के आधार पर परिस्थितियों का ज्ञान करते ए हमीरपुर में तो पाला पड़ गया, कानपुर और पड़ोस में नहीं पड़ा। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि विशेष तौर से इसकी जांच पड़ताल करवायें और उसका विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से सदन का काम नहीं चलेगा। आप कृपया बैठें। पहले जो प्रश्न हुए हैं क्या आप उनका उत्तर नहीं सुनना चाहते? फिर एक एक माननीय सदस्य को बोलना चाहिये। इस तरह से एक साथ नहीं।

एक सदस्य--

हमारे क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है।

एक सदस्य--

दो मिनट हमारी बात भी सुन लीजिये।

एक सदस्य--

हमारे जिले में फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नहीं, पहले जवाब सुन लीजिये।

एक सदस्य--

हमें भी प्रश्न कर लेने दीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, जो रिपोर्ट जिलाधिकारियों ने भेजी है वह बिलकुल बेकार है, कहीं किसी ने जांच पड़ताल नहीं की है। मिसाल के तौर पर बस्ती जिले की बांसी तहसील की बाबत मैं कहना चाहता हूं कि वहां की स्थिति मैंने खुद देखी है और किसानों को रोते हुए देखा है, उसका कोई जिक्र इसमें नहीं है जिन माननीय सदस्यों के जिले रह गये हैं, मंत्री जी को वहां की स्वयं जांच करवाना चाहिये। मगर आप किससे जांच करवायेंगे? किस चीज की जांच करवायेंगे। कहीं-कहीं तो आधी फसल कट तक गयी है। जहां फसल कट

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

गयी है उसके लिये जानने का कौन सा तरीका आप निकालेंगे ? जो नुकसान हुआ है उसको हम लोगों ने खुद अपनी आंख से देखा है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नहीं, अब हम आगे चलते हैं ।

श्री भूपसिंह केन (जिला मेरठ)--

इसमें मेरठ जिले का कोई जिक्र नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

जिन माननीय सदस्यों ने आपको सवाल भेजे हैं, उनको तो दो दो मिनट का समय दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आपको मालूम होना चाहिये कि यह चर्चा के लिए नहीं, केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है। जो अविलम्बनीय नियम 51 के प्रश्न हैं, उनके बारे में जो नियम की स्थिति है, मैं उसे आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हू, "कोई सदस्य, अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना सचिव को उपवशन प्रारम्भ होन के एक घंटा पूर्व दे सकेंगा । ऐसी सूचना द्वि-प्रतिक होगी । सचिव, सूचना की एक प्रति सम्बद्ध मंत्री को सूचनार्थ भेज देंग ।

(2) किसी ऐसी सूचना के स्वीकृत हो जाने पर सम्बद्ध मंत्री सूचनांकित विषय पर उसी दिन अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे या भावी तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकगे। लिखित वक्तव्य होने की दशा में उसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भी दी जायगी ।

(3) ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा परन्तु अध्यक्ष, यदि उचित समझें तो सूचनांकित विषय संबंधी तथ्यों के स्पष्टीकरण के लि प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे । तो यह वक्तव्य के लिये केवल स्वीकार है चर्चा के लिए नहीं । एक-एक करके प्रश्न आप करेंगे, तो ुविधा होगी वरना नहीं ।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)--

श्रीमन्, इस सदन की जो इच्छा है, उसके अनुसार....

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, देवरिया जिले की स्थिति बहुत ही भयंकर है, इसके बारे में खासकर मंत्री जी से कहा जाए कि वह स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष--

चर्चा इसमें नहीं है, लेकिन आप प्रश्नों से निकाल सकत हैं कि कहां पाला पड़ा है और कहां नहीं । जैसे प्रश्न होता है तो उसके बारे में मंत्री जी का उत्तर होगा । आप देखेंगे कि वह सतोषजनक है या नहीं ।

(व्यवधान)

यदि आप सवाल भी सब एक साथ करेंगे तो इस तरह कैसे होगा। प्रश्न यह नहीं है कि किसी को समय मिलता है या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि यदि आप एक ही समय में सब प्रश्न करगे....

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

आप मौका तो दें पहले ।

श्री अध्यक्ष---

आप मौका तो लें तब हो। आप खुद मौका नहीं चाहते हैं । वह तभी होगा जब आप एक एक करके अपनी बात कहें । यदि सुझाव ही देना है और वह एक साथ ही देने लगे तो कैसे चलेगा । इसलिए पहले आप लोग आसन ग्रहण करें ।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

मैं आपके जरिये से माननीय माल मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह (जिला अल्मोड़ा)---

मैं आपके जरिये से जानना चाहता हूं कि पाले और पछुवा हवा से पर्वतीय इलाकों में नुकसान हुआ ही है, उसके साथ ही क्या सरकार जानती ह कि 3 साल से 5 साल तक के आम और केले के फलदार वृक्ष भी सूख गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो दूसरा प्रश्न उन्होंने किया है ।

श्री मंजूर अहमद---!

श्रीमन्, देवरिया, बलिया, बांदा व हमीरपुर में तो गल्ला व आलू वैसे ही कम पैदा होता है, किन्तु अब मेरठ और बुलन्दशहर में भी....

श्री अध्यक्ष---

आप अपनी बात सुनाने के लिए इतने आतुर हैं कि अव्यवस्था फैल रही है, ऐसे कैसे कार्यवाही चलेगी । जो प्रश्न किया वह प्रश्न ऐसा है, जिन्होंने जो नोटिस दी है उस तरह का प्रश्न है अब मान लीजिये, जो वक्तव्य दिया जाता है, इसका अभिप्राय हो सकता है, किसी और चीज के बारे में, उसमें सारे सूबे को सम्बद्ध करना, यह सही बात हो तो कोई ऐतराज नहीं है । अब एक प्रश्न आपने किया है । अगर अब माननीय राजस्व मंत्री जवाब नहीं देंगे तो दूसरा प्रश्न करने क्या फायदा ?

श्री गोविन्द सिंह (जिला अल्मोड़ा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पाला और पछुआ हवा से मेरे अल्मोड़ा जिले में विशेष रूप से आम और केले के पेड़ भी सूख गये हैं, क्या सरकार इस बारे में नहीं जानती है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, प्रश्न नहीं सुनायी दिया ?

श्री अध्यक्ष---

आपका कहना है कि पछुआ हवा से और पाले से पर्वतीय क्षेत्र अल्मोड़ा में आम और केले को क्षति पहुंची है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अभी जो प्रश्न था वह सिर्फ रबी की फसल में मटर, अरहर, आलू का था इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री मंजूर अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर में 60–70 फीसदी गेहूं की फसल ओले और पाले से मारी गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य ने कई जिलों का नाम लिया है जो स वक्तव्य में नहीं है । मैंने इस वक्तव्य में कहा है कि सूचना अभी आ रही है। अगर कोई सूचना नहीं आती है तो माननीय सदस्य यहां प्रार्थना-पत्र दे दें । अगर कहीं से गलत सूचना आयी है, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा, उसके लिये जहां तक हो सकेगा हालांकि मुश्किल है, फसल कट चुकी है, अगर फसल कट गयी है और किसी अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दिया है, क्योंकि दो तीन जिलों में देखने के बाद मैंने कहा कि इसका बटवारा करना मुश्किल होगा कि क्षति 49 या 51 है अगर 49 है तो 50 के ऊपर देना चाहिये क्योंकि किसानों को मिले, माननीय सदस्यों ने अलग-अलग नाम दिया तो हो सकता है कि रिपोर्ट आ रही हो । जितनी रिपोर्ट उपलब्ध थी उतनी दे रहा हूं । बाकी और जिलों की रिपोर्ट आ रही होगी। वसूली 15 अप्रैल के बाद होती है, चाहे क्षति हुई हो या न हुई हो, लगान की वसूली 15 अप्रैल के बाद शुरू होती है, कहीं कहीं मई में होती है । अगर जिला अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दी है तो मुश्किल होगा, वैसे आप लोग भेज दें । बड़ी कड़ी जांच होगी और जिन्होंने गलत किया है, उन पर कार्यवाही होगी । जो जिले नहीं आये हैं, दोबारा जांच करवा ली जायगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

(व्यवधान) क्या माननीय राजस्व मंत्री बतायेंगे कि इटावा जिले में पाला पड़ा है ? यदि पड़ा है तो आपकी इस रिपोर्ट में शामिल क्यों नहीं है ? इसके साथ ही साथ मैं उदाहरण देकर कुछ गांवों के नाम बताना चाहता हूं। बाउथ, नाल बिसुन, तिजौरा, नाला सलेहदी, नाला तौर, नाला राम सुन्दर, पीहरपुर, आदि । इन गांवों में 90 प्रतिशत गेहूं की फसल नष्ट हो चुकी है । यह बीहड़ के गांव हैं । लेकिन इसके बावजूद इटावा का नाम रिपोर्ट म नहीं शामिल किया गया है, तो क्यों ? यदि वहां के जिलाधिकारी ने जानबूझकर रिपोर्ट नहीं दी है तो क्या उस जिलाधिकारी को दंडित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में तो माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि रिपोर्ट नहीं आई है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, सवा-6 एकड़ तक तो वैसे ही लगान माफ है और अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जिनकी सवा-6 एकड़ से कम खेत हैं जिनकी फसल बर्बाद हुई है। उन्होंने भी कर्जा लेकर, कोआपरेटिव से, खाद खरीदा है, पानी लिया है । तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनकी क्षति की पूर्ति किस प्रकार करेंगे, यदि यह पता चल जाय कि उनके खेतों की फसल भी नष्ट हुई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

पता लगने का प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि अगर रिपोर्ट आती है कि उन लोगों की क्षति हुई है तो सर्वे होने के बाद यह तय किया जायेगा कि किस प्रकार पूर्ति की जाय ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बराबंकी)---

मान्यवर, मंत्री महोदय ने जो बयान दिया है, उसमें कुछ जिलों के नाम हैं। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वहां के अधिकारियों ने स्वयं यह सूचना दी है या शासन ने पूरे प्रदेश से सूचना मांगी है? अगर सूचना मंगाई है तो अधूरा बयान क्यों? यह पूरे प्रदेश के हित का प्रश्न है अतः सूचना पूरी आनी चाहिये।

श्री धर्मपाल सिंह (जिला अलीगढ़)---

मान्यवर, अलीगढ़ जिले में फसल को बहुत क्षति हुई है, मैं उनका आभारी हूंगा यदि वहां से रिपोर्ट मंगाने की कृपा करें। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि रिपोर्ट मंगायेंगे तो अलीगढ़ जिला भी शामिल कर ल इसके लिये मैं उनका आभारी हूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जहां तक रिपोर्ट भेजने का प्रश्न है, जिलाधिकारी रूल्स के अन्तर्गत यह सब करते हैं जब कहीं बाढ़ आये, सूखा पड़े, पाला पड़े, तो वह स्वतः रिपोर्ट देते हैं। शासन द्वारा मंगाने में ऐसी बात नहीं है। वह तो स्वतः ही रिपोर्ट देते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

कुछ जिलों से रिपोर्ट आ चुकी हैं और कुछ जिलों से रिपोर्ट आनी है, जैसा मंत्री जी ने कहा है। जिन जिलों से रिपोर्ट आ गई है, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि वहां का परसेन्टेज क्या है और जिन जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है वहां से कृपा कर जल्दी रिपोट मंगाने का सदन को आश्वासन देंगे ताकि इस सदन के रहते-रहते रिपोर्ट आ जाय और सदन के सामने पहुंच जाय ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

प्रत्येक जिले का ब्योरेवार परसेन्टेज मेरे पास नहीं है और अगर माननीय सदस्य सूचना दगे तो मैं उनके जिले का बता सकता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर, हमारे गोंडा जिले में तराई के इलाके में अरहर की फसल पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि कोई ध्यान उस तरफ नहीं दिया गया। माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए पूरे प्रदेश में पाले, ओले और पछुआ हवा का असर हुआ है, शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट मंगाकर किसानों को उचित छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

नियम 51 में यह प्रश्न पूरे सूबे के लिये उठाया गया तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे सूबे के पैमाने पर जानकारी हासिल की या नहीं अगर नहीं की तो क्यों नहीं की ? उन्होंने अभी कहा कि जिलाधिकारियों ने स्वतः खबर दी क्योंकि उनका यह कत्तव्य है।

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

एक व्यवस्था का प्रश्न पहले ही श्री मधुकर दिघे ने उठाया है। जो नोटिस श्री चन्दन सिंह, श्री देवकुमार यादव, श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री चन्द्रभान आदाज,

[श्री अध्यक्ष]

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय आदि ने दिया है उसमें यह कि प्रदेश में भयानक पाला पड़ जाने से लाखों एकड़ रबी की खास फसलें मटर, अरहर, चना, मारी गई हैं। जिससे पैदावार के ऊपर ही बुरा प्रभाव पड़ा है।

श्री राम सेवक यादव—

यह पूरे प्रदेश का प्रश्न है।

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पान्डेय)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब राजस्व मंत्री ने एक नियम की घोषणा की कि ऐसा नियम है कि जब आपतकालीन स्थिति हो तो जिलाधिकरी स्वतः रिपोर्ट देते हैं और या यह कि जब शासन को जानकारी होती है तो शासन रिपोर्ट मंगाता है। जब ऐसा नियम है तो क्या उस पर भी कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राम सेवक—

माननीय मंत्री जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं। अगर माननीय राजस्व मंत्री खड़े होकर यह कहते कि इतनी ही सूचना है और पूरे प्रदेश से सूचना मंगाने की जरूरत नहीं समझी तो संतोष हो जाता। लेकिन प्रश्न यह है कि जब पूरे सूबे के बारे में प्रश्न था तो क्यों नहीं पूरे सूबे की सूचना मंगायी गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो कुछ मैंने कहा उसे माननीय सदस्य शायद सुन नहीं पाये। मैंने कहा था कि अभी तक इतनी ही सूचना आयी है और पूरे प्रदेश से अभी सूचना आना बाकी है। जब पूरी सूचना आ जावेगी तो कार्यवाही होगी। अधिकारी को भेजा जा रहा है। जब पूरी सूचना आ जावेगी तो 15 तारीख के बाद लगान माफी या कैसे सहायता की जाय, इस बारे में सरकार विचार करेगी। (व्यवधान)

श्री देवकुमार यादव—

हम लोगों ने आपके माध्यम से नियम 51 के तहत वक्तव्य के लिये कहा था। देवरिया का नाम रिपोर्ट में नहीं आया है। ओले से फसल खंडित हो गई है। और देवरिया के अधिकारियों ने राजस्व मंत्री को कोई सिफारिश नहीं भेजी है। इस गंभीर प्रश्न पर विचार किया जाय।

श्री मधुकर दिघे—

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

श्री अध्यक्ष—

आप पूरे प्रदेश के बावत जानकारी चाहते हैं तो अभी वह आई नहीं है। शासन नियमानुसार विस्तृत रिपोर्ट मंगा रहा है। जब वह रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी तो सहायता दी जावेगी।

श्री मोतीलाल देहलवी—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जितनी सूचना थी उन्होंने दे दी है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

आप पहले पूरी बात सुन तो लें। अभी आपने देखा कि माननीय राजस्व मंत्री कोई संतोषजनक उत्तर पाले के प्रश्न पर नहीं दे सके। माननीय श्री मंत्री बल। बलाकर सलाह दे रहे थे और फिर भी राजस्व मंत्री संतुष्ट नहीं कर सके।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

देहलवी साहब को संतुष्ट कोई नहीं कर सकता ।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मधकर दिघे—

पाले का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और राजस्व मंत्री ने संतोषजन उत्तर नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न आपने उठाया है वह व्यवस्था से संबंधित नहीं है। यह तो आलोचना है। यह सही हो सकती है, लेकिन व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में खाद्यान्नों के संबन्ध में वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

श्री काशीनाथ मिश्र, सदस्य विधान सभा ने जो सूचना दी है उस संबंध में स्थिति इस प्रकार है कि राज्य में इस समय केवल गेहूं तथा उसके उत्पादों तथा चावल/धान और उनके उत्पादों के लिये सीमा से आसन्न 5 मील की पट्टी से उक्त पट्टी के बाहर प्रदेश मे ही किसी स्थान से तथा उक्त पट्टी में ही एक स्थान से दूसरे स्थान को बिना परमिट वहन पर प्रतिबन्ध लगे हुए है (मोटे अनाजों के वहन पर भी इसी प्रकार का प्रतिबन्ध हाल में लगाया गया था जो अब भारत सरकार के निर्णय के अनुसार हटा लिया गया है)। उक्त प्रतिबन्ध राज्य से इन अनाजो की तस्करी रोकने के उद्देश्य से ही लगाये गये हैं। राज्य के सीमावर्ती अन्य राज्यों विशषकर बिहार में खाद्यान्नों की कमी तथा प्रदेश की तुलना में इन अनाजों के भाव ऊंचे रहने के कारण इन अनाजो की अत्यधिक संभावना रहती है और निरंतर शिकायत रही है। यह कहना सही नही है। उक्त प्रतिबन्धों के कारण सीमा से आसन्न 5 मील की पट्टी में उक्त खाद्यान्नों की कमी है जिससे यहां मल्य ऊंचे हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त पट्टी का कोई भी वास्तविक निवासी अपने घरेलू उपभोग के लिये 10 किलो तक गेहूं/गेहूं उत्पाद तथा 20 किलो तक चावल/धान और उनके उत्पाद एक समय में ले जा सकता है। कोई भी वास्तविक मंत्री अपने माल असबाब के भाग के रूप में 5 किलो तक उक्त खाद्यान्न पट्टी में वहन कर सकता है। इससे अधिक परिमाण में उक्त पट्टी में इन खाद्यान्नों के वहन के लिये परमिट संबंधित सीमावर्ती स्थान के जिला मजिस्ट्रेट के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर क्षेत्रों खाद्य नियंत्रकों द्वारा दिये जाते हैं। जिला मजिट्रेट अपने जिले की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उक्त अनाजो के सीमा पट्टी मे आयात के अनापत्ति प्रमाण-पत्र देते हैं और इस बात का भरसक प्रयास रहता है कि इन क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कमी न हों।

[डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

जहां तक बलिया शहर व रानीगंज में खाद्यान्नों के मूल्य में 80 से 60 रुपये तक के अन्तर का संबंध है, यह सही नहीं है। शासन की सूचना के अनुसार दोनों स्थानों के मूल्यों में अन्तर तो अवश्य है परन्तु वह मामूली ही है।

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया गया है सीमा पट्टी में उक्त खाद्यान्नों के वहन पर तस्करी रोकने के लिये हीं लगाये गये हैं। यह प्रतिबन्ध राज्य के हित में है और सर्वथा आवश्यक है।

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल जिसका अभी माननीय खाद्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है, तस्करी रोकने के लिये बिहार के बार्डर के 5 मील के कारीदार में, प्रशासन की तरफ से घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य तस्करी रोकना है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तस्करी का व्यापार बलिया जनपद में एक दिन भी रुका नहीं और इस प्रशासन के इस आदेश के चलते, बलिया से रानीगंज तक, 2 मील के क्षेत्र में जहां कि करीब ढाई लाख लोग रहते हैं, इन लोगों को गेंहूं–चावल कतई नहीं मिल रहा है। दो तीन दिन हुये आदेश गये है, तो कुछ नाममात्र को मिलने लगा है। मिट्टी के तेल पर भी प्रतिबन्ध है। पुलिस और खाद्य विभाग के लोग खूब रिश्वत कमा रहे है। जैसा कि कहा गया, 5 किलो, 10 किलो की छूट दी गयी है, लेकिन कौन आदमी ढाई रुपये किराया देकर 5/10 किलो लेने जायेगा। बलिया शहर का बाजार खुल नहीं सकता है। बलिया शहर का बाजार ही 5 मील के अन्दर पड़ता है। ये आदेश कम से कम 5 मील, बलिया में व्यवहारिक तस्करी रोकना है तो वहां फौज, पुलिस या पी0ए0सी0 को डिप्यूट करें।

लखनऊ से सीधे ट्रक जाते हैं बलिया और बड़े-बड़े व्यापारी उसमें तस्करी करते हैं। छोटे व्यापारी तो एक दो बोरी छान कर बेचते हैं जिसे गरीब लोग खरीदते हैं और उसका भाव बहुत ज्यादा होता है। सरकारी अधिकारी गैर जिम्मेदारी से जो कुछ लिख कर मंत्री जी को दे देते हैं उसे मंत्री जी यहां पढ़ देते हैं और वह फिर एक प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है और बिना जानकारी के मंत्री जी ने जो बयान सरकारी अधिकारी की गलत सूचना पर सदन में दे दिया तो ऐसी स्थिति में मेरे जैसे आदमी के लिये लिख कर कोई बात देना निरर्थक सा प्रतीत होता है। मैं यही अन्त में कहूंगा कि मैने जो सूचना दी है वही सही है और अधिकारी ने जो सूचना दी है वह गलत है अगर आप दरियाफ्त करें कि उन्होंने गलत सूचना क्यों दी ?

*श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, जो सूचना शासन को प्राप्त हुई है वह सत्य से परे है। बलिया जिला जमुना तथा घाघरा दो नदियों से घिरा हुआ है और तीन तरफ बिहार से घिरा हुआ है। यह तस्करी का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। जो ट्रक लखनऊ से चावल तथा गेंहूं लाद कर जाते हैं वे 500 रुपया ले कर सीधे बिहार चले जाते हैं और सीमा से मिली 5 मील की पट्टी में जो गरीब भाई रहते हैं उनको मंहगे दामों में खाद्यान्न मिलत हैं और 60 किलो गेंहूं अथवा 2 किलो चावल वहां पर रहने वालों निवासी को ले जाने के लिये 5 रुपये रिश्वत देनीं होती है। कारीडर के अन्दर रहने वाले निवासी अथवा जो 10 हजार की आबादी के टाउन एरियाज वहां पर उनके निवासी तस्करी के कारण और गलत कानून के कारण भुखमरी के लिये छोड दिये जाते हैं। बलिया शहर तथा रानीगंज बाजार के खाद्यान्नों के मूल्य में 30 से 60 रुपय तक का अन्तर है। ऐसी परिस्थिति में मेरा निवेदन है कि स्वयं खाद्य मंत्री वहां जा कर निरीक्षण कर और जनता की राहत देने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस बात की तो पुष्टि कर दी कि बलिया की ओर से बिहार की तरफ तस्करी का व्यापार होता है और माननीय सदस्यों की शिकायत भी यह है कि इस तस्करी के व्यापार को रोका जाय। अब सवाल इस बात का है कि गेहूं के भाव में अन्तर कितना है ? सरकार ने जो सूचना मंगाई है वह इस प्रकार से है रानीगंज तथा बलिया शहर में भावों के सम्बन्ध में:---

गेहूं दडा	190 तथा 170
चना	220 तथा 220
चावल (तृतीय)	220 तथा 230
ज्वार	155 तथा 155
मक्का	155 तथा 155

अब सवाल इस बात का है कि कई सदस्यों ने सरकार से यह शिकायत की कि बलिया के व्यापारी गल्ले की तस्करी करते हैं। इस पर बलिया के जिलाधीश से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। और उसी के लिये इसको रोकने के लिये यह कठोरतम कदम उठाये गये हैं। अभी जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि लखनऊ से सीधे बिहार के बौर्डर को ट्रक जाते हैं उसी के लिये हमें इस पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा और अपने हाथ में इसे लेना पड़ा। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि इसके लिये परमिट इश्यू होते हैं, ऐसी बात नहीं है, यह गलत है। मेरे पास आंकड़े हैं। रिटेल दुकानदारों के लिये बन्द नहीं किया गया है, वह चालू है नहीं तो बलिया के सवा दो लाख लोगों को खाना कहां से मिलता। व्यापारी जो लोग हैं, जिनको रोका जा रहा है वे इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रतिबन्ध हटा दिया जाय ताकि उनको तस्करी करने का मौका मिले। मैं खाद्य मंत्री हूं, जो भी तस्करी करेगा उसके लिये कठोर व्यवस्था की जायेगी और किसी तरह की चोरी या भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जायेगा। इसमें हमारे कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं। मैंने उस दिन भी इस सदन में कहा था और आज फिर कह रही हूं चाहे वह कोई हो व्यापारी, अधिकारी अथवा कर्मचारी, सबके ऊपर कठोर कार्यवाही की जायेगी और किसी भी रूप में यह प्रतिबन्ध सरकार नहीं उठायेगी।

एक सदस्य---

इसमें कर्मचारी और व्यापारी ही नहीं वहां के आर0 एम0 ओ0 आदि भी शामिल हैं..

श्री अध्यक्ष---

आप हर सवाल में खड़े हो जाते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गाजीपुर बलिया आदि का जिक्र किया गया है और जो कर्मनाशी नदी है, वहां पर बड़े पैमाने में तस्करी होती है जिसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बजाय सी0आई0डी0 या पुलिस के लोग हैं उन्हें वहां पर लगाकर तस्करी व्यापार में रोक लगाने की व्यवस्था करेंगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]—

अभी सरकार ने हाल ही जो एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट है उसमें परिवर्तन करके यह तय किया है कि जो लोग तस्करी करते हुये पाये जायेंगे उनको जो सजा दी जायेगी वह कम से कम दो वर्ष की होगी । पहले यह सजा कम थी उसे बढ़ाकर कम से कम 2 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष कर दी गयी है । साथ ही उसे नान-बेलेबल ओफेन्स बना दिया गया है जिसको कि जमानत नहीं ली जायेगी । इसके अलावा यह हमने निश्चय किया है कि जिस वेहिकिल या ट्रक के ऊपर ऐसा सामान पकड़ा जायेगा उसको रोक लिया जायेगा और उसके जो ड्राइवर और क्लीनर हैं उनको भी उसमें शामिल समझा जायेगा । उसके बाद वह ट्रक या वेहिकिल नीलाम कर दी जायेगी और सारी चीजों को सरकार ले लेती है । इस तरह से कानून को और सख्त बना लिया गया है । इसे अमल में लाने के लिये हमारा स्पेशल स्कौवैड भी काम कर रहा है जिससे तस्करी रोकी जा सके ।

श्री जंग बहादुर (जिला बाराबंकी)—

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि तस्करी होती है और यह उनको जानकारी में है कि तस्करी होती है । तो वे कृपया बताने की कृपा करें कि किन-किन अधिकारियों और कर्मचारियों ने तस्करी की और उनके विरुद्ध आपने क्या-क्या कार्यवाही की है तथा उन्हें क्या दंड दिये हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा वह हमारे मतलब में ही कहा है । सरकार की कोई मंशा नहीं है कि वह किसी भी ऐसे बेईमान कर्मचारी की रक्षा करे । हमारे आदेश के अन्तर्गत जो भी चीज आयेगी उसके लिये उसे निलम्बित तो फौरन किया जायेगा और वह चीज साबित होने पर नौकरी से अलग कर दिया जायेगा ।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जैसा कि अभी खाद्य मंत्री जी ने सदन को सूचित किया, यह सही है कि शासन के वर्तमान आदेश के चलते ही इस समय मेरे ही जिले और मेरी कांस्टीट्यूएन्सी की सीमा पट्टी में चावल 2 रुपये किलो है और पटना में चावल का भाव 6 रुपये किलो है । प्रश्न यह नहीं है कि शासन सीमा पट्टी में तस्करी को रोकने के लिये प्रतिबन्ध लगावे बल्कि प्रश्न यह है कि सीमा पट्टी में रहने वाले निवासियों के लिये शासन क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे वे अपने उपभोग की सामग्री निर्विरोध रूप से ला सकने में समर्थ हो सके ? मान्यवर, हो यह रहा है कि जो अपने उपभोग के लिये सामग्री लाते हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो लोग वास्तव में तस्करी में लगे हुये हैं, वे साइकिल में रखकर गठरी के माध्यम से या छोटी-छोटी पोटलियों में रख कर हमारा माल बिहार में पहुंचा देते हैं । शासन के सारे आदेश के रहते हुये भी सीमा पट्टी के लोगों को तकलीफ है । तो मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान व्यवस्था जो अधूरी और असुविधाजनक है, उसके स्थान पर कोई ऐसी व्यवस्था बनाने का आश्वासन सदन को देंगे जिससे सीमा पट्टी के रहने वालों को अपने उपभोग के लिये वस्तुयें सहज रूप में उपलब्ध हो सकें ?

*डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन तथ्यों को सदन के सामने रखा उससे बात और भी स्पष्ट हो गयी कि यह बीमारी कितनी बड़ी है और कितनी व्यापक है । माननीय सदस्य ने जो सुधार की बात कही है, उनके इस सुझाव के लिये मैं उनकी आभारी हूं और शासन हमेशा ही अधिक से अधिक जितना सुधार हो सकता है उसके करने के लिये प्रयत्नशील है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिये जो भी सुझाव इधर के बैठने वाले सदस्यों के द्वारा या उधर बैठने वाले सदस्यों के द्वारा मेरे विभाग के सामने आवेंगे उसका मैं स्वागत करूंगी और उसको अमल में लाने की पूरी चेष्टा करूंगी ।

श्री अध्यक्ष—

अब कार्य सूची की संख्या 8 पर माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा ।

लखनऊ में हुये शिया–सुन्नी संघर्ष के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15 मार्च, 1974 को चेहल्लुम के अवसर पर लखनऊ में शियाओं के जुलूस निकाले गये । इस अवसर पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में हर सम्भव प्रयत्न किये गये थे। असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर लिया गया था । पी0ए0सी0 व सिविल पुलिस तथा मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई थी तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक, नगर स्वयं प्रबन्धों की निगरानी कर रहे थे । पूर्व समझौते के अनुसार शियाओं का एक मुख्य जुलूस पाटानाला की गली से होकर मातम करता हुआ गुजर रहा था । इस गली में पुलिस का समुचित प्रबन्ध था तथा सिपाहियों को घरों की छतों पर भी तैनात कर दिया गया था । लगभग 4.10 बजे सायंकाल जब जुलूस का लगभग आधा भाग सुन्नियों के धार्मिक स्थान दारुल–मुबल्लेगीन से गुजर रहा था तब एकाएक जुलूस पर पत्थर फेंके जाने लगे जिससे जुलूस में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और दोनों ओर से भारी पथराव आरम्भ हो गया । स्थिति एकाएक विषम हो जाने के कारण मौके पर नियुक्त मैजिस्ट्रेट ने गोली चलाने के आदेश दिये जिससे कि एक व्यक्ति घायल हुआ । इस कार्यवाही से भीड़ तितर–बितर हो गई परन्तु भागती हुई भीड़ ने मार्ग में हिंसक रूप ग्रहण कर लिया और चार व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा कई स्थानों पर आग लगा दी गई । घटनास्थल पर नियुक्त अधिकारियों ने बल प्रयोग करके तत्काल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया । घायलों को अस्पताल भेजा गया तथा अपराधियों की गिरफ्तारी अविलम्ब प्रारम्भ कर दी गई । कुल 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 67 जनता के व्यक्ति व 15 सरकारी कर्मचारी, जिसमें एक मैजिस्ट्रेट तथा दो राजपत्रित पुलिस अधिकारी हैं, घायल हुये । कुल 24 व्यक्ति अस्पतालों में भर्ती किये गये तथा बाकी घायल व्यक्तियों को आवश्यक मरहम पट्टी के बाद जाने दिया गया । सम्पत्ति की क्षति के मुआवजे के लिये तदर्थ रूप से एक लाख रुपया, प्रत्येक मृतक के परिवार के लिये 5,000 रुपया गम्भीर रूप से घायलों के लिये एक एक हजार रुपया तथा अन्य घायलों के लिये पांच-पांच सौ रुपया बतौर आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दिया गया है । उक्त घटना के पश्चात् थाना चौक, सआदतगंज, वजीरगंज, बाजार खाला तथा थाना अमीनाबाद के छोटे से भाग में कर्फ्यू लगा दिया गया था जो अब केवल रात में 7.30 से प्रातः 6 बजे तक रहता है । स्थिति को सामान्य बनाने के लिये हर सम्भव प्रयास किये गये। प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस द्वारा गश्त किया जा रहा है । दिनांक 16 मार्च, 1974 को नगर के बाहरी भाग स्थित हुसैनाबाद में शियाओं एवं सुन्नियों के बीच झगड़ा हो गया जिसमें एक व्यक्ति को छूरेबाजी से मामूली चोट आई । पुलिस एवं मजिस्ट्रेट ने अबिलम्ब मौके पर पहुंच कर स्थिति पर नियंत्रण किया तथा गिरफ्तारियां की गई । घटना की मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये जा चुके हैं । शान्ति स्थापना के लिये शान्ति समितियां गठित करके जन प्रतिनिधियों एवं विभिन्न वर्गों के संभ्रांत नागरिकों का सहयोग प्राप्त किया गया ।

3—गली पाटानाला में चेहल्लुम के अवसर पर इस प्रकार की कोई घटना 1969 से अब तक नहीं हुई थी। यह कहना असत्य है कि छोटे-छोटे बालक आग की लपटों में झोंक दिये गये

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अथवा पुलिस निर्दोष व्यक्तियों को अकारण परेशान कर रही है । जिस स्थान से 15 मार्च, 1974 को झगड़े का आरम्भ हुआ वह पुलिस चौकी पाटानाला से लगभग 2:0–300 गज की दूरी पर है । चौकी के पास लकड़ी की टालों में आग लगाई गई तथा उस आग से निकटवर्ती गुमटियां तथा एक मकान भी क्षति ग्रस्त हुआ। यह कहना सही नहीं है कि इस झगड़े के कारण शासन के प्रति कोई असंतोष अथवा उत्तेजना व्याप्त है अथवा सारे प्रदेश में दंगे भड़कने की स्थिति पैदा हो गई है ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बयान से जाहिर होता है और असलियत भी है कि इसी तरह की घटना पहले घटी थी वह भी चुनाव के बाद घटी थी और अभी भी जो घटना घटी है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस घटना का चुनाव से भी सम्बन्ध है ? दूसरे मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या किसी एक पक्ष की ओर से या दूसरे पक्ष की ओर से कोई पूर्व निश्चित योजना थी ? यदि हां, तो क्या आपके गुप्तचर विभाग को इसकी जानकारी थी । और यदि थी तो इस घटना को रोकने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया ? मैं यह कह रहा हूं कि इस बार हथियारबन्द पुलिस नहीं थी । हमें वहां पर कुछ कांस्टीटेबिल और सिपाही मिले । एक दरोगा के पास पिस्तौल थी और उसको उसका डर दिखाकर अपनी जान बचानी पड़ी तो स्पष्ट है कि कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं था ।

बयान में यह भी कहा गया है कि छत पर पुलिस तैनात थी, लेकिन मेरी जानकारी है कि पुलिस तैनात नहीं थी तो जब ऊपर से पत्थर फेंके गये और पुलिस छतों पर मौजूद थी, तो किसी व्यक्ति को पत्थर फेंकने वालों में से गिरफ्तारी हुई या नहीं ? यदि नहीं हुई, तो साफ जाहिर है कि वहां इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी । इसी के साथ-साथ असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया गया है तो मैं जानना चाहूंगा कि उनकी गिरफ्तारी कब हुई, किस तारीख को हुई और कितने लोगों की हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् यह अवश्य है कि प्रासंगिक घटना जो घटी वह चुनाव के बाद ही घटी । लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है इसका कोई सम्बन्ध इस चुनाव से नहीं है । जहां तक यह प्रश्न है कि असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पहले क्या कार्यवाही की गयी मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि 14 मार्च, को 259 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर लिया गया था और 220 चाकू बरामद किये गये थे और पुलिस का पर्याप्त प्रबन्ध था चार कम्पनियां और एक प्लाटून पी0ए0सी0 यानी 430 गली में पुलिस का एक गजेटेड अफसर, 2 इन्सपेक्टर, 7 सब-इन्स्पेक्टर, 5 हेड कांस्टेबिल, 57 कांस्टेबिल और 2 आर्म्ड गार्ड थे। इसके अलावा 12 कांस्टेबिल घरों की छतों पर तैनात थे । तो यह जो सम्मानित सदस्य बी0के0डी0 को मालूम है वह सही नही है । जो वहां पर व्यवस्था की गयी उसके अनुसार इस बात का पूरा प्रयास किया गया कि इस प्रकार की कोई घटना न हो । यह दुर्भाग्य का विषय है कि वह पाटानाला वाली पतली गली है और प्रत्येक व्यक्ति के पीछ पुलिस का लगाना सम्भव नहीं था ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक सूचना चाहूंगा कि जो उनका वक्तव्य है उसके अनुसार 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 82 व्यक्ति घायल हुए। तो क्या सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो न्यायिक जांच कराने का प्रयास कर रही है ।

कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली के लिये प्रस्थान किया था । घटना के दिन माननीय मुख्य मंत्री जी लखनऊ में उपस्थित थे अथवा दिल्ली चले गये थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात में दिलचस्पी है कि हरसंभव शान्ति व्यवस्था बनी रहे । जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी के जाने का प्रश्न है वह उस दिन सायंकाल लखनऊ से दिल्ली वायुयान द्वारा चले गये थे और इसका उनके आने जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, इस घटना के बाद मैंने भी एक स्थान को देखा । गली बहुत पतली है और यह झगड़ा तभी हो सकता था जब ऊपर से पत्थर फेंके जायें । नीचे स्थान कम था माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उचित व्यवस्था की गयी थी 10 गज की दूरी पर पुलिस स्टेशन है । तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बता सकेंगे कि यदि उनकी बात सही है कि छतों पर पुलिस थी तो उसने छतों पर से ढेले फेंकने के लिये मना क्यों नहीं किया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जहां तक मेरी जानकारी है कि कोई ऐसी निश्चित सूचना नहीं है कि छतों पर से पत्थर फेंके गये । पत्थर दुकानों और गलियों से फेंके गये । मैजिस्टीयिरल इन्क्वायरी से पूरी जानकारी हो जायेगी ।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है जिस वक्त जुलूस निकला है तो उस वक्त चन्द पुलिस वहां पर थी । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो पी0ए0 सी0 और पुलिस छत पर मौजूद बताते हैं तो यह क्या कागज पर ही हैं कि वास्तव में वहां पर पुलिस और पी0 ए0 सी0 मौजूद थी ? श्रीमन् मेरी जानकारी में जो बात है वह यह है कि वहां पर एक दर्जन से अधिक पुलिस नहीं थी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् मेरी जानकारी जहां तक है छत पर पुलिस मौजूद थी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

श्रीमन् जहां तक मेरी जानकारी है कि जिस ढंग से वहां पर छूरियां चलाई गई हैं, वे वेल ट्रेंड और संगठित थे । जहां तक मैं समझता हूं कि इसकी पूर्व सूचना सरकार के पास रही होगी । श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि सुन्नियों के धार्मिक स्थान से होते हुए क्यों इस जुलूस को गुजरने दिया गया जबकि पहले भी इस तरह के झगड़े होते रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् इस पाटानाला से चेहल्लुम में जुलूस जाने के लिए सन् 1969 में शिया-सुन्नियों के बीच समझौता हो गया था । यह बात रजामन्दी से दोनों के बीज तय हो गई थी, इसलिये यह जुलूस निकलता रहा । पिछले वर्ष इस चेहल्लुम का जुलूस इसी रास्ते से निकलता रहा । जहां तक इसकी पूर्व सूचना के संबंध हैं । इसकी कोई पूर्व सूचना सरकार को नहीं थी ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

श्रीमन् पाटानाला की गली से जुलूस निकलने का समझौता कब हुआ था और क्या समझौता हुआ था । साथ ही जिन 8 व्यक्तियों की मृत्यु गोलियों से हुई हैं वे कहां के रहने

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

वाले हैं और उनका क्या नाम है । यह जो शिया-सुन्नी दंगे हुए उसकी मैजिस्ट्रेट जांच हो रही है तो यह तो अधूरी जांच हो रही है । क्या माननीय मंत्री जी इस जांच के लिये माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन् समझौता के आधार पर यह जुलूस निकलता रहा जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं सन् 1969 में शिया -सुन्नी में यह तय हो गया था कि यह जुलूस पाटानाला से निकले । जहां तक मरने वालों के पते तथा उनके नाम का प्रश्न है उसकी सूचना मेरे पास है । श्रीमन् एक को छोड़कर बाकी सभी के काम और पते मेरे पास मौजूद हैं ।

श्री अध्यक्ष—

नाम तो मालूम हो गया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन् नाम बताने का प्रश्न नहीं उठता ।

एक सदस्य—

श्रीमन् महीनों पहले गुप्तचर विभाग ने सरकार को यह सूचना दे दी थी कि वहां पर दंगा होने की सम्भावनायें हैं और गुप्तचर विभाग ने यह भी सूचना दे दी थी कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिये उचित व्यवस्था कर दी जाय, तो सरकार ने कौन सी कार्यवाही की ? क्या पहले जो दंगे हुए थे और उसके संबंध में जो जांच हुई थी या कमेटी वगैरहः बैठाई गई थी तो उसकी रिपोर्ट वगैरह तो अवश्य होगी और उस रिपोर्ट में क्या इस बात का उल्लेख है कि पाटानाला से जुलूस न जाय ? यदि उस रिपोर्ट में जुलूस न जाने का उल्लेख है तो उस रास्ते से जुलूस क्यों ले जाया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह जो आप कह रहे हैं यह आपकी सूचना है । आपको सही जानकारी नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

56 के अन्तर्गत एक सूचना मिली है ··· (व्यवधान) (शोर)

कई सदस्य—(व्यवधान)

आप भी पूछ लीजिये एक सवाल ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

1959 के मुकाबिले में सन् 1974 में कितनी पुलिस फोर्स इस शिया-सुन्नी के झगड़े को कंट्रोल करने के लिए । यानी सन् 1969 में कितनी पुलिस लगाई गई और सन् 1974 में कितनी पुलिस लगाई गई छत पर ? दूसरा प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी गली में छत के ऊपर 16 आदमी लगाये गये और वे भी होम गार्ड के सिपाही लगाये गये थे । मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कितने मैजिस्ट्रेट उस समय शहर में मौजूद थे और कितने मैजिस्ट्रेट शहर से बाहर थे । अगला प्रश्न मेरा यह है कि दफा 144 रात को किस वक्त लगाई गई ? और यह भी बताने का कष्ट करें कि जिनके लोग घायल हुए हैं, वे ही क्यों पकड़े गये ह ?

श्री अध्यक्ष—

आप एक एक करके प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां तक मेरी सूचना है 1969 में 2 कंपनी और एक प्लाटून थे। इस वर्ष पी0 ए0 सी0 की 4 कम्पनियां और एक प्लाटून व्यवस्था के लिये बुलाया गया था ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । बुलाने का अर्थ यह नहीं है कि उनकी वहां पर पोस्टिंग की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिये ही उनको बुलाया गया था ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत माननीय सत्य प्रकाश मालवीय की एक सूचना प्राप्त हुयी है जो इस प्रकार है:

"इलाहाबाद में थाना नवाबगंज के अन्तर्गत निर्मम हत्यायें हो रही है तथा 21 से 24 मार्च के बीच में ही वहां पर एक एडवोकेट हबीबुल इस्लाम सहित तीन व्यक्तियों की हत्या की जा चुकी है । श्री हबीबुल इस्लाम ने अभी विगत आम चुनाव में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर विधान सभा का चुनाव भी लड़ा था और उनकी हत्या उनके ग्राम भिडारा में 23-3-74 को प्रातः लगभग 9 बजे गोली मार कर हत्या कर दी गयी और वह घटनास्थल पर ही मर गये । इलाहाबाद जिला भर में इस प्रकार की घटनायें नित्य हो रही है और कानून व्यवस्था बिल्कुल गिरती हालत में है । जन जीवन आरक्षित है और बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है।"

श्री मुहम्मद मसूद (जिला आजमगढ़)—

माननीय महोदय मैं 15 मिनट से खड़ा हो रहा हूं लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

कोई जरूरी नहीं है कि हर माननीय सदस्य को प्रश्न करने का मौका दिया ही जाय । यह केवल वक्तव्य के लिये था, मोटे तौर पर कोई स्पष्टीकरण कराना चाहे तो प्रश्न पूछा जा सकता है । लेकिन अगर आप तफसीली सवाल करना चाहें तो लिख कर पूछ सकते है ।

श्री शफीकुल रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आप हमको भी सवाल करने का मौका दीजिये ?

श्री अध्यक्ष—

अगर आपको तफसील में कुछ सवालात करने हैं तो नियमानुसार आप अल्पसूचित प्रश्न कर लीजिये ?

श्री शफीकुल रहमान बर्क—

श्रीमन्, मैं अभी माननीय मंत्री जी से इस झगड़े के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर प्रश्न कर लीजिये ? अगर आपको इससे संतोष नहीं है तो आप लिख कर दीजिये, सूचना मंगाकर आपको अवश्य दी जायगी, आप लिखित प्रश्न कर लें ?

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

इस बारे में बहुत से तफसील के सवाल पूछने हैं ।

श्री अध्यक्ष—

तो आप लिख कर एक एक सवाल पूछ लीजिये, इनको जवाब देने पड़ेंगे ।

एक सदस्य—

श्रीमन्, मैंने घटना स्थल को देखा है मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं । उधर से जो सवाल किये जा रहे हैं महज सवाल करने की गरज से किये जा रहे हैं ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत जो माननीय सत्य प्रकाश मालवीय की एक सूचना थी, वह मैंने पढ़ दी । तो इस पर आप क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहेंगे । यह घटना सिर्फ एक जगह की है । इसलिये कार्य-स्थगन के रूप में इस पर कैसे विचार किया जा सकता है । आप यदि चाहें, तो प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन् 22 मार्च को जब मैं विधान सभा की बैठक के बाद इलाहाबाद पहुंचा तो उसी दिन मुझको यह ज्ञात हुआ कि 21 व 22 मार्च को नवाबगंज थाने में 2–3 हत्यायें हो चुकी हैं । और अत्यन्त ही दुख का विषय था कि 23 मार्च को प्रातः 9 बजे के करीब एक भारती क्रांति दल के नेता हबीबुल इस्लाम ऐडवोकेट जिन्होंने विगत चुनाव में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था जब वह मकान से, भिंडारा ग्राम से कचेहरी जाने के लिये निकले तो घटनास्थल पर उनकी हत्या कर दी गयी । इस प्रकार थाना नवाबगंज में 21, 22 और 23 मार्च को तीन दिन हत्या होती रही और इस हत्या के संबंध में कुछ हत्याओं के संबंध में अपराधी तक नहीं पकड़े जा सके हैं और नवाबगंज के अन्दर जितना भी देहाती क्षेत्र है विशेषकर उसमें जनजीवन बिलकुल असुरक्षित हो गया है । यह विषय इतने लोक महत्व का है और यहां मुख्य मंत्री भी उपस्थित थे और उनके पास गृह मंत्रालय भी है और इलाहाबाद से स्वयं निर्वाचित होकर आये हैं । इलाहाबाद में जो कानून की व्यवस्था है उसको कायम रखने में वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने को असमर्थ पा रहे हैं । इसलिए निवेदन है कि इस विषय पर आज ही वहां से सूचना मंगाकर 4 बजे वक्तव्य करवा दें । इस प्रकार से वहां राजनीतिक कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—

यह एक थाने की सीमित घटना है । इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें। इसे कार्यवाही के लिए भेज दिया जाता है, अगर मुख्य मंत्री चाहें तो वक्तव्य दे सकते हैं ।

श्री रामसेवक यादव (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इतना गम्भीर, लोग महत्व की और लोगों के जान-माल से संबंधित यह प्रश्न है, इस पर मंत्री जी से बयान तो आप दिला ही सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

एक ही जगह और एक थाने के अन्तर्गत है । आप और नेता सदन आपस में बात कर ही लेते ह । हम कोई आदेश कैसे दें बयान देने के लिए लेकिन यह है कि आप अल्पसूचित प्रश्न करेंगे तो विस्तार से मामला स्पष्ट हो जायगा ।

श्री राम सेवक यादव—

अल्पसूचित तो कर ही लेंगे । माननीय नेता सदन उपस्थित हैं, यह विषय महत्वपूर्ण है, इसलिये इनका वक्तव्य ही करवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह उनके ऊपर है कि वह बयान दें या न दें ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव†

श्री अध्यक्ष—

असलम साहब अपना भाषण जारी रखेंगे । वह दो मिनट बोले थे, आज समय की कमी है इसलिये सब को 8 मिनट ही समय मिलेगा । उनको 6 मिनट में अपना भाषण खत्म करना है ।

*श्री मोहम्मद असलम (जिला सहारनपुर)—

22 तारीख को आपने मुझे मौका दिया था और दो लफज ही बोला था चूंकि समय हो गया था और आज फिर आपकी आज्ञा से मैं अपने राज्यपाल जी के भाषण में जो उन्होंने 19 मार्च, को सदन के सामने पढ़ा और उसक बाद जो सदन के सामने उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश है पास करने के लिए उसके सिलसिले में मैं कुछ अर्ज करूंगा । हमारे राज्यपाल जी ने हमारे सरकार की जो नीति, पालिसी जो पिछली रही है उसके बारे में जो मौजूदा चीजें करने जा रहे हैं उसके बारे में और जो आगे करने का इरादा रखती है उसके बारे में बड़ी तफसील के साथ उन्होंने रोशनी डाली । उन्होनें खेती, बिजली के बारे में, उर्दू के बारे में, सिंचाई के बार में, पिछड़ी जातियों और पिछड़े इलाकों को आगे बढाने के बारे में और चुनाव के बारे में भी, गरज कि सभी ऐसी चीजके बारे में जिक्र किया ।

(इस समय 1 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती मोहसिना किदवाई पीठासीन हुईं।)

लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विरोधी दल के नेताओं ने और हमारे अपोजीशन के सदस्यों ने महज एक चुनाव का विषय लेकर ही दो तीन दिन उसमें गुजार दिये और इस भोंडे तरीके से यहां पर चीजें रखीं कि हम जैसे नये आदमियों के लिये जो पहली मर्तबा असेम्बली में आये हैं और पहली मर्तबा बोलने का भी इत्तफाक हुआ है बड़ी परेशानी थी कि जो वायदा हमने अपने क्षेत्र में वोटरों से किया था कि हम यहां आ कर यह काम करेंगे यह मुश्किल नजर आ रही थी कि इन हालात में कैसे अपनी बात पूरा कर सकेंगे ।

---

†22 मार्च, 1974 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहम्मद असलम]

इलेक्शन की बेईमानियों के संबंध में जो बातें अपोजीशन की तरफ से आयीं उनके जवाबात भी बहुत तफसील से दिये जा चुके हैं। मैं बहुत तफसील से उनमें जाना नहीं चाहता । मैं तो सिफ दो, तीन बातों के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि 19 माच को जब माननीय राज्यपाल ने भाषण शुरू किया और हमारे अपोजीशन के सदस्य ने अपने नेताओं के मना करने के बावजूद जो शो यहां पर किया कि राज्यपाल महोदय के सामने डायस पर चले गये और जबर्दस्ती उनके हाथ से वह भाषण छीन लिया, माइक उनके सामने से हटा दिया और जो कागजात वगैरह उनके पास थे उन सब की पुड़िया बना बना कर उनके मूंह पर मारी तो मैं समझता हूं कि ये वही लोग हैं जो यह कहते हैं कि इलेक्शन में जिलों में उन लोगों ने बेईमानी की है जो राज्यपाल जी के मुकाबले में बहुत कम दर्जे के रुतबे के लोग हैं । राज्यपाल महोदय के पास सूबे का सब से ऊंचा पद है । उनके साथ यह शो हो सकता है तो फिर वह कलेक्टर या एस0डी0एम0 जो काउन्टिग में गड़बड़ी कर रहे थे या जो इनके कहने से काउंन्टिग नहीं कर रहे थे दोबारा तिबारा तो ये कैसे बर्दाश्त कर रहे थे और उनसे जबर्दस्ती काम क्यों नहीं करा लिया । जाहिर है कि इस तरह की जिलों में बिल्कुल बात नहीं हुई और अपने नेताओं को हारन वाले लोगों न जो चिट्ठियां लिख दी अपने चुनाव के बारे में बिना इन्क्वायरी के उसी को सही मान कर उन्होंने यहां पर तरह तरह की बातें कहनी शुरू कर दीं । मैं समझता हूं कि हमारे बी0के0डी0 के ज्यादातर वही लोग हैं, 1969 में जब बी0के0डी0 बनी या अब भी उन लोगों को टिकट दिया गया जिनका कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था । यानी वह कोई प्रिंसिपल पर चुनाव नहीं लड़े बल्कि हमारे कांग्रेस हाई कमान ने जिनको टिकट नहीं दिया उन्होंने बी0के0डी0 से टिकट हासिल कर लिया । टिकट मिलने से पहले जो कांग्रेस के वफादार थे और जब टिकट नहीं मिला तो एक मिनट में ही कांग्रेस की वफादारी को छोड़कर दूसरी पार्टी का टिकट हासिल कर के लड़ना शुरू कर दिया । तो वह कैसे उस इलाके की जनता की सही नुमायन्दगी कर सकते थे और अगर उनको जनता ने वोट नहीं दिया तो इससे ज्यादा अच्छाई और क्या हो सकती थी ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका टाइम हो गया । आज बहुत कम टाइम मिल रहा है लोगों को इसलिये आप अपना भाषण खत्म कर दें ।

श्री मोहम्मद असलम---

मैं अपने जिले सहारनपुर के बारे में कुछ कहना चाहता था। हमारे यहां एक इलाका है जो घाट के नाम से मशहूर है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

इनके जिले में कितने ऐसे कांग्रेसी खड़े थे जिन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था और नहीं मिला था ?

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका टाइम हो गया । आप अपना भाषण समाप्त कर दें ।

(श्री शारदा भक्त सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य---

मेरा नाम बोलने वाले की लिस्ट में गया था, मुझे भी समय मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

समय कम है, यह जरूरी नहीं है कि जिसका नाम आना हो उसे समय मिल ही जाय। पार्टी के हिसाब से समय मिलता है।

श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)—

अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण पर बोलने का अवसर दिया। हमारा कुछ समय अभी माननीय सदस्य ने ले लिया, मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे 4–5 मिनट का समय ज्यादा आप दे दें। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को बड़े ध्यान से पढ़ा। इस अभिभाषण में मुझे एक बात पहले के अभिभाषणों से भिन्न नजर आयी और वह यह थी कि इस बार समाजवाद के सस्ते नारे और राष्ट्रीयकरण के मंत्र का जप इसमें नहीं किया गया है। गत वर्षों में शासन द्वारा अपनायी गयीं दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों की असंदिग्ध विफलतायें और वह जानते हैं कि भुखमरी, भ्रष्टाचार आदि को देखकर सम्भवत: शासकदल सही दिशा में कुछ सोचने के लिये बाध्य हो गया, परन्तु सरकारी पक्ष के तथा-कथित प्रगतिशील सदस्यों के भाषणों को सुनने के बाद ऐसा लगा कि वही पुराना राग फिर अलापा जा रहा है और वस्तुस्थिति को समझने से इनकार किया जा रहा है। यह बात सर्वविदित है कि समाजवाद के नारों पर आधारित नीतियों के कारण प्रदेश में न तो विकास-कार्य ही हो सका और न ही दुख तथा कष्टों से परिपूर्ण जनता को राहत की सांस मिल सकी।

अधिष्ठात्री महोदया, ऐसा प्रतीत होता है कि आज समाजवाद के प्रवाह में बहने वाली राजनीतिक पार्टियों में एक प्रकार से यह होड़ सी लगी है कि वे किसी प्रकार से अपने आपको सबसे बड़ा समाजवादी सिद्ध कर सकें। ऐसी स्थिति में व्यवहारिक एवं यथार्थवादी नीतियों को अपनाना शासकदल के लिये संभव नहीं रह गया है। आप गल्ले के व्यापार के राष्ट्रीयकरण या सरकारीकरण को ही ले लीजिए। भारतीय जनसंघ की ओर से इस तरह की पहले ही चेतावनी दी गयी थी कि गल्ले के व्यापार के सरकारी करण से प्रदेश में किसी प्रकार की राहत नहीं पहुंचेगी, लेकिन फिर भी, कम्युनिस्ट दल के प्रभाव में आकर इस गलत नीति की घोषणा की गयी और हम सब ने देखा कि यह योजना सर्वत्र विफल सिद्ध हुई। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कंट्रोल और अधिग्रहण की योजना से खाद्यान्नों की कीमतें काफी बढ़ी। स्वयं सरकार ने ही 76 रुपये में गेहूं खरीद कर 100 रुपये क्वींटल के हिसाब से बेंचा और अब तो 106 रुपये मूल्य करने जा रही है। 72 रुपये में चावल खरीद कर 122 तथा 125 रुपये में बेचा जा रहा है।

ऐसी स्थिति में मैं यह आशा करता था कि शासन दल अपनी गलत नीतियों को स्वीकार करेगा और खुले रूप में इस बात का एलान करेगा कि गल्ला राष्ट्रीयकरण की नीति का परित्याग किया जाय।

अधिष्ठात्री महोदया, यह भी सर्वत्र विदित है कि गल्ला में एकाधिकार प्राप्त करके सरकार ने एक स्थिति पदा कर दी है, जिससे बहुत से गरीब भुखमरी के शिकार बने और कुछ दिन पहले आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने भी संकेत दिया कि यह नीति बिलकुल असफल रही है। इसके अतिरिक्त मुख्य मन्त्रियों के बैठक में भी इसकी असफलता को स्वीकार किया गया है और इसलिए मैं जनसंघ की ओर से मांग करता हूं कि आज जब बाजार में गल्ला आना शुरू हो गया है और तब भी सरकार इस नीति को घोषित न करके एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा कर रही है, उस स्थित को समाप्त करें। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इस सरकारीकरण की नीति का परित्याग करके सरकार यह घोषित करे कि वह केवल बाजार में एक बड़े व्यापारी के नाते प्रतियोगिता के आधार पर गल्ला अपने भंडार भरेगी तथा मूल्यों को स्थिर करेगी और अपने एकाधिकार को समाप्त करेगी।

[श्री शारदा भक्त सिंह]

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि समाजवाद के नाम पर धांधली की जा रही है, सर्वत्र यह बात कही जा रही है। चुनाव में शासनतन्त्र का दुरुपयोग करके बड़े पैमाने पर काले धन का उपयोग करके चुनाव में भ्रष्टाचार के सहारे सफलता प्राप्त हो गई है। पहले से ही जनसंघ की ओर से यह सामयिक चेतावनी दी गई थी, जब कांग्रेस ने समाजवाद की रचना की बात कही थी, कि समाजवाद और लोकतन्त्र एक साथ पनप नहीं सकते। आप विश्व के देशों में देखें, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली, सभी जगह लोकतन्त्र की पहले हत्या हुई है। इसलिए यहां आज एक कम्युनिस्ट दल के सहयोग से और रूस के आशीर्वाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री लोकतन्त्र की हत्या करने का प्रयास कर रहीं हैं, और साथ ही हर प्रकार से शासन में किसी प्रकार भी बने रहन का प्रयास कर रही हैं, तो मैं समझता हूं इसमें समाजवादियों को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

जहां पर मेरे जिले हरदोई का प्रश्न है, वहां पर वितरण व्यवस्था बड़ी ही दोषपूर्ण है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण को सुचारु रूप से चलाने के लिए गैर सरकारी समितियां बनाई जायें और उसमें जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय। जिला हरदोई में बिलग्राम तहसील में पाला और सलाब के कारण बहुत बड़ा सर्वनाश हुआ है। मैं आशा करता हूं कि वहां लगान माफ होगा और वहां रोडवेज बसों की भारी कमी को भी दूर किया जायगा।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

मुझे आपकी आज्ञा से एक स्पष्टीकरण देना है। गत 20 मार्च को जब विरोधी दल के नेता भाषण दे रहे थे यहां पर राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समय में, जब वह गत चुनाव के बारे में विशेष चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने यह कहा था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जूनियर इंजीनियर्स तथा दूसरे भी इंजीनियरों की प्रोन्नति करके, शासन की ओर से कांग्रेस के चुनाव के लिए धन एकत्र किया गया है,—वह बिलकुल बेबुनियाद, गलत और निराधार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक जूनियर इंजीनियरों की प्रोन्नति का सवाल है, पिछले नवम्बर से आजतक कोई नहीं हुई है। वैसे जूनियर इंजीनियर जो बनते हैं, उनका चुनाव एक समिति द्वारा होता है, जिसकी बैठक पारसाल मार्च मास में हुई थी। जिसके सदस्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के विशेष सचिव, सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता तथा सार्वजनिक विभाग के मुख्य अभियन्ता हैं। जहां तक सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता बनन उनका सवाल है, उसके लिये भी एक समिति है, जिसके सदस्य ह—आयुक्त एवं सचिव नियुक्ति विभाग, आयुक्त एवं सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग तथा मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग। और इसकी बैठक भी 6 जून को हुई थी। उस समिति ने एक सूची बना दिया था। जो-जो जगहें होती गयीं वह जगहें उस सूची से भरते गये। केवल जगह विद्युत् और यांत्रिक की खाली हुई उसके सिलसिले में एक समिति गत 12 दिसम्बर को बैठी, एक का चुनाव किया, उसकी नियुक्ति हो गयी और जहां तक अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता बनन का सवाल है, उसमें भी जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था, उसमें भी एक समिति थी, वह समिति पिछल वर्ष 26 मई को बैठी थी उसने सूची बना दिया था। उसमें से जब भी जगह होती गयी, उसी सूची से भरत गये। इधर शासन ने तय किया कि जो प्रोन्नति होती है उसमें भी अनुसूचित जाति वालों को स्थान दिया जाय। इसलिए अनुसूचित जाति को एक स्थान मिला। जहां तक अतिरिक्त अभियन्ता बनने का सवाल है, उसकी अलग समिति है। वह समिति बैठी राष्ट्रपति शासन में चार जगहें थी, चार का चुनाव किया और चार की नियुक्ति हुई। पिछली अप्रैल में यह जरूर हुआ था कि इसके पहले भी उप मुख्य अभियन्ता होते थे। बाद में निश्चय हुआ अब उप-

मुख्य अभियन्ता नहीं होगा बल्कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता होंगे। तो पहले से चले आ रहे जो दो उप मुख्य अभियन्ता थे। तदर्थ रूप से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कर दिए गये। लेकिन यह भी हुआ पिछली अप्रैल में। इसलिए नेता विरोधी दल का जो आरोप था बिलकुल निराधार है। इस तरह से माननीय सदस्य देखेंगे कि कोई भी प्रोन्नति शासन पिछले नवम्बर के बाद से नहीं किया जिससे नेता विरोधी दल इस तरह का आरोप लगा सकें।

दूसरा एक और निवेदन है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ठेकेदारों से भी कुछ धन एकत्र किया गया। यह भी निराधार है। ठेकेदार अधिकतर नेता विरोधीदल के दल का साथ देने वाले थे। मुझे ऐसा अपने साथियों से भी मालूम हुआ और अपने जिले के सम्बन्ध में भी जानता हूं। हमारे खिलाफ लड़ने वाले एक ठेकेदार ही थे। अपने भाई को खड़ा किया था। जिले भर के जो ठेकेकार थे, उनके सारे के सारे सहायता करते थे। इसलिए जो भी आरोप लगाये चाहे ठेकेदारों का लगाया या प्रोन्नतियों का लगाया, सारे बेबुनियाद हैं। लगता जैसा है कि इस तरह का समाचार पिछले मार्च के स्टेट्समेंट में निकला था, उसको बुनियाद मान कर नेता विरोधी दल ने ऐसे आरोप लगाये।

(व्यवधान)

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

ऐसा तो नहीं है कि आपको भी दिया हो और उनको भी दिया हो ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं। मेरे खिलाफ थे इसलिए मुझे देने का प्रश्न ही नहीं उठता। नेता विरोधी दल एक बड़े नेता है, हम लोग अधिक से अधिक कृपा मान रहे हैं, बुला कर पूछ लेना चाहिए था, केवल अखबार की बुनियाद पर इस तरह का आरोप लगाना या बयान दे देना, मैं समझता हूं उचित नहीं है। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता—

माननीया सुनीता चौहान।

श्री लक्ष्मण सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने सुनीता जी को मौका दिया, मुझे अफसोस है कि मैं आपका आभार नहीं ले सकती।

श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली)—

अधिष्ठाता महोदया, 12 वर्षों बाद इस आदरणीय सदन में, इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर कुछ कहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए बहुत आभारी हूं। मेरे लिये यह और भी सौभाग्य रहा है कि मैंने जैसे ही आदरणीय सदन में कदम रखा वैसे ही चुनाव की चर्चा हमारे प्रतिपक्ष के नेता की तरफ से प्रारम्भ हुई।

तीन-चार जिलों के साथ हम भी भुक्त भोगी रहे। जहां तक हमारे देश की प्रगति का सवाल है, हमारे नेताओं के सम्मान का सवाल है, हमी नहीं बल्कि सारा संसार यह जानता है कि हमारे नेताओं ने भारतवर्ष का सिर सन्सार में बहुत ऊंचा उठाया है। यही नहीं, माननीया, चाहें देश पर हमला रहा हो, देश की सुरक्षा रही हो, अपने पड़ोसी देश की

[श्रीमती सुनीता चौहान]

मदद का सवाल रहा हो, उसमें सभी पार्टियों के लोगों ने एक मानव की तरह उठकर भारत का नाम ऊंचा उठाने में सहायता की है और भारतवर्ष एक प्रकार से संसार का मार्ग-दर्शक कहा जाने लगा है।

माननीया, मैं ज्यादा कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे चुनाव को लेकर कुछ बातें यहां हुयीं, तो कुछ कहने का अवसर आपसे लेना पड़ा। राज्यपाल के सम्बोधन के समय जो प्रत्यक्ष रूप से यहां प्रतिपक्ष की तरफ से दृश्य देखने को मिला, उससे 100 गुना अधिक मेरे चुनाव के मतगणना के समय देखने को मिला है, काउंटिंग के समय जो आरोप तथा अपशब्द गालियां प्रतिपक्ष द्वारा सुनने को मिलीं हैं, मान्यवर वे शब्द सदन में कहे नहीं जा सकते हैं। कोई भी अपशब्द ऐसा नहीं बचा जो कि काउंटिंग के समय न कहा गया हो। चुनाव के दो दिन पहले यानी 26 तारीख को पहले ही यह अफवाह सारी पार्टियों ने फैलाना शुरू कर दी कि कांग्रेस वाले बैलेट बाक्स उठाए लिए जा रहे हैं। जब कि सारी पुलिस फोर्स वहां लगी हुई थी, पता लगाया तो मालूम हुआ कि सब अफवाह थी। काउंटिंग के लिए 16 टेबिलें लगाई गयी थीं। जब बैलेट बाक्स खुलते थे तो प्रतिपक्ष के लोग यह कहते रहते थे कि गड्डी की गड्डी बाक्स से निकल रही है और वह गड्डी ऐसी है जो कांग्रेस वालों की है। हमारे इलेक्शन एजेंट ने जानकारी की तो मालूम हुआ कि यह सारी गड्डी वाली बात गलत थी। उसके बाद वे लोग चुप हो गए। मेरे कहने का मतलब यह था कि जब न्यायसंगत कोई बात कही जायेगी तो समझ में आती है, लेकिन जब प्रतिपक्ष की तरफ से न्याय संगत कोई बात नहीं कही जाती, केवल कांग्रेस पर दोष देने की बात है तो कोई रास्ता नहीं रह जाता। सिवाय इसके कि इस आदरणीय सदन में सफाई दें। काउंटिंग कराने के बाद जब 24 वोट का अन्तर आया, तो दुबारा हमारे इलेक्शन एजेंट ने मतगणना की मांग की। क्योंकि वह हर प्रत्याशी का अधिकार होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में करीब सन् 67 में कांग्रेस के प्रत्याशियों को पुनः मतगणना इजाजत नहीं मिली थी। क्योंकि यह प्रिसाइडिंग आफिसर के डिस्क्रीशन पर होता है और जब उनको डिस्क्रीशन दिया गया है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमको इजाजत मिली और विपक्ष को नहीं मिली। मैं तो इसमें अमेंडमेंट चाहती हूं कि सौ हों या दो सौ हों, कोई लिमिट होनी चाहिए कि इतने के बीच में एकाउंटिंग का अधिकार होगा। माननीया, लास्ट काउंटिंग जो हुई उसकी मांग बी0 के0 डी0, जनसंघ, कांग्रेस संगठन और एक स्वतन्त्र प्रत्याशी ने की थी। यह नहीं था कि लास्ट काउंटिंग की मांग कांग्रेस वालों ने की थी। इस प्रकार से हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा था तो मैं यही कहूंगी कि मैंने राजनीतिक जीवन में उनका बहुत आदर किया है और उनका आर्शीवाद भी मुझे सदैव प्राप्त रहा है। जब उस दिन में कान्ट्राडिक्ट करने के लिए खड़ी हुई थी तो उनके जरा से टोकने पर ही मैं बैठ गयी थी और आज इसलिए मैं कान्ट्राडिक्ट करने के लिए खड़ी हुई कि उन्होंने उस दिन जो कुछ मेरे क्षेत्र के चुनाव के बारे में कहा था वह सत्य नहीं था। मैं तो यहां तक सहमत हूं कि बिना किसी जुडीशियल इंक्वायरी के जिसकी कि उन्होंने मांग की है, चौधरी साहब स्वयं ही इसकी जांच कर लें।

*श्री लक्ष्मण सिंह---

पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि अध्यक्ष महोदय ने चार-पांच दिन से मुझे मौका नहीं दिया था और आपने मेरी ओर तवज्जह दी। मैंने माननीय राज्यपाल का भाषण पढ़ा और माननीय विरोधी दल का वह भाषण भी सुना जिसमें उन्होंने ईमानदारी से चुनाव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न होने की जांच की मांग की और उसके बाद उप नेता सदन श्री तिवारी जी का भी जवाब सुना। एक अंग्रेजी की कहावत है जिसे मैं कहना चाहूंगा.

If courts cannot give justice, parliament and Assembly will give and if Legislature does not give, people will take.

इसका मतलब है कि अगर अदालत से इन्साफ नहीं मिलता तो असेम्बली और पार्लियामेंट इन्साफ कानून बनायेगी और अगर असेम्बली और पार्लियामेंट भी इन्साफ नहीं देगी तो जनता इन्साफ देगी ।

बहुत छोटी सी बात थी जब नेता विरोधी दल ने कहा कि चुनाव ईमानदारी से नहीं हुए। मैं उसकी तहसील में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मैं यह कहूंगा कि नेता सदन और ट्रेजरी के सदस्यों से कि क्या ऐसी मांग करना बेजा है, क्या ऐसी मांग करने का अधिकार भी विरोधी दल को नहीं है। ईमानदारी से चुनाव नहीं हुए। इसमें जुडिशियल इंक्वायरी न सही पब्लिक के नुमायन्दों से जांच करवा लें और जनता के मन में जो शक है उसे दूर कर दिया जाय। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने यह देखा कि चार दिन से मेरे दूसरी तरफ के दोस्त यह कोशिश कर रहे हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए और उनके कहने से शायद मान लिया जायगा कि चुनाव ईमानदारी से और निष्पक्षता से हुए हैं। लेकिन यह कोई कायदा नहीं है। अगर उनके दिल और दिमाग साफ हैं तो जांच कराने में क्या एतराज है ? उन्हें कहना चाहिए कि अगर कोई शक है तो कोई कमीशन बैठा कर जांच करवा दें। अभी माननीय सदस्या ने अपनी बात बतलाई। इत्तिफाक से मेरे पास एक अखबार है जो कलकत्ता से निकलता है। इसका नाम "स्वाधीनता" है और 23 मार्च का है। जो मैं पढ़ रहा हूं उसकी हेडिंग है "हारेगा क्यों नहीं"।

"रायबरेली से भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार उमाशंकर यादव ने जिद पकड़ ली थी कि चाहे जो भी हो, मैं एम0 एल0 ए0 बनूंगा ही, मेरी जीत होगी ही। कांग्रेसियों ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, हम देखते हैं, वह कैसे नहीं हारता है। फिर तो वोटों की गिनती शुरू हुई। पहली गिनती में उमाशंकर यादव 26 वोटों से जीत गये। शहर में हल्ला मच गया कि भारतीय क्रांति दल जीत गया। श्री यादव अपने समर्थकों को लेकर विजय की शोभा यात्रा की तैयारी करने लगे। कांग्रेसियों ने अचकचाकर देखा, अरे वह जीत गया। कैसे जीत गया। यह कैसे हो सकता है। जरूर कहीं गड़बड़ी हुई होगी। दुबारा गिनती होनी चाहिये। कांग्रेसियों की दुबारा गिनती की मांग पर दुबारा गिनती होने लगी। इस बार की गिनती में यादव जी के वोट फटाफट अवैध होने लगे। उन्होंने इस अवैधता की वैधता को चुनौती दी। लेकिन यह आवाज तूती की थी और वह नक्कारखाना था। गिनती होती, रही, होती रही। उधर पूरा शहर हड़ताल कर नतीजे का इन्तजार करने लगा। लेकिन इस गिनती में भी कांग्रेसी फंसे, उनका हिसाब गोलमाल हो गया और भारतीय क्रांति दल के श्री यादव दो वोटों से जीत गये। अब शहर में हल्ला मच गया भारतीय क्रांति दल वालों ने जुलूस भी निकाल दिया। लेकिन कांग्रेसी अवाक थे। उन्होंने कहा, यह क्या, फिर जीत गया। यार बड़ा चामड़ है। हारने का नाम ही नहीं लेता। एक बार फिर गिनवा दो। श्री यादव दोनों हाथ उठाकर चिल्लाते रहे, मगर फिर गिनती शुरू हो गई। गणना केन्द्र के अन्दर वोटों की लड़ाई और बाहर शहर में लाठी जूतों और ईटों की लड़ाई होती रही। कुछेक घंटों के बाद ही कांग्रेसी गणना केन्द्र के मोर्चे पर जीत हासिल कर शान से बाहर निकले। और यह थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत दिलवाने वाली 213 नम्बर की सीट ? फतह का सेहरा बंधा कांग्रेसी उम्मीदवार श्रीमती चौहान के सिर। फिर तो शहर में पुलिस की लाठियों का वह सैलाब आया, जिसमें वोट पत्र डूब गये....

[श्री लक्ष्मण सिंह]

मैं इनको पढ़ना छोड़े देता हूं। सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि क्या कारण था कि वहां तीन चार बार काउन्टिग हुई ?

हमारे एक माननीय सदस्य के वोटों की गिनती मुजफ्फरनगर में हो रही थी। उन्होंने रिजल्ट एनाउन्स होने के पहले दरखवास्त दी कि काउंटिग दुबारा की जाय। दरखवास्त को खारिज किये बिना काउन्टिग जारी रक्खी गयी और रिजल्ट का एलान कर दिया गया। उनसे कहा गया कि आपने दरखवास्त खारिज भी नहीं की है तो उन्होंने खारिज करने के आदेश दिये। नेता विरोधी दल ने इस प्रकार की बहुत सी मिसालें दी हैं। मैंने भी जो देखा वह बतलाया। सैयद मुर्तजा को केवल 112 मतों से हराया गया लेकिन फिर भी मन्त्रिमण्डल जांच कराने से कतरा रहा है। जनता के संतोष के लिये यह बात बहुत अहम है कि इसकी जांच हो।

तो मेरी केवल यह गुजारिश है कि ट्रेजरी बेन्चेज के लिये विश्वास पैदा करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि एक ऐसा कमीशन बैठे जो इसकी जांच करे।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से यह विनम्र निवेदन करने के लिये प्रस्तुत हुआ हुं कि सदन कृपया माननीय गोरखपुर के सदस्य श्री यादवेन्द्र जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें। श्रीमन्, सबसे पहले उस दिन सदन में जो कुछ हुआ और महामहिम राज्यपाल, महामहिम अध्यक्ष और महामहिम सभापति, विधान परिषद्, जिस गम्भीरता, जिस सौजन्यता और जिस मुद्रा में यहां बैठे रहे उसके लिये महामना राज्यपाल को सारे सदन की ओर से धन्यवाद देना मैं अपना कर्तव्य समझ रहा हूं। मैं श्रीमन्, यह भी कर्तव्य समझता हूं कि आप कृपया इस हेतु भी उन्हें धन्यवाद देने का कष्ट करें कि उस प्रकार की भाव-भंगिमा, मुद्रा, क्रियाकलाप, उछाल, आरोह-अवरोह और हिंसात्मक वातावरण में उन्होंने भी अपनी गभीरता बनाये रखा। श्रीमन्, मैं नेता विरोधी दल को भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम एक मायने में वह सरकार से सहमत प्रतीत हुए। पार्लियामेन्ट्री पद्धति और प्रक्रिया यह है कि धन्यवाद के प्रस्ताव में, अगर नीति का मतभेद हो, तो संशोधन प्रस्तुत किया जाता है। श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने कोई भी संशोधन धन्यवाद के प्रस्ताव में, सरकार की जो वर्तमान नीतियां हैं, उनके विरोध में नहीं दिया है। मैंने कई बार उनका संशोधन पढ़ा जो सूक्ष्म भी है और एक विषय को लेकर है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर माननीय नेता विरोधी दल के कोई और संशोधन न देने से यह सदन यह अर्थ लगायें कि उनका नीति का मतभेद नहीं है—केवल चुनाव के सम्बन्ध में या सरकार के गठन के सम्बन्ध में मतभेद है—तो मान्यवर यह बहुत बड़ी बात होती है, अर्थात् नेता विरोधी दल, जो सरकार की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम हैं उनसे असहमत नहीं हैं, केवल सरकार के गठन से असहमत हैं।

श्रीमन्, मैं दूसरी विरोधी दलों के नेताओं को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जिसको माननीय नेता विरोधी दल ने किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों से प्रेरित होकर अंत में लिखा, (चाहे वे जनसंघ हों, सोशलिस्ट हो, या दूसरे लोग हों), कि—अतएव जनता को किसी भी प्रकार, अर्थात् हर प्रकार, के तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। यह माँग किसी भी विरोधी दल ने नहीं की। नेता विरोधी दल ने भी कहा कि वह इससे सहमत नहीं है, लेकिन जनता को यह कहने का अधिकार है। श्रीमन्, नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी इस सदन के प्रति नेता विरोधी दल के पद से भी अधिक है, क्योंकि वह इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य भी हैं और हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त है कि एक वरिष्ठतम सदस्य होने के नाते उनसे पार्लियामेन्ट्री पद्धति और प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। श्रीमन्, वह स्वीकार करेंगे कि यह स्पष्ट विरोधाभाष है कि एक तरफ वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा यह विचार नहीं है और हम नहीं चाहते हैं, लेकिन जनता

को अधिकार होगा । यह विरोधाभास है । मैं बड़े अदब के साथ भारतीय क्रान्ति दल का सबसे आखिर जो मैनिफेस्टटो है और जो ऐम्स एण्ड प्रिन्सिपल्स के नाम से भारतीय क्रान्ति दल की तरफ से प्रकाशित किया गया है उसको पेश करना चाहता हूं । इस घोषणा पत्र के फोरवर्ड में उनके महामंत्री ने आखिर में कहा है—

"At the same time, an authoritative embodiment of the thought of Shri Charan Singh the founder, the leader and the guide of Bhartiya Kranti Dal."

इसमें जो गाइड लाइन्स दी हुई हैं जो सिद्धान्त एवं नीतियां वर्णित है, जो मार्ग दर्शन दिया हुआ है वह दल के संस्थापक श्री चरण सिंह के विचार के अनुरूप हैं ।

मैं आपका ध्यान इस पुस्तिका के पृष्ठ 7 की ओर ले जाना चाहता हूं—

"BKD stands firmly against all attempts to erode the authority of government as expressed in the form of law. It, would, therefore, curb with a strong hand all subversive and disintegrating forces or tendencies whether they raise their head in the name of a political ideology, region, language or community."

भारतीय क्रान्ति दल मजबूती के साथ हर उस कदम के खिलाफ है जो अराजकतापूर्ण है और कानून को न मानता हो । अतः वह ऐसे सभी तत्व को मजबूत हाथों से खत्म करने के पक्ष में है । जो देश को बिखेरने वाले है, प्रतिक्रियावादी है, चाहे वह किसी नाम से अथवा विचार-धारा से अपना सिर उठाये चाहे वे राजनीति विचारधारा, क्षेत्रवाद, अथवा भाषा, अथवा सम्प्रदायवाद को लेकर खड़े हो ।

"BKD believes in the maxim that Government, elected as it is by the people, is entitled to take every step and employ every means that the Constitution always or places at its disposal, in order to defend itself against the emergence of a parallel power in the country which defies or challenges its authority."

बी० के० डी० इस सिद्धान्त में विश्वास रखती है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जैसी हो को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह प्रत्येक ऐसा कदम उठा सके और प्रत्येक ऐसी कार्यवाही कर सके, जो उसे संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त है, जिससे वह किसी समानान्तर रूप से उत्पन्न हो रही हो और जो सरकार की क्षमता को चुनौती देती हो, के विरुद्ध अपना बचाव कर सके ।

यह बी० के० डी० का बुनियादी सिद्धान्त है । इस प्रकार बी० के० डी० किसी प्रकार की अव्यवस्था पैदा होने देना नहीं चाहती है, लेकिन जो यह संशोधन पेश किया गया है यह उसके सिद्धान्त एवं कार्यक्रम के बिल्कुल विपरीत है । माननीय नेता विरोधी दल को आज तक की जो इमेज बनी हुई है उसके यह विपरीत है । इसके साथ ही साथ 1 मार्च को जो उन्होंने बयान दिया था उसमें भी उन्होंने चुनाव की धांधलियों का जिक्र न करते हुए यह कहा कि बी० के० डी० विरोधी दल के रूप में कार्य करता रहेगा और कमीशन की मांग उस समय नहीं की गयी । आप जानते है कि संविधान में इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया है । अनुच्छेद 324 (5) में दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के जो मेम्बर है वे केवल इम्पीचमेंट के जरिये से ही निकाले जा सकते है जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इम्पीचमेंट के जरिये से ही निकाला जा सकता है । इलेक्शन कमीशन गह यह स्वायत्तता प्रदान भी गयी है कि जज कहां चुनाव पिटीशन चुनेगा और इसे भी हाई-कोर्ट का चीफ जस्टिस तय करेगा, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता । और जब कि एक व्य-वस्था संविधान में बनी हुई है और जिससे स्पष्ट है कि यह सारे उच्चतम न्यायालय में ही तय होते रहे हैं तथा जिसका उल्लेख माननीय नेता विरोधी दल ने भी किया है तो फिर दूसरा

[श्री नारायणदत्त तिवारी—]

कमीशन बैठाने का कोई औचित्य नहीं हो चाहिये। वे कहते है कि एक नया कमीशन बनाया जाय। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से बढ़ कर यह कमीशन नहीं होगा। श्रीमन्, इस प्रकार के कमीशन का कोई कानूनी पहलू नहीं होगा, कोई आधार नहीं होगा। ऐसा कमीशन बनाने से सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन तक कमीशन तथा हाई कोर्ट की मर्यादाओं को दूषित करना ही होगा।

श्रीमन्, मैंने दूसरे दलों के नेताओं की प्रतिक्रियायें भी देखी। मैं अपने प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री चन्द्र भानु गुप्त जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि मैं जनता की अदालत में हार गया मुझे यह हार स्वीकार है। उन्होंने एक ऊंचे स्तर का बयान दिया मेरे पास उनका बयान है—

"Congress (O) leader Mr. C.B. Gupta, today conceded that his party was certainly defeated before the people's court and said he bowed to their verdict."

उन्होंने कहा कि वह स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस (ओ) जनता की अदालत के सामने चुनाव अवश्य हारी है और वह जनता के फैसले के सामने अपना सिर झुकाते हैं। यह एक उच्च स्तर का बयान है जो उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से प्रस्तुत किया है जो एक मर्यादा पर चलने वाला था।

श्रीमन्, जनसंघ दल ने भी जो बयान निकाला है उसका विश्लेषण भी मेरे पास है। उन्होंने भी किसी कमीशन की मांग नहीं की है और न इन्डेपेन्डेन्ट जांच की मांग की है। मेरे पास 6 मार्च का मदर लैण्ड अखबार है जो कि जनसंघ का है इसमें कहा गया है कि—

"The Bharatiya Jana Sangh, Working Committee in its resolution on U.P., elections urged the Election Commission to institute an enquiry into all allegations of 'faul play' which have been brought to its notice by the candidates concerned."

भारतीय जनसंघ की वर्किग कमेटी ने अपने उत्तर प्रदेश चुनाव से सम्बन्धित संकल्प में कहा कि इलेक्शन कमीशन से यह कहा जाय कि वह सम्बन्धित उम्मीदवार द्वारा लगाये गये बेईमानी के समस्त आरोपों की जो उसकी जानकारी में लाये जायें उनकी जांच करे। उन्होंने कहा कि लिस्ट सिस्टम जैसा कि जर्मनी में है, उसी तरह यहां किया जाय। साथ ही साथ इलेक्शन के बारे में जो समीक्षा की गई है उसमें उन्होंने कहा कि—

"In the U.P. Assembly poll just conculded, the Jana Sangh has improved upon its 1969 position. Its strength has grown from 49 to 61. Other major opposition parties have somewhat declined. The BKD has come down from 98 to 81, the SSP from 33 to 21, and the Swatantra from 5 to 1."

"Vis-a-vis its 1969 position, the ruling Congress strength has grown but marginally, from 211 to 215. But as compared to its strength of 272 in the dissolved Assembly it has suffered a staggering loss of nearly 60 seats."

जनसंघ प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि कांग्रेस ने 215 सीटें जीती हैं लेकिन जो एसेम्बलीज में उनकी संख्या 272 थी उसमें 60 सीटों की कमी हो गयी। यह जनसंघ की केन्द्रीय वर्किंग कमेटी का विश्लेषण है। इससे यह स्पष्ट होता है और हो सकता है कि कहीं अनियमितता स्थानीय रूप से 5 हुई हो, कहीं बैलेट बाक्स टूट गया हो, सील न लगी हो या किसी कारण कोई घटना हुई हो। लेकिन आम तौर पर जो विरोधी दल है उनकी कोई शिकायत चुनाव के पहले कि रिगिंग वगैरह हुई है यह नहीं रही है। मेरे पास कुल आंकड़े मौजूद हैं। इस प्रदेश

में जो आम चुनाव हुआ उसमें 60457 पोलिंग स्टेशन थे और 37 हजार प्रिजाइडिंग आफिसर्स रहे, 1 लाख 11 हजार पोलिंग क्लर्स रहे, और 2 लाख के करीब बैलेट बाक्सेज रहे। अधिष्ठात्री महोदया, हम भी जानते हैं कि जो तमाम बैलेट बाक्स थे, ऐसा नहीं था कि अलग-अलग उम्मीदवार के अलग-अलग बैलेट बाक्स रहे हों, सब उम्मीदवारों के लिये एक ही बैलेट बाक्स था और सारे बैलेट एक ही बक्से में डाले जाते थे। इन दो लाख बैलेट बक्सों में कुल शिकायतें कितनी आयीं, यह मैं आपको बतलाता हूं। कुल शिकायतें 161 प्राप्त हुई। 60,457 पोलिंग स्टेशनों में केवल 161 शिकायतें आयीं। बैलेट बक्सों की सील वगैरह टूटने की कुल 11 शिकायतें आयीं और गिनती की कुल 17 शिकायतें आयीं। बैलेट पेपर्स के सम्बन्ध में शिकायतें कि वे ऊपर नीचे हुए, कुल 18 शिकायतें आयीं और अन्य शिकायतें 115 यानी कुल मिला कर 161 शिकायतें थीं। अब अधिष्ठात्री महोदया, आप अन्दाजा लगायें कि इतना बड़ा चुनाव जिसमें 2 लाख बैलेट बाक्सेज इस्तेमाल हुए हों, 37 हजार प्रिसाइडिंग आफिसर हों, इतनी बड़ी मशीनरी ने काम किया हो, वहां कुल 161 शिकायतें आयीं तो मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा....

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

वोट्स कितने पड़े हैं उसका भी हिसाब लगावें कि हमारे वोट्स इतने हुये हैं तो आपका आर्गूमेंट मजबूत हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

तो ये आंकड़े ऐसे हैं जो मेरे नहीं है, सारी लिखित शिकायतें है। और इस तरह की 161 शिकायतें आयीं हैं तो मैं माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि वे विचार करें कि किस प्रकार कहा जा रहा है कि सारा चुनाव असंवैधानिक रहा जो जनता की भावनाओं का सही प्रतिबिम्ब है।

अब मैं दूसरे ढंग के आंकड़े देता हूं। आप देखें कि इस चुनाव में जो कहा जाता है कि कांग्रेस ने कुछ आखिर में किया, यह सही बात है कि कांग्रेस को जो वोट पड़े उसका लगभग सामान्यतः वही प्रतिशत था जो पहले चुनाव में पड़ते रहे। सन 62 में कांग्रेस को, कितने वोट पड़े उसका 36.3 प्रतिशत वोट मिला जबकि नेता विरोधी दल हमारे पक्ष में थे और नेता थे। सन् 67 में कांग्रेस की कुल जितने वोट पड़े उसका 32.15 प्रतिशत मिला। सन् 69 में कांग्रेस को, कुल जितने वोट पड़े उसका 33.68 प्रतिशत मिलता और इस बार सन् 74 में जो चुनाव हुआ उसमें 32.27 प्रतिशत मिला। तो आप देखेंगे कि 32,33 और 36 प्रतिशत इन रेंज में कांग्रेस को पिछले चार आम चुनाव में विधान सभा के लिये मत पड़े। तो इसमें रिंगिग कहां से आ गयी, यह तो करीब करीब वही आधार रहा। आप देखें कि कांग्रेस को इस आम चुनाव में कुल 88 लाख 76 हजार वोट पड़े, यानी कुल का 32.36 प्रतिशत। भारतीय क्रांति दल को 58 लाख 20 हजार वोट पड़े, यानी कुल मतों का 21.16 प्रतिशत। भारतीय जनसंघ को 46 लाख 86 हजार वोट पड़े यानी कुल मतों का 17 प्रतिशत। अन्य दल, इंडिपेन्डेन्ट वगैरह को मिला कर 81 लाख 25 हजार वोट पड़े यानी 34.54 प्रतिशत। यह पूछा गया कि कांग्रेस के खिलाफ कितने वोट पड़े, तो कांग्रेस को कुल 88 लाख 67 हजार वोट पड़े और कांग्रेस के खिलाफ सब पार्टियों का हिसाब लगावें तो 1 करोड़ 79 लाख वोट पड़े यानी कुल मतों का यह 69.78 प्रतिशत होता है। तो अब यह कहना कि जो हमारा सिस्टम है वोटिंग का उसके मुताबिक बी0 के0 डी0 या जनसंघ जहां जीतते वहां भी उन्हें एडवांटेज मिले। अगर उनको 100 वोट ज्यादा मिले तो वह विजयी हुए। इसका अर्थ यह नहीं है कि बेईमानी हुई बल्कि इसका अर्थ यह है कि 1962, 1967, तथा 1967 में जिस सिस्टम में विजय हुई थी आज भी वही प्रभावी हुआ और हमें बहुमत मिला।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यह कहा गया कि माननीय प्रधान मन्त्री ने तमाम शिलान्यास किये और वायदे किये और वोट लिये गये । अब मैं खेकड़ा से ही शुरू करूंगा । माननीय नेता विरोधी दल ने जिक्र किया सहारनपुर शहादरा रेलवे लाइन का और उसका शिलान्यास खेकड़ा में हुआ जब कि बीच में पड़ता था । उसमें बी0 के0 डी0 जीती और मेरठ जिले में जहां जहां यह रेलवे लाइन जाती थी वहां की सीटें भी बी0 के0 डी0 जीती । अगर उनका तर्क सही होता तो सारी सीटें कांग्रेस को जीतनी चाहिये थीं । आप देखें कि छपरौली, बागपत, खेकड़ा और बरनावा में चारों सीटें बी0 के0 डी0 जीती । बांदा यमुना और केन नदी का शिलान्यास हुआ और वहां पर भी सारी सीटें विरोधी दल को ही मिलीं । गाजीपुर में गंगा का पुल बनाया गया, जिसके लिये जनता की बहुत पुरानी मांगें थी, वहां भी बी0 के0 डी0 को ही सारी सीटें मिलीं । इसमें वोट खरीदने की कोई बात नहीं है । नरोरा पावर स्टेशन का जिक्र किया गया । वहां पर अनूपशहर और डिबाई की दो सीटें हैं । डिबाई की सीट जनसंघ को मिली और अनूपशहर की सीट बी0 के0 डी0 जीती । (व्यवधान) (कई लोगों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग कृपया बैठिये । उनका भाषण सुनिये ।

श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)--

इसकी जांच कराई जायगी तो पता चलेगा कि कांग्रेस ने किस तरह से भ्रष्ट तरीका अपनाया है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप तशरीफ रखिये । उनको बोलने दीजिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं निवेदन कर रहा था कि मथुरा में जहां बड़ी भारी रिफायनरी लग रही है और दो साल से उस पर काम हो रहा है । वहां पर सारी सीट्स बी0 के0 डी0 ले गई । मिर्जापुर में जहां ओबरा और डल्ला सीमेन्ट प्लान्ट है वहां पर दो-तीन सीट्स जनसंघ ले गया । इसी तरह से इलाहाबाद में फर्टिलाइजर फैक्टरी का शिलान्यास हुआ । वहां भी बी0 के0 डी0 जीती । यह कहना कि वोट लेने के लिये शिलान्यास किये गये तो उचित नहीं होगा । उत्तर प्रदेश के विकास के लिये प्रधान मन्त्री जी ने यह पहली बार फैसला किया । यह स्पष्ट है कि बिना इस बात के सोचे कि कौन जीतेगा, क्या होगा, केन्द्रीय सरकार ने, इंदिरा गांधी ने जो जनता की मांग थी कि प्रदेश के साथ न्याय हो, इसका पिछड़ापन दूर करने के लिये, अधिक से अधिक सहायता दी बिना इस बात का विचार किये कि वोट मिले या न मिले । नरौरा में भी जनसंघ के एम0 एल0 ए0 थे, बिना इस बात को देखे हुए कि कौन किस पार्टी से एम0 एल0 ए0 है, समान भाव से प्रेरित होकर कार्य किया गया, कार्य किया जा रहा है और किया जायगा । मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या चुनाव के कारण काम बन्द कर दिए जायें ? काउन्सिल का चुनाव आने वाला है । तमाम सदस्यों को अपने उम्मीदवार खड़ा करना होगा । 28 तारीख को वोटिंग होने वाली है, फिर जिला परिषद् के चुनाव आने वाले हैं । प्रजातंत्र में ग्राम सभा से लेकर लोक सभा तक निरन्तर चुनाव होते रहते हैं । तो क्या जो इतना तमाम मांगे आ रही हैं कि सड़कें बनें बिजली लगे यह सब कार्य चुनाव के कारण बन्द कर दिए जायें ? मैं यह निवेदन कर रहा था कि लोक सभा के चुनाव 76 में होने वाले हैं । अभी जिला परिषद्, गंन्ना समितियों के चुनाव होने वाले हैं । प्रजातंत्र में चुनाव होते रहते हैं । तो क्या चुनाव के कारण काम बन्द कर दें ? यदि ऐसा किया जा तो फिर विकास के कार्य नहीं हो सकेंगे ।

मेरा कहना है कि संविद सरकार जब 1971 में बनी थी सूचना विभाग की ओर से एक पैम्फलेट छपा था। उस समय टी0 एन0 सिंह की मिनिस्ट्री थी। हम विरोधी दल में थे। लोक सभा का चुनाव हो रहा था और यहां दूसरी संविद सरकार काम कर रही थी। उस पैम्फलेट में लिखा है कि 15 करोड़ से लेकर 27 करोड़ तक का बढ़ा लगान माफ कर दिया गया। तो क्या यह रिश्वत मानी जायेगी? लोक सभा के चुनाव के कुछ दिन पहले यह पैम्फलेट खुशहाली का बांटा गया जिसकी 2 लाख 50 हजार प्रतियां सूचना विभाग की ओर से बांटी गयीं। हो सकता है कि नेता विरोधी दल को इसकी जानकारी न हो।

चौधरी चरण सिंह--

यह जो ऐक्शन्स हैं जिनकी कि इन्फारमेशन दी गयी ये कब हुए थे? आपके ऐक्शन्स चुनाव के ठीक पहले हुए थे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अब मैं यह निवेदन कर रहा था कि चुनाव कांग्रेस ने जीता। हिन्दुस्तान टाइम्स का उल्लेख माननीय नेता विरोधी दल ने किया कि हिन्दुस्तान टाइम्स का फलां फलां पेज देखें और उस हिन्दुस्तान टाइम्स में जिसका उल्लेख माननीय नेता विरोधी दल ने बार-बार किया। उसकी जो कटिंग मेरे पास है वह 21 फरवरी की हिन्दुस्तान टाइम्स की जिसका उन्होंने कोटेशन दिया। मैं उसको पढ़ देता हूं।

"Tilt towards Congress in U.P." "If the shift in people's mood, noticeable over the last few days, signifies any meaningful pattern, a distinct possibility of the Congress securing an absolute majority in the 425-member U.P. Assembly may be predicted."

अगर पिछले कुछ दिनों में जो जनता के मनोभावों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसका यदि कोई अर्थ पूर्ण प्रतिमान लगाया जा सकता है तो उससे अर्थ निकलता है इसकी स्पष्ट संभावन हो गई है कि 425, सदस्यीय यू0 पी0 असेम्बली में कांग्रेस को बहुमत मिल जायगा और इसी में आगे लिखा है। यह 21 फरवरी का टाइम्स आफ इंडिया है। मैं अपनी इस धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं उसके कोटेशन को पढ़ देता हूं :--

"More than any one else, Mr. Charan Singh will be shocked beyond imagination, if he fails to assume command of the State in the prevailing scarcity and administrative inefficiency. Most people do not doubt his personal integrity to provide a clean Government. However, he forgets that public memory is not as short as the proverb goes. True a sudden change was discernible from top to bottom when he became the Chief Minister in April, 1967."

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

हिन्दुस्तान टाइम्स में जो चौधरी साहब ने लिखा है वह तो तथ्य दिया था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इनको यह ताज्जुब हुआ कि डेढ़ सौ से ज्यादा सीटें क्यों इस इलेक्शन में कांग्रेस को आ गई। हिन्दुस्तान टाइम्स ने तीन चार दिन पहले कह दिया था कि अब जनता का रूझान कांग्रेस की तरफ आ रहा है।

"The fact that he had joined hands with corrupt Congress-men to become Chief Minister again in 1970 and was at one stage even prepared to merge the BKD in the Congress, is not history."

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

It would be self-deception if the Congress leaders think the party is going to secure easy entry into the legislature. In fact, the one thing that has been highlighted is the conspicuous absence of the Congress as an organisation, although there is no dearth of Congressmen. Congress committees in most district are either defunct or disabled. The prestige of Congressmen fluctuates in direct proportion to the influence they can exercise on officials at various levels.

अधिष्ठात्री महोदया, एक दूसरा अखबार है "इंडियन एक्सप्रेस" 18 फरवरी का, इसमें लिखा है:--

The Congress has regained considerable ground it had been losing fast to the opposition parties for over three weeks. The improvement in the prospects of the Congress is admitted in private conversation even by its opponents.

पिछले दिनों में कांग्रेस ने बहुत कुछ अपनी स्थिति को फिर प्राप्त कर लिया है जो उसने पिछले तीन हफ्तों में खो दिया था और कांग्रेस की स्थिति में जो सुधार हुआ है उसे विरोधी पक्ष अपनी आपसी बातचीत में स्वीकार कर रहे हैं--

"As the position stands to-day, after four weeks of electioneering the the Congress appears have pulled the chest nuts out of the fire and re-gained considerable ground it appeared to have lost when the compaign-ing began. The ruling Congress with 270 seats in the 425 member house may find its wings clipped but scrape through to manage the affairs of the state."

यह इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स आफ इंडिया ने भी इसी प्रकार कहा है। अधिष्ठात्री जी, टाइम्स आफ इंडिया ने बतला दिया है कि प्रधान मंत्री के दौरों उत्तर प्रदेश में हवा बदल दिया है।

(इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लगातार एक के बाद उनके डिस्पेजेज आते रहे। इसी प्रकार से "स्टेटमैन" और दूसरे अखबार जो हैं, उन अखदारों में जो राष्ट्रीय स्तर के अखबार माने जाते हैं, पार्टियों के नहीं हैं, उन्होंने भी ऐसे तथ्यों को स्वीकार किया है और यह कहा है कि कांग्रेस की विजय अब निश्चित दिखायी देती है। इस सम्बन्ध में मैं जनसघ के पांचजन्य ने भी इस बात को स्वीकार किया है अपने एडिटोरियल में उन्होंने कहा है कि--

"आत्म चिन्तन की आवश्यकता"

क्या कमी केवल साधनों की है? क्या संगठनात्मक त्रुटि नहीं है? क्या चुनाव की मौलिक योजना और भूमिका के संदर्भ में आत्म चिन्तन की आवश्यकता नहीं है? क्या चुनाव की मौलिक योजना और दृष्टि दुरुस्त थी। क्या जनसंघ की सरचना और भूमिका के सदर्भ में आत्मचिन्तन की आवश्यकता नहीं है।" इसके आगे इसी समाचार पत्र ने आखीर में अपने उत्तर में कहा है कि "गरीब तबका जिसके मतों की संख्या सर्वाधिक है उसमें जनसंघ अभी नहीं पहुंच सका है। यह वर्ग अभी भी उसे निहित स्वार्थों का प्रतीक मानता है। कांग्रेस का यह प्रचार कि "इंदिरा जो तो रूस तक से अनाज मंगा कर भेज रही है लेकिन ये बनिए उसे बेच रहे हैं ताकि कांग्रेस बदनाम हो जाय और चुनाव हार जाए। इनकी दुकानों पर देखिये जनसंघ के झंडे लगे हैं। जनसंघ इस प्रचार के असर को दूर करने में सफल नहीं हो सका है"।

तो जब आप गम्भीर मुद्रा में आत्म चितन करने बैठते हैं तो जो सच्चाई है, उसको स्वीकार करते हैं। इसलिये मैं माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि

हम सब इस चुनाव का आत्म विश्लेषण करें, एनलिसिस करें और सबक लें । हमें भी, कांग्रेसजनों को, भी, हमारे दल और हमारी सरकार को भी निरन्तर ध्यान रखना है कि हमारे विरोध में 1 करोड़ 79 लाख वोट कैसे पड़े और यह स्वयं एक चुनौती है। हमें निरन्तर सतर्कता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ अपने कार्यक्रमों को अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को व्यवहारिक रूप प्रदान करना है। हमारे लिए भी यह उतनी ही चुनौती की बात है। हमारे लिए आत्म-चिन्तन और विश्लेषण होना आवश्यक है। लेकिन जनता ने जो फैसला किया, इस चुनाव में उसको यह कहना कि बेईमानी हुई है, अमर्यादापूर्ण कार्य हुआ, रिगिंग हुयी, जनतंत्र के महत्व को घटाना है, जनता के विश्वास को कम करना है और अगर इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया तो इतिहास माफ नहीं करेगा।

माननीय नेता विरोधी दल ने करप्ट प्रेक्टिसेज का हवाला दिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जिसमें ओम प्रभा जैन बनाम अभाष चन्द का उल्लेख किया। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो कोटेशन माननीय नेता विरोधी दल ने दिया वह सत्य से परे है। उन्होंने शायद हिन्दुस्तान टाइम्स में जो छपा है, वह पढ़ दिया। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि मैं बड़ा सजग हूं लेकिन मैं अपने से ज्यादा सजग माननीय नेता विरोधी दल को मानता हूं। अगर वे बजाय कोटेशन के फैसले को पढ़ लेते तो सही तस्वीर उनके सामने आ जाती और अगर वे जो ओरिजिनल फैसला है, उसको पढ़ लेते तो पता चल जाता कि उसमें ईविल प्रैक्टिस तो बताया है लेकिन करप्ट प्रैक्टिसेज नहीं बताया है। मैं उस सारे कोटेशन को पढ़ देना चाहता हूं:

"In Ghasi Ram *V/s.* Dal Singh (Minister Haryana) 1968 (3) S.C. R. 102 and Om Prabha Jain V/s Abhas Chand, 1968(3) S.C.R. 111, this Court considered acts of Ministers, who were candidates at elections in relation to using discretionary fund on the eve of the election."

जो विवेकाधीन कोष है उसके खर्च का मुद्दा था। ओम प्रभा जैन जो मंत्री थीं वह सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए गयी थीं कि यह हाईकोर्ट का जो फैसला है कि यह करप्ट प्रैक्टिस है, यह गलत है और मेरा चुनाव बहाल किया जाय। माननीय नेता विरोधी दल ने बतलाया कि फैसला ओम प्रभा जैन के खिलाफ हुआ है। वास्तव में ऐसा नहीं है। उनकी अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया और हाई कोर्ट ने जो करप्ट प्रैक्टिस का चार्ज लगाया था उसको नामंजूर किया और ओम प्रभा जैन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है। मैं पढ़ दूं—

"Two propositions were established. First, the position of a minister is difficult. It is obvious that he cannot cease to function when his election is due."

दो बातें स्पष्ट आयीं। उन्होंने कहा कि मंत्री की पोजीशन बड़ी परेशानी की है। वह मंत्री की हैसियत से अपना काम बन्द नहीं कर सकता। उसको गलतियों को जरूर देखना होगा—

"He must of necessity attend to the grievances otherwise he must fail"

अगर यह जनता की जरूरतों और कठिनाइयों को नहीं देखता और दूर नहीं करता तो वह असफल हो जायगा—

"He must improve the image of his administration before the public."

जनता के सामने अपने शासन की जो तस्वीर है, जो दृष्टि है, जो प्रकार और आकार है उसको स्पष्ट करना होगा और उसे सुधरा हुआ दिखाना होगा:

"If everyone of his official acts done bonafide is to be construed against him and an ulterior motive is spelled out of them, the administration must necessarily come to a stand still."

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अगर हर सरकारी कार्य को उसके खिलाफ कहा जाय और उसके लिए यह कहा जाय कि उसने किसी बुरी नियत से यह सब काम किया तो सारा शासन ठप हो जायगा :

"Within an election in the near future the political party had to do acts of a public nature. The grants of discretionery grants were part of the general scheme to better community development projects and to remove the immediate grievances of the public."

जब कोई चुनाव निकट भविष्य में आता है तो राजनीतिक दल को सार्वजनिक प्रकार के काम करने पड़ते हैं। जो विवेकाधीन कोष से ग्रांट होते है वह सामान्य विकास की योजनाओं को सुधारने और जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए शामिल थीं :

"The money was required to be spent in three months time. The action of the minister had often the concurrence and recommendations of his subordinate staff."

और यह रुपया तीन महीनों में खर्च करना था उसमें स्टाफ की रजामन्दी शामिल थी :

"It is for this reason that the orders about the improvement an supply of waters were not pressed."

इसलिए जो आदेश पानी की सप्लाई के बारे में थे उन पर ज्यादा जोर नहीं किया गया :

"To arrange to spend money on the eve of election in different constituencies although for general public good, is when all is said and done an evil practice, even if it may not be corrupt practice."

जो "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपा है कि करप्ट प्रैक्टिस थी, वह गलत छपा है। मैंने ओरिजिनल पुस्तिका देख ली, वह मेरे पास मौजूद है। उसमें है कि चुनावों के ठीक पहले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आम जनता के लिये पैसे का खर्च करना या पैसे का इन्तजाम करना एक गलत प्रैक्टिस है, भले ही यह करप्ट प्रैक्टिस न हो।

"The dividing line between an evil practice and a corrupt practice is a very thin one."

दोनों के बीच में जो फर्क है भले ही कम हो लेकिन उन्होंने कहा कि वह करप्ट प्रैक्टिस नहीं है।

चौधरी चरण सिंह--

आप 'ईविल' ही मान लीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वह फिर फैक्ट्स के ऊपर है, मामले के तथ्यों पर आधारित है। मेरा निवेदन यह है कि केवल "हिन्दुस्तान टाइम्स" के लेख पर जो नेता विरोधी दल ने हमें सूचना दी वह सत्य से परे थी। मुझे विश्वास है कि वह सारे फैसलें को निकाल कर अपनी जो बंधित सूचना है उसे सुधार लेंगें।

श्रीमन्, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, हर पार्टी को अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो निकालना होता है हर पार्टी को इलेक्टोरेट्स से अपने वादे करने होते हैं कि हम यह करेंगे। कोई कहता है हम कर माफ करेंगे, कोई कुछ कहता है। तो क्या यह सारे वादे घूस मान जायेंगे ? क्या करप्ट प्रैक्टिस मानी जायगी ? क्या इन वायदों को कि हम इस जिले म यह करेंगे, योजना में यह तब्दीली करेंगे या जितने इलेक्शन मैनिफेस्टो के वायदे हैं और जो क्षेत्रीय वायदे ह अगर हर पार्टी के वायदों को भ्रष्टाचार, घूसखोरी और रिश्वतखोरी माना जाय

तो फिर चुनाव की कोई परिपाटी चल नहीं सकती । तो मैं यह आग्रह करूंगा कि इस दृष्टि-कोण से भी आप कृपया इन तथ्यों पर विचार करें ।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में और भी बहुत ही बातें कही गयीं । यह कहा गया कि इसमें चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का जिक्र नहीं है । यह कहा गया कि इसमें भूमिहीनों के लिये या भूमि के बंटवारे आदि के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । आप देखेंगे कि इस भाषण में प्रत्येक ऐसी महत्वपूर्ण योजना का उल्लेख किया गया है जो आज प्रशासन और शासन के हित में आवश्यक है । आप देखेंगे कि इस अभिभाषण में भार्गव कमेटी का जिक्र है कि सरकार चीनी निगम को सुदृढ़ बनायेगी ताकि भार्गव कमेटी के निर्णयों को लागू करने में वह सक्षम हो सके । हो सकता है कुछ माननीय सदस्यों को भार्गव कमेटी की पूरी जानकारी न हो । यह भार्गव कमेटी चीनी मिलों के टेक-ओवर के लिये भारत सरकार ने गठित की थी और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत हो गयी है जो उसके विचाराधीन है और यह अपेक्षा की जाती है कि जल्दी ही इस संबंध में निर्णय हो जायगा । तो हमने जो शुगर कारपोरेशन बनाया था उसको हम इस योग्य बना रहे हैं इसी अभिभाषण में लिखा हुआ है कि अगर भार्गव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र यह निर्णय ले लेता है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो तो शुगर कारपोरेशन उनको ले सके । तो इसमें स्पष्ट है कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिये तैयार हैं ।

इसमें स्पष्ट घोषणा है कि जो भूमिहीन हैं या जिन्होंने सीलिंग की जमीन को फर्जी इन्दराज कर के बचाने की कोशिश की है, जिन्होंने गांव समाज की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया है या गलत इन्दराज के जरिये कब्जा किया है उसकी जांच के लिये एक विशेष व्यवस्था का उल्लेख है । इसमें विशेष समितियों का भी उल्लेख है । इस सरकार के द्वारा जो भूमि का वितरण होगा, जो लोग बेघर हैं उनके लिये विशेष प्रबन्ध करने के लिये कमेटियों का गठन किया जायगा ।

इस अभिभाषण में जो हरिजन और दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन पर अगर कहीं कोई अत्याचार होता है तो उसके लिये विशेष व्यवस्था का जिक्र है। उनको जो विशेष सुविधायें दी गयी हैं, वह सुनिश्चित हों, इसके लिये प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक स्वायत्त शासकीय बोर्ड का गठन हो रहा है, जिस में जज स्तर के लोग अध्यक्ष होंगे और जो देखेंगे कि हरिजनों और अल्पसंख्यकों को जो विशेष सुविधायें दी गयी हैं उनका ठीक प्रकार से इस्तेमाल होता है । पहली बार यह व्यवस्था की गयी है ।

घूसखोरी और भ्रष्टाचार के निवारण के लिये विशेष अध्यादेश जारी किये गये हैं । मिलावट करने वालों को आटोमेटिक कम से कम कितनी सजा होगी इसके लिये भी आर्डिनेंस निकाले गये हैं और सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं ।

इस बात की शिकायत रही है कि तेजी से काम क्यों हुआ है। आज इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये, यहां के प्रशासन को चुस्त करने के लिये यहां के आर्थिक विकास को तेजी से करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि यहां पर एक शक्तिशाली प्रशासन हो और यह सौभाग्य का विषय है कि इस प्रदेश में माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा के नेतृत्व में एक शक्तिशाली प्रशासन बना और हमें एक युवा नेतृत्व भी प्राप्त हुआ है जिसके कारण प्रदेश में तेजी से काम हो रहा है, लालफीता शाही का अंत हो रहा है और आनन फानन स्पाट निर्णय करने का भी काम तेजी से हो रहा है । (व्यवधान)

एक सदस्य--

27 वर्षों में क्या हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उसमें जो कुछ हुआ उसमें माननीय ेता विरोधी दल भी हमारे एक सहयोगी थे।

(व्यवधान)

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब दलों के भेद भाव को भुला कर, निश्चित बातों को लेकर, आगे बढ़ें। विश्व के सामने आज एक आर्थिक संकट है। कौन नहीं जानता कि कम्युनिस्ट देशों को छोड़कर मुद्रास्फीति आज सारे विश्व में छाई हुई है।

माननीय नेता विरोधी दल ने जापान का उदाहरण दिया, मैं जापान के बारे में भी बताना चाहता हूं कि जापान में भी जो आर्थिक संकट आज आया हुआ है वह पहले कभी नहीं आया। वहां की जनता की मेहनत अनुकरणीय है, लेकिन वहां पर भी आर्थिक वृद्धि जो पहले 10 परसेंट थी वह आज ढाई परसेंट रह गयी है। रेट आफ इकोनामिक ग्रोथ घट कर ढाई परसेंट रह गया है। इस जगह अगर माननीय नेता विरोधी दल भी रहते तब भी यह इन्फ्लेशन रहता। इसलिये आज बजाय प्रधान मंत्री तक बढ़ने के, या हमारे ऊपर आरोप लगाने के, हमें इस विश्व-व्यापी आर्थिक संकट पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये और इसके निवारण का उपाय ढूढ़ना चाहिये। तेल का संकट केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं है। आज उसके कारण हमारे यहां कई कारखाने कम चल रहे हैं। बिजली का भी संकट पैदा हो गया है। आज अगर माननीय नता विरोधी दल प्रजातंत्र को कायम रखना चाहते हैं, अगर हम प्रजातंत्र को कायम रखना चाहते हैं, तो इन समस्याओं का कोई हल ढूढ़ना पड़ेगा... (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय तिवारी जी कृपया बतायें कि किस पन्ने पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का जिक्र है?

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

इसका इनसे स्पष्टीकरण कराया जाय...

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

अध्यक्ष महोदय, इन्हें सवाल जवाब का कहां ` हक प्राप्त है? आप इनसे बैठने को कहें।

श्री त्रिवेणी सहाय---

इस संबंध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में केवल यही लिखा है--"इस साल गन्ने को ैदावार बहुत अच्छी होने के बावजूद चीनी उद्योग को गन्ने की बढ़ी हुई कीमत देने के लिए राजी किया गया। अतिरिक्त गन्ने को पेरने के लिये पावर क्रेशरों के लाइसेन्स बड़ी उदारता के साथ दिये गये। सरकार ने ऐसे मिल मालिकों के खिलाफ डिफेंस आफ इंडिया कानून के तहत म का वाही की जिन्होंने अपनी मिलें वक्त से नहीं चलायीं। इस प्रकार दो चीनी मिलों का इन्तजाम सरकार ने स्टेट शुगर कारपोरेशन को सौंप दिया। राज्य शुगर कारपोरेशन के संगठन को अधिक मजबूत किया जायगा ताकि वह भार्गव कमटी की रिपोर्ट पर लिये जाने वाले निर्णयों को लागू करने में सक्षम हो।" तो इसमें राष्ट्रीयकरण की बात कहां आई है?

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न है ही नहीं। स्पष्टीकरण मांगना था तो आप खड़े हो जाते मंत्री जी बैठ जाते तो आप स्पष्टीकरण करा लेते।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि आज ऐसे प्रश्न देश प्रदेश और विश्व के सामने हैं जिन पर बिना पार्टी का ध्यान किये ए, दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर हमें विचार करना आवश्यक है । मैं नेता विरोधीदल, नेता जनसंघ और नेता सोशलिस्ट पार्टी से अपेक्षा करूंगा कि वह इस पर एक स्वस्थ विचार धारा को लेकर सोचें और हमें बतायें कि इन वर्तमान समस्याओं का हल कैसे होना है ? प्रजातंत्र में विरोधी दलों की महान् गरिमा होती है । नेता विरोधी दल को, पार्लियामेंटरी पद्धति में और परम्परा में जो मर्यादा और स्थान प्राप्त है उसमें हमें उनके भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है । हम उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वह हमें बतायें कि हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये साधन कैसे जुटायें । आज जो संकट हमारे देश और प्रदेश के सामने है उनसे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें । यदि हमारी नीतियों में कोई दोषहै तो उन्हें हम दूर करने का कैसे प्रयास करें ?

श्री शफीकुल रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

यह सरकार सत्ता हमारे हाथ में सौंप दे, तो हम बता देंगे, करके भी दिखा देंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

किन्तु जनता की प्रजातंत्र में जो आस्था है, उस आस्था को ही यदि विरोधी दल कमजोर करने लगें तो क्या होगा, यह विचारणीय प्रश्न है । इस पर सारे सदन को गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा । श्रीमन्, मुझे इस समय एक शेर याद आ रहा है---

'दुनिया वालों बदलो तो हर जहर को आबेहयात कर दो,
कहने वाले तो आबेहयात को भी जहर कहते हैं ।'

आज हम प्रजातंत्र को तानाशाही कहने लगे, आज हम चुनाव के जीते हुए लोग ही यह कहने की गल्तियां करने लगेंगे तो श्रीमन्, कौन सी मर्यादाओं का पालन होगा ? तो श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि हमारे विराधी दल के लोग गीता के उस श्लोक को यहां पर चरितार्थ नहीं करेंगे कि 'क्रोधादभवति संमोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः'। तो क्रोध का यह स्थान नहीं है, यह सदन क्रोध का स्थान नहीं है । मैं यहां दूसरी लाईन नहीं दोहराना चाहूंगा, मुझे विश्वास है कि उसके कहने की यहां आवश्यकता नहीं है, जिसमें कहा गया है कि स्मृतिभ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति ।' यह क्रोध करने का अवसर और स्थान नहीं है । बल्कि समस्याओं को देखते हुए मिलजुल कर काम करना चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)--

आपने श्लोक की ऊपर की लाईन छोड़ दी है । आपने अपने मतलब की लाईन पढ़ी है, जिससे आपका मतलब निकलता है । आप यह क्यों नहीं कहते 'ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषुयजायते । संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधाषु मिजायते ।'

श्री नारायण दत्त तिवारी---

हमें आशा है कि आप सब गम्भीरता से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार करेंगे । पांचवीं योजना की हमारे सामने चुनौती है । जनता से हमें काफी अपेक्षायें हैं । गुजरात और बिहार की बात करना यहां के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिये शोभा नहीं देता उनके लिए लज्जा की बात है । यह उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश गुजरात और बिहार कदापि नहीं हो सकता । जो मर्यादा में नेता विरोधी दल ने शासन में रह कर कायम की हैं वे मर्यादा में हमें सहारा देती रहेंगी । इस प्रदेश का सौभाग्य रहा है कि नेता विरोधी दल ने निरन्तर 20 वर्षों तक यहां पर शासन सम्हाला है । उन्होंने एक शासन चलाने की एक इमेज बनादी है, शासन चलाने की वह इमेज हमारे इस शासन के लिए इमेज के रूप में मार्ग दर्शक रहेगी । तो आवश्यकता इस बात की है कि हम मिलजुल कर सोचें । यह कहना कि अभी हम चुन कर

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

आये हैं दो महीने बाद फिर चुनाव हो जांय, तो जनता पूछेगी कि दो महीने में आपने क्या किया? इतिहास इस बात का द्योतक है कि जो पहले आये हैं, अगर उन्होंने भूल की है तो दोबारा चुन कर नहीं आये हैं । इसलिये जनता हम से पूछेगी, केवल हम से ही नहीं विरोधी दलों के सदस्यों से भी पूछेगी । यहां पर झगड़ा करने, हिंसा की बात करने नहीं आये हैं । इस दृष्टिकोण से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार करेंगे तो कोई शक नहीं कि बहुमत से नहीं, एक मत से नेता विरोधी दल, और नेता जनसंघ का भी दिल कहेगा कि हम एक मत से धन्यवाद के प्रस्ताव को पास करें ।

श्री अध्यक्ष—

अब ऐसा है कि नेता विरोधी दल बोलेंगे और उसके बाद जो प्रस्ताव करने वाले महोदय हैं वह बोलेंगे ।

*चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये उपनेता सदन को बधाई देना चाहता हूं उनके भाषा के लालित्य के लिये और उनकी इस काबलियत के लिये कि उनका ब्रीफ बड़ा कमजोर लेकिन उन्होंने उसके लिए जितनी पैरवी कर सकते थे वह की है, लेकिन वह अपना केस साबित न कर सके और न मेरी किसी दलील का जवाब दे सके, जैसा मैं एक-एक करके दलीलें दोहराऊंगा और जानना चाहूंगा कि क्या आपने जवाब दिया है या नहीं और अगर दिया है तो उस जवाब में सार क्या है? लेकिन पेश्तर इसके कि मैंने अपने संशोधन के सिलसिले में जो सीधी बात कही उस पर आऊं, उसके मुताल्लिक इनडाइरेक्टली श्री राजमंगल पांडेय ने उस रोज एक बात कही थी । और उसी को दोहराया श्री नारायण दत्त तिवारी ने कि देश की स्थिति कोई खास खराब नहीं है । आर्थिक दशा तो दूसरे देशों की भी खराब है और इलेक्शन में वह इसलिये जीते कि शुरू में हालत खराब थी और बाद में धीरे-धीरे सुधर गई, क्योंकि जनता यह समझने में कामयाब हो गई कि हालत केवल भारतवर्ष की खराब नहीं है बल्कि दुनिया के सभी देशों में मुद्रास्फीति है, कीमतें बढ़ी हुई हैं । इसका मतलब यह हुआ कि तिवारी जी ने भी तस्लीम किया कि हालत खराब है ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने उस रोज भी पांडेय जी से कुछ पूछा था और आज आपके जरिये तिवारी जी से यह पूछना चाहता हूं कि माना कि करेंसी दूसरे देशों में भी बढ़ी है, मुद्रा-स्फीति दूसरे देशों में पहले जमाने के मुकाबले पिछले एक-दो साल में बढ़ी है, लेकिन सवाल यह है कि नेशनल इनकम पर कैपिटा बढ़ी या घटी ? अगर राष्ट्रीय आय फी व्यक्ति बढ़ी और मुद्रा-स्फीति भी बढ़ी तो क्या फर्क पड़ा? उनके लोगों को कोई कष्ट तो नहीं हुआ, अगर फी व्यक्ति उनकी आमदनी बढ़ रही है 'इन रियल टर्म्स'। मसलन, आपने अभी जिक्र किया कि जापान की केवल ढाई प्रतिशत रेट आफ एकोनोमिक ग्रोथ हुई है, हालांकि मैंने पिछले साल के आंकड़े नहीं पढ़े । फिर मैं माननीय तिवारी जी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले सालों में जब उनकी एकोनोमिक ग्रोथ रेट 10 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 14 प्रतिशत थी तो आपकी क्या हालत थी ? जो आंकड़े सरकारी प्रकाशित हुए हैं उसके अनुसार 1970–71 में हमारे यहां पर-कैपिटा इनकम 345.50 पैसे थी, 1972–73 में 343 रु0 हुई और 1973–74 में 337.50 पैसे है और 1974–75 में निश्चित रूप से इससे कम होगी । मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसमें रेट्रोगेशन हुआ हो बजाय एकोनोमिक ग्रोथ के । हो सकता है कि कोई अफ्रीका का और साउथ अमेरिका का देश हो, लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सभी देश आज तरक्की कर रहे हैं । 1969–70 में, मैं माननीय तिवारी जी को बतलाना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 122 मुल्कों में 102 वां नम्बर हमारे देश का था । यानी 101 देश की राष्ट्रीय आय हमसे ज्यादा और 20 देशों की हमसे कम । उसके बाद 70-71, 71–72 और 72–73 में बराबर हमारे देश की आय घटती चली गई और इस समय जो आंकड़े निकले हैं उनके अनुसार, मैं आपके जरिये माननीय नारायणदत्त जी को बतलाना चाहता हूं कि आपके देश का 122वां नम्बर है। यह तो रही मुद्रा-स्फीति और नेशनल इनकम परकैपिटा की बात ।

मैं पूछना चाहता हू कि आपका देश पीछे क्यों हट रहा है जब कि दुनिया के सब देश आगे बढ़ रहे हैं ? मुझे खुशी होगी अगर मेरी बात गलत हो जाय। सन् 1962–63 की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 60 प्रतिशत आदमी भूखों मरते हैं । अगस्त, 1972 में मोहन धारिया जी ने लोकसभा में अपने एक बयान में बताया कि 50 प्रतिशत आदमियों को शहर और गांवों दोनों जगह, भरपेट दोनों वक्त अन्न नहीं मिलता, न्यूनतम कैलोरीज नहीं मिलतीं । कैलोरीज एक पोषण तत्व होता है और 2,250 कैलोरीज एक आदमी को मिलना चाहिये तन्दुरुस्त रहने के लिये और वह सीरियल में पाया जाता है । वह कैलोरीज उनको नहीं मिल रही है । इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भरपेट अन्न नहीं मिल रहा है । यह बात अगस्त सन् 1972 में कही थी, तब से भाव तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और मैं बिला खौफ यह कह सकता हूं आपके जरिये अपने तिवारी जी से कि देश में आज 60 प्रतिशत आदमी ऐसे हैं जिनको भरपेट दोनों वक्त अन्न नहीं मिल रहा है (शेम) फिर भी आपको यह कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि हमारे देश की हालत दूसरे देशों से खराब नहीं है । क्या स्वप्न देखे थे, क्या इस देश की हालत थी अंग्रेजों के जमाने में सन् 1947 स पहल 52 वां और 54 वां अपने दश का स्थान था दूसरे देशों की कोटि में और आज 122 वां ।

एक सदस्य—

इसका कारण यह है कि आपने परकैपिटा इनकम तो बताई लेकिन क्या पापुलेशन का रेट है, वह नहीं बताया । पार्टीशन क समय 33 करोड़ की आबादी थी और आज 55 करोड़ से ज्यादा है ।

चौधरी चरण सिंह—

अब मैं क्या जवाब दूं । मैं आपके जरिये उनसे कहना चाहता हूं कि मैं नेशनल इनकम नहीं बता रहा हूं । मैं नेशनल इनकम परकैपिटा बता रहा हूं । आप कंफ्यूजन कर रहे हैं नेशनल इनकम में और परकैपिटा इनकम में । मैं पर कैपिटा इनकम ही बता रहा हूं सब देशों की पापुलेशन का लिहाज करके ।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट आफ इंडिया के एक डाक्टर का बयान निकला मद्रास में । वह डेढ़ महीने पहले की बात है, इलेक्शन के पीरियड की बात है । उनका बयान था कि 70 फीसदी बच्चों को न्युट्रीशश भोजन नहीं मिल रहा है । दश की यह हालत और आप यह समझाने की कोशिश करें कि नथिंग इज रांग विद इकोनोमी । कोई आर्थिक संकट नहीं है । मुबारक हो आपका यह ख्याल ।

अध्यक्ष महोदय, राजमंगल जी ने कहा कि यह जनता को समझाने में कामयाब हो गये इसीलिये इनको वोट मिल गये । आप क्या जादू करने में कामयाब हो गय यह मैं पहल अर्ज कर चुका था । मैं फिर उसका रेफरेन्स दूगा । आज जनता सब समझती है और वह भुक्तभोगी है । आप जाकर देखें गरीब औरतों, को बच्चों को और पुरुषों को, कि कितना अन्न उन्हें खाने को मिल रहा है ।

मेरे दोस्तों ने हमारे इलेक्शन मेनीफैस्टो का जिक्र किया । बिल्कुल ठीक । मैं उस इलेक्शन मेनीफैस्टो के, जो भारतीय क्रान्ति दल का था, एक-एक सफ्हे से कमिटेड

[चौधरी चरण सिंह]

हूं और मेरे साथी भी कमिटेड हैं। लेकिन वह एक एग्जम्पशन करके चला था। एक बात फर्ज करके चला और वह यह कि सब लोग, विशेषकर वे लोग जिनके हाथ में सत्ता है, जनतंत्र के हामी हैं। इसलिये मैं अनकांस्टीट्यूनल मीन्स के जरिये गवर्नमेंट को उखाड़ने का विरोधी रहा हूं। कांग्रेस वालों से ज्यादा विरोधी रहा हूं। मेरी एक-आध साहब से बात भी हुई और मैंने कहा कि आपके हाथ में पावर भी रहेगी और आप सत्याग्रह भी करेंगे। आन्ध्र में स्टील प्लान्ट नहीं मिला, कांग्रेस मंत्री ने खुद सत्याग्रह किया। आबकारी की दूकानें अल्मोड़ा में बन्द नहीं हुई कांग्रेसमैन ने सत्याग्रह किया। बेलगांव-कर्नाटक में जायं या महाराष्ट्र में जायं इस बात को लेकर कर्नाटक की पी० सी० सी० ने रैज्योलूशन पास किया। वहां उपद्रव हुए। रेलवे में आग लगायी। स्पीकर साहब स्तीफा देकर उसमें शामिल हो गये। सेन्टर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में आपकी गवर्नमेंट। लेकिन कर्नाटक में आपके आदमी इतने बड़े पैमाने पर कानून की पर्वाह न करें मैं उसके खिलाफ था। आपके जरिये मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इलेक्शन मेनीफैस्टो के पीछे यह एग्जम्पशन था कि जिन लोगों के हाथ में पावर है वह स्वयं कांस्टीट्यूशन के प्रति निष्ठावान होंगे, उनका जनतांत्रिक मान्यताओं में विश्वास होगा। अब मेरी राय में तब्दीली आयी और वह इस कारण कि मैं और मेरे बहुत से साथी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि रूलिंग पार्टी बैलेट के मुताबिक काम करने को तैयार नहीं।

(इस समय दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके गये और इंकलाब, जिन्दाबाद के नारे लगाये गये। साथ ही चप्पलें भी सदन के फ्लोर पर फैंकी गयीं।)

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

चौधरी साहब यह सब करा रहे हैं।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का सवाल है कि गैलरी से जूता फेंका गया है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय नेता विरोधी दल इसके दोषी हैं। सदन में अव्यवस्था पैदा की है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, जो लोग छोटे वर्ग के लोगों को वोट नहीं डालने देते हैं, वही लोग यही बात नहीं करने देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में कार्यवाही होगी। अभी आप शान्त रहें। यदि जुल्म भी होता है तो उस के लिये प्रक्रिया होती है। मार्शल से मैंने कह दिया है कि वह उचित कार्यवाही करें। वह होगी और आपके सामने आवेगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसके लिये जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिये। आपकी आज्ञा से मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं कि यह जो गंभीर प्रश्न सदन के सामने उपस्थित है वह उस समय घटित हुआ जबकि माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे और बोलते हुये उन्होंने कहा कि आज मेरा यह विश्वास नहीं रह गया है, इस तरह का यहां पर सेन्टेन्स जब उन्होंने पूरा किया कि बैलट से परिवर्तन हो सकता है, ठीक उसी समय ऊपर की गैलरी से विद्यार्थी हों, या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हों, उन्होंने....

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

इसके लिये नेता विरोधी दल जिम्मेदार नहीं हैं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जैसे ही नेता विरोधी दल ने अपना वाक्य पूरा किया उस समय ऊपर की गैलरी से चप्पल फेंकी गई और पर्चे फेंके गये और इन्कलाब जिन्दाबाद के नारे लगाये गये । इससे स्पष्ट है कि नेता विरोधी दल ने और उनके दल के इशारे पर यह अव्यवस्था इस सदन के अन्दर उपस्थित की गई है । तो माननीय नेता विरोधी दल के ऊपर मैं इस सदन की अवमानता करने का प्रश्न उपस्थित करती हूं ।

एक सदस्य---

यह जनता की आवाज है ।

श्री राम सेवक यादव---

इसमें किसकी जिम्मेदारी है यह बात देखी जाय ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

सदन का अवमान हुआ है इसलिये यह मैं . . .

श्री मोती लाल देहलवी---

माननीय मंत्राणी जी हम लोगों का अपमान कर रही हैं ।

एक सदस्य---

राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी ने नेता विरोधी दल के विरुद्ध अवमान का प्रश्न उपस्थित किया है, तो मैं उनके विरुद्ध अवमान का प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

जिस वक्त नेता विरोधी दल बोल रहे थे, उसी वक्त पर्चे फेंके गये, इसलिये वे जिम्मेदार हैं, यह आप कैसे कह सकते हैं ? जरा चार्ज लगाइये पहले, उनसे पूछिये, तब मालूम हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब मामला सामने आये तब राय दें ।

चौधरी चरण सिंह---

मैं बड़े दुख के साथ.....(शोर) । मैं अर्ज करना चाहता था..... (शोर) । सरकार की तरफ से माननीय सदस्यगण चाहते हैं, मान्यवर, कि मैं अपनी बात न कह सकूं । डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी दो-तीन बार खड़ी हुयीं और इल्जाम लगाया, जिससे मैं नतीजे पर पहुंचा कि.....(शोर)

श्री गोबिन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

इनकी काली करतूतों और हिंसात्मक तत्वों का जवाब मैं बाद में दूंगा ।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जिस तरह डा० बाजपेयी जी ने मुझपर इल्जाम लगाया है कि मैं कोई खास बात कह रहा था, उसी वक्त वे लोग आये हैं और उसमें मेरा हाथ है और मैंने उसे करवाया .....(शोर)।

मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि वे लोग उनकी ताईद करते हैं और मुझको बोलने नहीं दे रहे हैं, इसलिये मैं अब भाषण नहीं देना चाहता और मैं देखना चाहता हूं कि फिर आप लोग कैसे बोल पाते हैं.....(शोर)।

(चौधरी चरण सिंह अपने स्थान पर बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष--

मैं अब जानना चाहता हूं नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष से कि कार्यवाही चलायी जाय या नहीं ?

(शोर व आवाजें--न चलाई जाय)

श्री अध्यक्ष--

आपके हल्ला करने से कार्यवाही न बंद होगी। आप बैठिये, शांति रखें।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, पहले नेता सदन कह लें, फिर मैं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

ऐसे वातावरण में कार्यवाही कैसे चलेगी ?

चौधरी चरण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय उपनेता सदन, कई बार कह चुके हैं कि मुझ को काफी लम्बा तजुर्बा है इस सदन का फिर, विरोधी दल में और ट्रेजरी बेंचेज में फर्क होता ही है वर्ना यह सदन दो भागों में क्यों विभाजित होता ? लेकिन जिस प्रकार यह सदन विरोधी पक्ष को दबा कर उसको अपनी बात नहीं कहने देना चाहता है उसे देखते हुये यह सदन कैसे चलेगा ? पिछली बार भी बराबर व्यवधान होते रहे और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय तिवारी जी ने अपने साथियों को रोकने की चेष्टा नहीं की। उनके ठीक पीछे उस दिन जहां पर इस समय राज मंगल पांडेय जी बैठे हुये हैं एक माननीय सदस्य बैठे हुये थे वह बराबर व्यवधान करते रहे हर दो मिनट बाद, लेकिन उपनेता तिवारी जी ने उनको भी नहीं रोका। अगर गुस्ताखी माफ हो तो मैं उम्र में उनसे बड़ा, तजुर्बे में ज्यादा, नियमों को और छोड़ भी दिया जाय तो शिष्टाचार का यह तकाजा है कि शांति से मुझे सनते और फिर उनका जवाब देते। फ्रेन्च वर्ड है "पार्लियामेंट इज ए टाकिंग प्लेस' इसका मतलब है। यहां पर नीयत पर हमला नहीं होता है। शांति के साथ बात सुनी जाती है। चाहे जितनी कड़वी हो मेरी बात सुननी होगी। आप उसका जवाब द सकते हैं। पिछली बार भी यही हुआ। मैं चिट्ठी लिखने जा रहा था लेकिन मैंने अपने को रोका। इस बार राजेन्द्र कुमारी जी ने मेरी नीयत पर ही हमला कर दिया बीच में खड़ी होकर और दो बार यह कहा कि मैं पर्चे फिकवाने के लिये जिम्मेदार हूं। उनको किसी ने रोका नहीं, उपनेता सदन ने भी नहीं रोका और सब ने उनकी ताईद ही की। मैं अब ऐसी स्थिति में नहीं बोलूंगा और जो बर्ताव मेरे साथ हुआ है वही बर्ताव अगर मेरे साथी इधर से करेंगे तो मैं उनको गलत नहीं कहूंगा।

(थपथपाहट)

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)---

अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब ने जो यह कहा कि हर व्यक्ति ने इधर से उनकी स्पीच में व्यवधान डाला यह सत्य से परे है। जब ऐसा इधर से किसी ने किया तो मैंने बराबर कहा कि यह बात मनासिब नहीं है। उधर के तो सारे ही लोगों ने कहा कि हम नहीं बोलने देंगे जबकि इधर से मुश्किल से तीन-चार सदस्यों ने कहा जिनको तिवारी जी ने तथा मैंने रोका। इससे आप ही दोनों तरफ के सदस्यों का रुख देख लें। फिर उधर तो चौधरी साहब जी नेता हैं प्रतिपक्ष के स्वयं ऐसी बात कहें कि वह किसी को बोलने नहीं देंगे उनको तो कम से कम ऐसी बात कहनी ही नहीं चाहिये थी। मैं उनसे कहूंगा कि वह अपना भाषण जारी रखें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अपनी पार्टी के सदस्यों से यही अपील की थी कि माननीय नेता विरोधी दल को बोलने दिया जाय और किसी प्रकार का व्यवधान न डाला जाय। मेरी मंशा कभी यह नहीं रही कि माननीय नेता विरोधी दल न बोलें। मैंने उस दिन भी बराबर अपने पीछे बैठे हुए सदस्यों को रोका कि वे व्यवधान न डालें। यह जो मैंने आज इस समय प्रश्न उठाया था वह संवैधानिक था और इसके लिये मैंने अध्यक्ष महोदय की आज्ञा भी ले ली थी कि जो अवमान सदन का हुआ है उसे मैं उठा रही हूं और यह बिल्कुल एक दूसरा प्रश्न है और दोनों चीजों को जोड़ा नहीं जा सकता। मैं आज फिर यह कहती हूं कि विरोधी दल के सदस्यों के सहयोग से इस सदन को सुचारु रूप से चलाया जाय।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, पहली दफा जब हमारे नेता की, बाजपेयी जी ने नीयत पर हमला किया था तो आपसे इजाजत नहीं ली थी। लेकिन दूसरी दफा जब फिर वही इल्जाम लगाया तो उनको होश आ गया था कि यह प्रश्न दूसरे ढंग से उनको उठाना चाहिये।

चौधरी चरण सिंह---

ये आपकी इजाजत से नहीं बोल रही थीं। आपने कोई इजाजत नहीं ली। आप पहले तो कुछ देर तक खड़ी रहीं। मैंने पूछा कि क्या आप कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहती हैं? आपको वह तब उठाना चाहिये था जब मैं अपने भाषण को समाप्त कर लेता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं माननीय नेता विरोधी दल से यह विनम्र आग्रह करूंगा कि वे कृपया नाराज न हों और अपनी सामान्य संसदीय परम्परा के अनुसार हमें अपने सद्वचनों से कृतार्थ करें। यह सही बात है कि किसी ने कोई व्यवधान नहीं डाला। बाहर के दूसरे व्यक्तियों ने व्यवधान डाला। जहां तक मैं समझ पाया हूं, इसी व्यवधान के आधार पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का यही विचार था प्रतिक्रिया स्वरूप, क्योंकि गैलरी में कभी-कभी प्रतिक्रिया हो जाती है उसी वजह से हो गया हो। अब मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल की बात ऐसी नहीं रही होगी जिसकी प्रतिक्रिया गैलेरी में हो। अब एक घटना घटित हो चुकी जो कि न चाहते हुये भी घटित हो गई। मैं माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह करना चाहता हूं कि जो मान्यता अब तक नेता विरोधी दल की यहां पर रही है उसे सरकारी पक्ष रखना चाहता है और सदैव रखेगा। इसी आग्रह के साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें।

चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है वे अपनी यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं। ठीक है, मेरी अपनी राय में, थोड़ा-बहुत कोई सवाल बीच में पूछ भी लिया जा सकता है लेकिन बराबर

[चौधरी चरण चरण सिंह]

इस तरह की बात करते जाना कि दूसरे आदमी न बोल सकें यह ठीक बात नहीं है। ऐसी मेरी भावना है और उस रोज भी थी। बीच में आपके कैबिनट मेम्बर ने मुझ पर इल्जाम लगाया इसलिये मैं कहता हूं कि न आपने और न माननीय राजमंगल जी ने उन्हें यह कहने के लिए रोका। जब मैं बोलता हूं तो आपकी तरफ से आवाजें उठती हैं और इन्टरप्शन्स होते हैं। आप चाहते हैं कि अगर हम लोग बोलें तो ये लोग शांत रहें और जब हम लोग बोलें तो आप शांत न रहें। यह क्या बात हुई? मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप जिस वक्त बोल रहे थे उस वक्त इस पक्ष से कोई नहीं बोल रहा था और जब कोई बोला तो मैंने उसे रोका और जब मैं बोलता हूं तो आपकी तरफ से व्यवधान होता है। आपकी उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं गालिबन यह कह रहा था कि हमारे देश में 60 फीसदी से ज्यादा आदमी को सूखा अन्न खाने को नहीं मिलता है। क्या यह किसी देश में है? जर्मनी में, जापान में, पाकिस्तान में, लंका में और दूसरे देशों को छोड़ दीजिये केवल नेबरिंग कंट्रीज को ही ले लीजिये कि उनकी इकोनामिक कंडीशन्स इतनी खराब हैं जितनी हमारी हैं। बंगला देश को छोड़ दीजिये। उसकी अभी अपनी समस्यायें हैं। हमारे मुल्क की इकानोमिक कंडीशन्स ज्यादा खराब नहीं हैं यह तथ्यहीन बात है, गलत है। हमारा मुल्क सबसे ज्यादा गरीब है। अन्न और कपड़ा दूसरे देशों से आता है। रूई 20 अरब रुपये की, गेहूं 55 अरब रुपये का यहां आता है। हमारे बच्चे दूसरे देशों के कपड़े पहन रहे हैं और डिस्कार्डेड क्लोथ पहन रहे हैं और हमारे पढ़े-लिखे परिवार के मध्यम श्रेणी के लड़के दूसरे देश के लोगों के उतार कर फेंके हुए कपड़े खरीदते हैं। यह तो हुई कपड़े की बात।

जहां तक मकान की बात है, लाखों लाख आदमी बड़े-बड़े शहरों में बिना मकान के हैं जो सड़कों पर सोते हैं या सुअर की तरह ही खड्डियों में रहते हैं। यह तो है आपकी एकोनामिक कंडीशन की बात। श्री राजमंगल पांडेय जी ने और तिवारी जी ने भी उस दिन फरमाया कि आप भी तो कैबिनेट में रहे। ठीक है, मैं स्टेट कैबिनेट में था लेकिन स्टेट कैबिनेट में रहने से क्या होता है? सारी पालिसी तो फ्रेम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक आइडिओलाजी बना ली है—एग्रीकल्चर की उपेक्षा, इंडस्ट्रीज को वरीयता, इंडस्ट्रीज में भी हैवी इंडस्ट्रीज को वरीयता, ठीक उसके उल्टा जो गांधी जी ने कहा था। इंटरनेशनल फ्रेम के एक बड़े से बड़े एकोनामिस्ट का कहना था कि देश को महात्मा गांधी की एकोनामिक पालिसी पर वापस आना होगा लेकिन आज तक उधर किसी का ध्यान नहीं गया है। रूस की नकल करने की कोशिश की जा रही है बिना लिहाज परिस्थितियों के कि कोआपरेटिव फार्मिंग होगी। कोआपरेटिव फार्मिंग से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, किसी देश में भी इससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। फिर भी आज बड़े-बड़े फार्म हजार एकड़ के, 500 एकड़ के बनाये जा रहे हैं। मैंने बराबर इसका विरोध किया है, स्टेट कैबिनेट में था तब भी मैंने इसका विरोध किया था।

जहां तक स्टेट ट्रेडिंग की बात है, मैं बराबर इसका विरोधी रहा हूं। ए0 आई0 सी0 सी0 में जब स्टेट ट्रेडिंग का रेज्योल्यूशन आया तो मैंने उसको आपोज किया था और 8 फरवरी, 73 को भी फिर मैंने एक बयान दिया कि यह कामयाब नहीं होगा, लेकिन कोई भी कांग्रेसमैन इस बात को कहने के लिये तैयार नहीं है कि स्टेट ट्रेडिंग फेल हो जायेगी। यह तो एक बड़ा लम्बा विषय हो जायेगा लेकिन जहां तक आर्थिक नीति का सम्बन्ध है, वह गवर्न होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। एक आइडियोलाजी बनी हुई है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, चीफ मिनिस्टर का भी कोई हाथ नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्कशन वहां जाकर हो जाता हो लेकिन स्टेट मिनिस्टरी का उसमें क्या हाथ होगा? जहां तक और बातों का ताल्लुक है, उसमें कोई कमी नहीं आ जायेगी मेरी बात कहने में लेकिन यह तो एक

जिद और हठ की बात है, चाहे देश बर्बाद हो जाय, नीचे को चला जाय लेकिन आज कोई भी कांग्रेसमैन अपनी लीडरशिप के खिलाफ यह कहने को तैयार नहीं है कि आप अपनी नीति को रिवाइज करें, गांधी जी का रास्ता ही सही है।

कहा गया कि यू० पी० सरकार में चरण सिंह भी तो थे, मैं था तो क्या हुआ? इसका मतलब यह तो नहीं है कि कोई गलत नीति हो तो उसे रिवाइज न किया जाय। श्री राज मंगल पांडेय जी ने कहा कि हमने जनता को कर्नाधिस कर दिया कि सारी चीजों की कमी केवल हमारे ही देश में नहीं है बल्कि अमेरिका और जापान में भी लोग भूखों मर रहे हैं, वहां भी सब के लिये मकान और कपड़े नहीं मिल पाते, और इसलिये उन्होंने हमारे पक्ष में राय दी।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पर्सनल अटैक की बात है, उससे नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है। दलील का जवाब दलील से दीजिये लेकिन अगर पर्सनल अटैक होगा तो मेरे पास भी जवाब देने के लिये बहुत सी बातें हैं। जिनकी मुझे जानकारी है लेकिन मैं व्यक्तिगत हमला कोई नहीं करना चाहता। कई बार कह दिया जाता है कि छपरौली में क्या हुआ? क्या हुआ छपरौली में, अबकी बार तो घर-घर में आपने फौज लगा रखी थी अगर मुझ में कोई खराबी है तो बेशक आप मुझे बतलाइये। इस बार तो मैं हमेशा की तरह अपनी कांस्टीटुएंसी में गया तक नहीं था, एक दिन बाद ही वहां गया लेकिन वहां पर तो गवर्नमेंट लेविल पर रिगिंग हुई, बोटर्स को आइब किया गया, फिर इसका आपके पास क्या जवाब है? मान लीजिये एक आदमी जेल से चोरी की सजा काट कर निकला और रास्ते में उसने मर्डर होते हुए देखा जिसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी तो अदालत यह तो कह नहीं सकती कि चूंकि तुम चोरी की सजा काट कर जेल से आने पर मर्डर होते हुए देखे हो इसलिये हम तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। डेमोक्रेसी तो खतम ही हो गयी जब इस तरह से रिगिंग हुई। कई बार कहा गया कि छपरौली के बारे में जवाब दीजिये। मैं उसके बारे में कई बार जवाब दे चुका हूं इसलिये आगे से मैं अब उसके बारे में कोई जवाब नहीं दूंगा।

जहां तक ट्रेचरी की बात है, ट्रेचरी की बिना पर ही तो मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ा और फिर मैं बतला चुका हूं कि जिन्होंने ट्रेचरी करी उनको आपने पद दिया। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने दल नहीं बदला बल्कि नया दल बनाया। यह मेरी सब दलीलों का जवाब हो गया कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी?

अध्यक्ष महोदय, जो एक मामूली रफनेस की बात होती है उससे जरा ऊपर उठ कर महिलाओं की बात होती है। लेकिन मुझे यह कहना पड़ता है कि चार्ज लगाने में और कड़वी बात कहने में माननीया राजेन्द्रकुमारी जी को कोई गुरेज नहीं है। यह कहा गया कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ इसलिये मैंने चार्ज लगा दिया। आप मेरी नीयत पर हमला करती हैं तो मैं भी कर सकता हूं। यह कोई दलील नहीं हुई। यह इनको शोभा नहीं देता है। मैं अगर बातें कहूंगा तो गन्दगी हो जायेगी। मैं कहता हूं कि आप हार रही थीं इसलिये रिगिंग कराया।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जितने मंत्री यहां बैठे हैं सब की कांस्टीट्युन्सीज की शिकायतें मौजूद हैं। लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। आपका नाम मुझे इसलिये लेना पड़ा कि आपके हल्के की मेरे पास फोटो हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिये बी० के० डी० कैंडीडेट का आपकी कांस्टीटुएंसी का लेटर था इसलिये मजबूरन मुझे आपका नाम लेना पड़ा। मेरे पास बहुत से लोगों की शिकायतें हैं। लेकिन मैं उनसे बचना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जितने प्वाइंट उठाये थे उनका क्या जवाब दिया? मैंने जिक्र किया था कि क्या कारण है कि जब प्रेसीडेंट रूल चल रहा था और आपको असेम्बली नहीं बुलानी थी तो गवर्नमेंट क्यों कांस्टीटयूट की गई? उद्देश्य यह था कि गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। दूसरी बात जो इस समय

[चौधरी चरण सिंह]

कहना मैं भूल गया था वह यह कि पी० ए० सी० का रिवोल्ट हुआ तो क्या चीज हुई या कर दी गई ? लेकिन वह केवल सी० आर० पी० और बार्डर पुलिस फोर्स बुलाने का एक बहाना था। आपको अपनी पुलिस पर यह विश्वास नहीं था कि वह इस हद तक ज्यादती करने के लिये तैयार होगी जैसी कि सी० आर० पी० और बार्डर पुलिस कर सकती है। जिन लोगों ने रिवोल्ट किया उन पर आपने कोई मुकदमा नहीं चलाया और न उनको जमानत पर ही रिहा किया गया। जहां तक कि उनसे मिलने के लिए जो लोग आते हैं उनसे मुलाकात तक नहीं होती है। उनको कैद किये हुए ह और उसकी लम्बी किये हुए हैं जिसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए आपने यह सब किया कि इलेक्शन तक सी० आर० पी० और बार्डर पुलिस को आपको यहां रखना था। जहां काउंटिंग हो रही थी वहां यू० पी० की पुलिस मौजूद नहीं थी।

(व्यवधान)

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं चरण सिंह जी से यह पूछूंगा कि बंगाल में आपने सी० आर० पी० की आलोचना की थी या नहीं ?

चौधरी चरण सिंह--

सदन में यह सवाल उठाने की जरूरत नहीं आई और मैं कहता रहा हूं कि वहां भी गलत हुआ लेकिन यहां यह सवाल नहीं हो सकता। आपने अपनी 85 हजार पुलिस फोर्स पर इम्प्रेशन क्रियेट किया कि पुलिस इत्मीनान के काबिल नहीं है। इसलिए आपने ऐसा किया कि किसी तरह से इलेक्शन निकल जाय तब तक सी० आर० पी० और बार्डर पुलिस यहां बनी रहे ताकि जब इशारा हो तो बड़े से बड़े आदमी को, एम० एल० ए० या एम० एल० सी० को बाहर निकाल दें। तो यह भी उस कांस्प्रेसी का हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदय, बड़ा इजहार किया गया कि करप्ट ऐक्ट क्यों कहते हैं ? जो फाउन्डेशन आफ प्रोजेक्ट रखे गये हैं मेरी विलीफ या मैंने जो नोट्स लिखे हैं उसको हेडिंग मैंने ईविल ऐक्ट ही रखा है और मैंने हैविल ऐक्ट ही कहा। ह्वाट इज दि प्वाइंट ? इसमें क्या सार है ? करप्ट ऐक्ट नहीं थे इविल ऐक्ट थे। कोई प्रोजेक्ट का फाउन्डेशन नहीं होगा किसने कहा ? लेकिन हमारा कहना यह है कि आपने इलेक्शन को दृष्टि में रखकर जिन प्रोजेक्ट का फाउन्डेशन ले डाउन किया जो कि 5 सालों में नहीं हुए उन्हें आपन एक महीने में कर दिया और यहां नहीं आपने उससे राजनैतिक फायदा उठाने की कोशिश की। माननीय प्रधान मन्त्री ने अपनी स्पीच में कहा कि :—

"Mrs. Gandhi said these projects would also help reduce poverty to some extent though its iradication would take a long time. Therefore, the people should co-operate by ensuring a stable Gvvernme t in the State."

आप उसका फाउन्डेशन कर रहीं हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि लोगों को सहयोग देना चाहिए एक स्टेबिल गवर्नमेंट स्टेट में कायम करने के लिये। जिसका अर्थ यह होता है कि आपको कांग्रेस को राय देना है। लोगों को कोआपरेट करना चाहिए स्टेबिल गवर्नमेंट बनाने के लिए। स्टेबिल हो या अन-स्टेबिल हो उसका कोई मतलब नहीं है। श्री फकरुद्दीन अली अहमद जब फूलपुर में गए तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा :—

"Welcoming the Prime Minister to the Phulpur inaugural, the Union Agriculture Minister Mr. Fakhrudin Ali Ahmad called upon the people

to vote for only such candidates as would help formation of a stable Government in U.P. Clearly, an official occasion was used for party propaganda."

ऐसी गवर्नमेंट बने जो स्टेबिल गवर्नमेंट हो। कांग्रेस की गवर्नमेंट ही स्टेबिल हो सकती है। दूसरी पार्टियों की एस० डी० डी० हो जायगी, इसलिये स्टेबिल बननी चाहिए। आखिर यह मैंने कहा कि यह ईविल ऐक्ट्स हैं। यह बात इलेक्शन के ठीक पहले कहा गया। यह बात चाहे जनता के हित में ही क्यों न हो परन्तु यह बात इलेक्शन के ठीक पहले कही गई।

अध्यक्ष महोदय मैंने एक बात यह कही थी कि इलेक्शन से पहले यह भी बात कही गई थी कि वकीलों के लिए एक इन्श्योरेन्स फंड खोल दिया जाय, कहा गया था। आज 25 साल हो गये, ऐडवोकेट्स आज भी हैं और पहले भी थे। कहीं पर किसी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी बात भी नहीं कही गई थी। उस प्रदेश में जहां पर कि दो तिहाई जनता भूखों मरती हो वहां पर इलेक्शन से पूर्व यह कहा गया कि गरीब लोगों की गवर्नमेंट की तरफ से कि वकीलों के लिए इन्श्योरेन्स खोल दिया जाय। यह इसलिए कहा गया क्योंकि इसम पोलिटिकल परपज है।

अब माननीय तिवारी जी कहते हैं कि निचली लोगों को कोआपरेट करना चाहिए, विरोधी दल को कोआपरेट करना चाहिए पंचवर्षीय प्लान में। खच तो आप करेंगे अन्धाधुंध और केवल वोट का खर्च और कोआपरेट करेगा विरोधी दल। अपनी स्टेट के लोगों से 180 करोड़ का सालाना टैक्स और सैलरीज बिल 280 करोड़ का सालाना, बेसिक 65 करोड़ रुपया मिलता और आज दो साल के करीब 65 करोड़ रुपए की रकम थी उसमें इनकम टैक्स का हमारा कन्ट्रीब्यूशन कुछ था। मान लीजिये 1 अरब मिलता तो 1 अरब का सैलेरीज बिल के अन्दर एक अरब का नहीं होगा, 90 करोड़ का होगा, 80 करोड़ का होगा तो भी डफिसिट हो जायगा, तो फिर बिजली, अस्पतालें आदि का काम व और काम कसे होंगे? एक-एक डिपार्टमेंट में 3-3 बार हड़तालें हुई हैं और तीनों बार इम्पलीमेंट हुये हैं। ठीक था फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग क्योंकि फलां आदमी फलां पार्टी के खिलाफ है, राज्य कर्मचारियों के खिलाफ है। आपने राज्य कर्मचारियों को खुश करने के लिए उनकी तनखवाहें बढ़ा दीं और तनखवाहें बढ़ाते चले जा रहे हैं, जब तक आप रेडक्शन नहीं बढ़ायेंगे, तनखवाह बढ़ाने से काम नहीं चलेगा।

आपने कुछ वर्गों को खुश करने के लिए पेंशन दे दिया। माननीय पन्त जी के जमाने में भी पेंशन दी जाती थी परन्तु इस तरह से पेंशन नहीं दी जाती थी कि चाहे एक आदमी 3 महीने के लिए भी जेल चला गया हो, तो उसको भी पेंशन दे दीजिये। आपने उस आदमी को भी पेंशन दे दिया चाहे वह 1,000 रु० की तनखवाह भी पा रहा हो। इसलिए पेंशन दे दिया कि आपको उसे अपने इलेक्शन का कंडीडेट बनाना है। तो इस तरह से पेंशन दे करके, रुपये बांट करके इलेक्शन के कंडीडेटन बनाये गये हैं। तो इस प्रकार से इलेक्शन में कामयाबी को दृष्टि में रखकर अनेक काम हुये हैं, जब से माननीय बहुगुणा जी आये तो उधर कांग्रेस के इलेक्शन को दृष्टि में रखकर इस तरह से आपने फाइनेंस को चौपट कर दिया, तो आप कहते हैं कि फिफ्थ फाइव इयर प्लान में कोआपरेट करिये। तो मेरा भी कहना है कि जो हो सकेगा कोआपरेट करेंगा, लेकिन हमारा कोआपरेशन अनकंडीशनल कोआपरेशन होगा। अगर खर्च जो वह करते हैं, उसमें हमारा मशविरा होगा तो इसम भी हमारा मशविरा होगा।

मैंने यह कहा था कि ट्रांसफर्स हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ट्रांसफर्स हुए हैं, सब इन्सपेक्टर्स के ट्रांसफर्स हुए हैं, प्रिजाइडिंग आफिसर्स के ट्रांसफर्स हुए हैं। अगर आप वसे नहीं बतलायेंगे तो मैं सवाल के जरिये से पूछ लूंगा कि जनवरी के अन्दर में कितन सब-इन्स-

[चौधरी चरण सिंह]

पेक्टर्स के ट्रांसफर्स हुए हैं। आपने प्रिजाइडिंग आफिसर्स को बदला 22 तारीख को। एक लिस्ट बन गयी प्रिजाइडिंग आफिसर्स की कि तुम फलां-फलां जगह काम करोगे लेकिन दो दिन पहले वह बदले जाते हैं। बहुत सी जगहों में और मेरी कांस्टीट्युयेंसी में सारे प्रिजाइडिंग आफिसर कांग्रेस के कैंडीडेट के कहने के मुताबिक बदले गये। तो इस प्रकार से आपने पब्लिक सर्वेंट्स को और ब्यूरोक्रेसी को इस इलेक्शन में इन्वाल्व कर लिया। ये सारे इलेक्शन्स हमको कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार से लड़ने पड़े। सरकार का जिलाधीशों को यह कहना कि तुम्हें कांग्रस के कन्डीडेट्स को जिताना है, कहां तक मुनासिब है? मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स से कहा गया कि तुम्हें बी० के० डी० के कैन्डीडेट्स से कांग्रेस कैन्डीडेट्स को जिताना है। तो इस तरह से आर्डर्स दिये गये। श्रीमन्, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि विरोधी पक्ष का एक कैन्डीडेट 1,000, 2,000, 500 से जीत रहा था। लेकिन रिजल्ट का डिक्लेरेशन नहीं हो रहा था। रिजल्ट को रोका जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं कि काहे का इन्तिजार था, क्या लखनऊ से टेलीफोन का इन्तिजार था? बहुत जगहों पर तो रिजल्ट्स डिक्लेयर करके जब कांग्रेस कन्डीडेट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो रिजल्ट बतला दिया जाता है। हमारा एक कन्डीडेट 97 से जीता हुआ 22 वोटों से हारा डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप ब्योरोक्रसी को इंवाल्व करेंगे, वे इन्डिपेंडेंट न रह, ो कैसे इम्पार्शल इलेक्शन होगा और कैसे यह डेमोक्रसी चलेगी?

मैंने इलेक्शन कमिश्नर के बारे में अपने भाषण में कहा था लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया कि एक रिटायर्ड आई० सी० एस० आफिसर को बनाया जाय। आपके रिटर्निंग आफिसर आपके मातहत हैं। तो जो मुखालिफ पार्टीज हैं, इनके साथ जस्टिस कैसे होगा? मुझे मालूम हुआ है कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कमिश्नर बना दिया गया। यहां कोई डिप्टी कमिश्नर 26 को सेवा करता है कांग्रेस की और 27 को ही ज्वाइन्ट सेक्रेट्री हो जाता है। ऐसे ही मेरठ का कलेक्टर कमिश्नर हो गया। कानपुर के बारे में भी मैंने सुना है कि उनको कमिश्नर बना दिया गया है। इसके अलावा और बहुत से प्रोमोशन्स हो गये हैं तो यह सोचना कि इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट होगा, उससे उम्मेद नहीं की जा सकती है कि जो सारी मशीनरी, जिसको इम्पार्शल और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराना है, वह रूलिंग पार्टी या पार्टी इन पावर के मातहत होते हुए ऐसा करा पायेगी। आज ये सेल्फ रेस्ट्रेंट बरतने को तैयार नहीं हैं कि इलेक्शन इम्पार्शल हो, चाहे हम जीतें या हारें। अब की बार देखा गया कि यहां से आर्डर दिय गय जिलाधीशों को कि तुम्हें कांग्रेस के क्रैडीडेट्स को जिताना है। जिलाधीश भी यह कहते पाये गये कि अगर हम जैसे नौजवान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने तो कांग्रेस की वजन से ही बने, लिहाजा कांग्रेस को ही जिताना है।

जहां तक कापोरेशन का सम्बन्ध है चाहे वह फर्टिलाइजर कारपोरेशन हो, चाहे सीमेंट कारपोरेशन हो, चाहे दूसरा कोई कारपोरेशन हो, सबका इस इलेक्शन में फायदा उठाया गया है और मनमानी की गई है। ये सब चीजें इलेक्शन जीतने के लिए की गयी हैं। मैंने सदन में ट्रांस्फस के बारे में कहा था लेकिन इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया। पी० डब्लू० डी० को छोड़ देता हूं।

अब मैं हेलीकाप्टर्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि कांग्रेस के हर मिनिस्टर्स को एक-एक हेलीकाप्टर चाहिये। चाहे माननीय त्रिपाठी जी बस्ती गये या माननीय ए० एस० मिश्रा हों या बी० पी० मौर्य हों या माननीय जगजीवन राम हों सबको हेलीकाप्टर चाहिए। प्रधान मन्त्री को तो दे ही रखा है। आज कांग्रेस का कैम्पेनिंग हेलीकाप्टर से होता है। मैं आपके जरिये बहुत गुस्ताखी के साथ कहना चाहता हूं राजेन्द्रकुमारी जी से कि मैं तसलीम करता हूं कि आपको इतनी बुद्धि तो है कि आप मानती हैं कि उन्होंने हेलीकाप्टर का ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम इस्तेमाल किया। मगर मेरा प्वाइंट क्या था उसका जवाब नहीं दिया। मेरा प्लाइंट यह था कि गवर्नमेंट साधन का दुरुपयोग

क्यों किया ? आप जवाब देती हैं कि इसलिए किया क्योंकि वह द्रुतगामी था। यह कौन सी दलील है ? प्वाइंट यह नहीं है कि इन्दिरा जी या उनके दूसरे कोलीग्स जो हेलीकाप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे वह नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या वह बहैसियत एक पार्टी के सदस्य होने के नाते कर सकते थे एक इलेक्शन के लिए .... (व्यवधान) बाजपेयी जी इसका जवाब बाद में दे दीजियेगा, लिखकर दे सकती हैं। मैं घर पर आ जाऊंगा...आप नाराज न हों। मैं आपको और अन्य दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि हमारे सामने इटली की एक मिसाल मौजूद है जोकि इंगलैन्ड के लेबर प्राइम मिनिस्टर थे। जब इलेक्शन हुआ तो उनकी वाइफ गाड़ी चला रही थीं और वह इलेक्शन के लिए जा रहे थे। वहां हेलीकाप्टर और ऐरोप्लेन सब मौजूद थे। आप अगर समझती हैं कि इन्दिरा जी के लिए हेलीकाप्टर जरूरी है तो और नैताओं को क्यों न मिले दूसरी पार्टीज के ? इसका कोई जवाब नहीं। क्या जवाब है ? क्योंकि वह तेज चलती हैं ?

यह कहा जाय कि उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, तो क्यों है यह जरूरी ? सिक्योरिटी के लिए पुलिस मौजूद है। फिर सिक्यारिटी के लिए हेलीकाप्टर किराये पर लिया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। रुपए की तो कमी नहीं है कांग्रेस के पास। अपना हेलीकाप्टर खरीदा जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट के साधन इस्तेमाल किये और उसका कोई एक्स प्लेनेशन नहीं जबकि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता और जब कहा जाता है कि उसका इस्तेमाल जस्टिफाइड होना चाहिए तो कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

सारी रिपोर्टें हैं डकैतों के बारे में कि किस तरह से उनको इस्तेमाल किया गया। बस्ती की मिसाल मौजूद है शहादत हो चुकी थी, 88–90 मुल्जिम छोड़े गए इसलिए कि कांग्रेस कैन्डीडेट के लिए काम करते। गोरखपुर में सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट हो गया था, हाईकोर्ट से भी फांसी का और फिर भी पैरोल पर छोड़ा गया फरेंदा कांस्टीट्युन्सी में। उससे कहा गया कि कांग्रेस का कैन्डीडेट जीत गया तो तुम्हारी सजा रेमिट कर दी जायगी, यह जो फांसी का सेंटेंस है। बतलाइए कि हाई कोर्ट से फांसी की सजा, सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा और पैरोल से छूट कर कांग्रेस कैंडीडेट के लिए काम करता है। कोई जवाब है इस बात का ?

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)--

चौधरी साहब, मुझे कृपया एक शब्द कहने की इजाजत दीजिये। आपने कहा यह कि हाईकोर्ट का मुल्जिम और सुप्रीम कार्ट से फांसी की सजा बहाल, मुकदमा चल रहा था और जेल से बाहर लाया गया इलेक्शन के बीच में। तो जयराम वर्मा जब अकबरपुर टांडा से चनाव लड़ रहे थे ता क्या राजपाल दूबे को जेल से छुड़ाकर नहीं लाया गया और यह वादा नहीं किया था कि इलेक्शन जीतने के बाद तुम्हारी सजा माफ कर देंगे और आपने भी एश्योरेंस नहीं दिया था कि माफ कर देंगे अकबरपुर कांस्टीट्यूसी में ?

(सरकारी पक्ष से शेम-शेम की आवाजें)

चौधरी चरण सिंह--

मैंने तो वादा नहीं किया। क्योंकि जब वह जेल से छूट कर पैरोल पर आया तो फौरन जेल चला गया। मैंने कोई वादा नहीं किया।

श्री प्रियदर्शी जेटली--

जयराम जी खुद गये थे।

चौधरी चरण सिंह--

आपकी ही गवर्नमेंट थी।

श्री प्रियदर्शी जेटली—

माधव बाबू पैरवी के लिए गए थे ।

चौधरी चरण सिंह—

उसके वाकयात तो देख लिये जायेंगे । पर आपको तो तसलीम है कि यह दोनों बात सही है ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि करोड़ों रुपए इंडस्ट्रियलिस्ट्स से इकट्ठे किये गये और करोड़ों रुपए बाइब के तौर पर 424 कांस्टीट्यूएंसीज में से कम से कम 375 में इस्तेमाल किये गये । धोतियां हैं, साड़ियां हैं, कम्बल हैं, बाल्टियां हैं और न मालूम क्या-क्या चीजें हैं । हमारे कमलापति त्रिपाठी जी हैं और केशवदेव मालवीय जी हैं, वह बैठ गये महीने भर के लिए, बस्ती में सभी कुछ काम करने के लिए । जिस दिन इलेक्शन होता है रात में दोनों इन्सपेक्शन हाउस में अफसरों से बात करते हुए देखे गये । और मेरे पास रिपोर्ट यह है कि श्री केशव देव मालवीय रास कोर्ट कम्पाउन्ड में देखे गए जहां बक्से रखे गये थे ।

एक सदस्य—

यह सही नहीं है जो चौधरी साहब कहते हैं । मालवीय जी एक महीना बिल्कुल नहीं बस्ती में रहे और त्रिपाठी जी तो गये ही नहीं थे । यह बिल्कुल झूठ है ।

चौधरी चरण सिंह—

जहां तक बक्सों की बात है, यह मैंने अर्ज किया था उसका कोई जवाब नहीं कि दो रंग के बैलेट पेपर्स कहां से आ गये ? और रंग का ही नहीं कागज का भी फर्क है । यह कैसे हो गया ? ऐसा कांस्टीट्यूएंसी है जहां 54 हजार वोट पड़े और जब गिनती होती है तो 62 हजार, 63 हजार, 64 हजार वोट पड़े और 72 हजार बैलेट पेपर्स निकले । तो बीच में वह बक्से बदले गये या उन्हीं बक्सों में पुराने बैलेट पेपर्स पर सील एफिक्स करके जैन्यून बैलेट पेपर्स की जगह फिक्टीशस रख दिये गये । अपोजीशन पार्टी के किसी कैंडीडेट ने एतराज किया तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इनवेरियेबली यह जवाब दिया कि हम नहीं जानते । मैं खासतौर से राजेंद्र कुमारी जी से जानना चाहता हूं, यह हमारे पास बैलट पेपर है मेज पर बक्सा मौजूद, अनेक लोग मोजूद, हैं दो राज्य कर्मचारी मौजूद, आपके कांस्टेबिल संगीन लिये खड़े, आप यह बतला दीजिये कि फिर भी गड्डे के गड्डे बैलेट पेपर्स एक जगह मुड़े हुए कैसे बक्से में से निकल आये ? वह कौन सा जादू हो गया ? जैसे नोटों की तरह वैसे भर दिये गये । जल्दी का काम और फिर जब बेईमानी की जाती है तो कभी न कभी पकड़ी जाती है और फिर एक आध जगह बेईमानी हो जाय तो दूसरी बात हर कांस्टीट्यूएंसी में यही हाल । कैलाश प्रकाश जी ने फोटो लिया अपनी कांस्टीट्यूएंसी में, वहां भी ऐसा ही निकला । फोटो आप के यहां भी लिया गया आप बातें तो बड़ी लम्बी करते हैं लेकिन यह कोई बतला दे कि जो बैलेट पेपर्स खोले गये और उसी वक्त फोटो ले ली गई तो ये बैलेट पेपर्स कैसे जाये ? कोई इस बात को एक्सप्लेशन कर दे, मैं अपने सारे आरोप वापस ले लूंगा ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

मैं तैयार हूं इसको बतलाने के लिए ।

चौधरी चरण सिंह—

आपको कई बार मौका मिल चुका है। मेरा कहना यह है कि किसी एक कैन्डीडेट से गलती हुई हो, उसके एजेंट से गलती हुई हो, राज्य कर्मचारियों से गलती हुई हो, कहीं हिलने-डुलने की वजह से सीलें टूट गई हों, नहीं। एक डीप लेड कांसपिरेसी के तौर पर बड़े-बड़े अफसरों को मिला कर कांग्रेस की लीडरशिप ने रिंगिंग कराई। कम से कम 80 परसेंट में ब्राइब किया गया और इसके साथ ही डेढ़-दो सौ कांस्टीटुएन्सी में बाकायदा रिंगिंग हुई। कहा जाता है इलेक्शन पिटीशन में देखा जायगा। इलेक्शन पिटीशन का सब को मालूम है कि इन्टर लोकेटरी आर्डर्स हों तो सुप्रीम कोर्ट में अपील में 3–4 साल और ऐसे भी केसेज हैं वहां 5 साल बीत गये और फैसला 6 साल में होता है। तो कोई गरीब आदमी इलेक्शन पेटीशन में नहीं जा सकता है और फिर यहां तो सारा इलेक्शन ही विशिएटेड है। इसलिए मेरी दरख्वास्त यह है कि एक कमीशन मुकर्रर करिये। तिवारी जी कहते हैं कि कौन से आर्टिकिल या कानून में बनेगा। कोई आर्टिकिल या पुराना कानून खोजने की जरूरत नहीं है। केवल एक आर्डिनेंस काफी होगा। उसके जरिए इम्पावर किया जा सकता है कि उनको वही पावर्स होंगी जो ला कोर्ट को होती हैं और तीन महीने के अन्दर यह रिपोर्ट आ सकती है। इसलिए यह जवाब कि इलेक्शन कमीशन में पिटीशन कर दीजिये यह कानूनी जवाब है लेकिन जो सिचुएशन है उसको यह मीट नहीं करता।

आपने मेरे इलेक्शन मैनीफेस्टो का जिक्र किया। मैंने कहा था कि मैं नहीं मानता हूं कि यह गवनमट डयुली इलेक्टेड बाइ दि पीपुल है। इसलिये इलेक्शन मैनीफेस्टो की बात करना कोई मानी नहीं रखता। मेरी पार्टी बराबर इस बात को मानती रही है लेकिन रूलिंग पार्टी अगर बैलेट को आनर नहीं करेगी आप अपनी पावर का दुरुपयोग करेंगे, करप्ट तरीके अपनायेंगे, आफिसर्स को करप्ट करके अपने हक में निर्णय करवायेंग, तो फिर डमोक्रेसी इस रूप में नहीं चल सकती है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं। अगर आप जो आफिस में हैं, डेमोक्रेसी को नहीं मानेंगे तो अपोजीशन उसे कैसे मानेगा? अगर इलेक्टोरेट यह कहे कि हमने कांग्रेस को राय नहीं दी है, मेजारिटी कांग्रेस के साथ नहीं है, तो कैसी डैमोक्रेसी? अगर यह होगा तो मैं फिर कहता हूं कि लोगों को अनकान्स्टीट्यूशनल मीन्स को अख्तियार करना ही पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक जब कहा जाता है कि फलां मिनिस्टर करप्ट है, उसने रिश्वत ली है, उसकी कोई जांच तक नहीं होती। माननीय उप नेता सदन, गुजरात आपके कहने से रुकने वाला नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा की दया से यहां गुजरात वाली नौबत न आय, लेकिन यह नौबत आयेगी या नहीं आयेगी, वह हम पर इतना निर्भर नहीं करती जितना कि आप पर निर्भर करती है।

अगर आप आंख मूंद कर, इस नशे में पावर में बैठेंगे और सही बात नहीं करेंगे, तो इविल दि बर्म विल टन, कीड़ा भी काटने की कोशिश करेगा और फिर वायलेन्स हो जायेगी, आप बठे देखते रहेंगे, हम बठे देखते रहेंग। इसलिय करप्ट प्रैक्टिसेज को रोकिये। मेर साथी वाइलन्स नहीं करना चाहत, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, यह हम पर इतना निर्भर नहीं करता जितना आप पर। जनता खुद वाइलेन्स करेगी और दुनिया की कोई ताकत फिर उसे रोक नहीं सकती इन शब्दों के साथ मैं माननीय तिवारी जी से और बहुगुणा जी से भी, यद्यपि उन्होंन मेरी पूरी बातें नहीं सुनीं तथा अपने सब दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि अगर मेरे किसी शब्द से तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं लकिन बहुत अरनेस्ट तरीक से यह निवेदन करना चाहता हू कि मरी पीढ़ी क जो लोग यहां बठे हुय हैं व याद करें कि हम लोगों न अपन देश क लिये क्या-क्या स्वप्न नहीं देखे? (वाह–वाह की आवाज) (व्यवधान) इन शब्दों क साथ म सदन से अपील करता हूं कि वह मर संशोधन को स्वीकार करन की कृपा करें।

सदन में पर्चे तथा चप्पलें फेंकने से सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में मार्शल की रिपोर्ट तथा सदन के अवमान का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

अभी सदन में जो घटना हुई थी पर्चे फेंकने के सम्बन्ध में, उसके बारे में जो रिपोर्ट मेरे पास आयी है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं (व्यवधान) । अभी 3 बजकर 25 मिनट पर विरोध पक्ष की ओर से दीर्घा नं 0 1 से जिस समय माननीय नेता विरोधी दल भाषण कर रहे थे, दो व्यक्तियों ने पर्चे फेंके और अपनी चप्पल भी निकाल कर फेंकी । इसके बारे में हमने जो पता लगाया है वह यह है कि उन दोनों के प्रवेश-पत्र अपने कब्जे म ले लिये गये हैं । मार्शल लिख रहे हैं । प्रवेश पत्र पर प्रवेश देने वाले का नाम निम्नलिखित है । जो व्यक्ति पकड़े गये वह दयानन्द पांडेय हैं और नम्बर 23363 है । जिन्होंने जारी किया वह रामसेवक यादव सदस्य विधान सभा है । दूसरे भाष्कर सिंह है 23364 ।

(सत्ता पक्ष में हंसी ।)

अब मैं आपके सामने सूचना दे रहा हूं कि क्या है ? जो कागज मिला है और जो उनके पास था, उसकी और जांच करूंगा और जो प्रक्रिया है वह भी इस सम्बन्ध में अपनाई जायेगी । इसमें बहुत हर्षित या क्षुब्ध होने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

जो यह प्रवेश मेरे द्वारा जारी किये बताये जाते हैं, उनके सम्बन्ध में आमतौर पर आदमी यहां पर सदन की कार्यवाही देखने आते हैं, उसी उद्देश्य को विचार कर वह दिये गये हैं । मैं पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से कह सकता हूं कि मुझे इस सम्बन्ध म न तो कोई जानकारी थी और न कोई मतलब था ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि वह ईमानदारी के साथ कह रहे हैं कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, मैं इसे देखूंगा । अभी आप कैसे इस नतीजे पर पंहुच गये कि यह पूर्ण रूप से ठीक है ? दूसरे जो भाष्कर सिंह थे, उनको भी श्री राम सेवक यादव के जरिये से है । यह दोनों इसमें पर्चे लगे हुये हैं ।

एक सदस्य—

क्या ये दोनों विद्यार्थी है या गैर विद्यार्थी ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अभी यह सूचना मेरे पास नहीं है । वह बिठाये गये हैं ।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, उस पर्चे पर क्या लिखा है, वह शायद आपके समक्ष है, आप उसे पढ़कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब तो जो सूचना है, उस पर आप फैसला अभी करना चाहते हैं या थोड़ी देर बाद करना चाहते हैं । यह आप तय करके बतायेंगे ।

*खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

जिस वक्त यह पर्चे फेंके गये थे, मैंने कुछ सवालात आपके सामने रखे थे और मैंने कहा था कि नेता विरोधी दल ने जसे ही अपना वाक्य समाप्त किया, ठीक उसी वक्त यह पर्चे आये और साथ ही चप्पलें भी आईं । इस तरह से सदन का घोर अवमान हुआ है । अभी आपने जो पढ़ कर सुनाया, उससे स्पष्ट ही है कि भारतीय क्रांति दल क उप नेता श्री राम सेवक यादव द्वारा यह जारी किये गये थे । उनके लिये जिन्होंने यह पर्चे फेंक, ये दोनों मामले एक साथ यहां पर मिल जाते हैं । इसलिय म दोहराती हूं कि चूंकि यह घटना सदन क सामने हुई है । बैलट के द्वारा यह चीजें नहीं हो सकती ह और क्रांति की आवाज यहां जिस समय उठाई गई है, ऐसे समय में एसी घटना सदन के बीच में हुई है, इसलिये इसकी पूरी जांच और इस पर पूरी कार्यवाही सदन के सामने ही होनी चाहिये ।

दूसरी बात अभी हमारे नेता विरोधी दल ने दुबारा हमारे ऊपर यह चार्ज लगाया कि मेरे नाम को लकर कहा कि इसका जवाब नहीं दिया । तो मैं कहना चाहती हूं कि जिस समय बलट पेपर निकाले गये, टेबुल क ऊपर रखे गये, लोग लगाकर रख रहे थे, उस वक्त ये फोटो खींच ग थ और पुलिस उस समय वहां थी । बात यह थी कि इन लोगों की यह साजिश थी कि हमारे बैलट पपर ये लोग निकाल कर भाग जायग और उनम आग लगा दगे । इलाहाबाद के नामी गुन्डे जो भारतीय क्रांतिदल क सदस्य हैं, वहां पर सब मौजूद थ । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पूरा जनमत हमारे साथ था । गुंडागर्दी थी, व वहां पर उपस्थित थे, इसलिये वहां पर पूरी तरह से पुलिस का इंतजाम किया गया था जो तस्बीर में दिखायी पड़ता है । मने उस दिन भी दोहराया था और आज भी दोहराती हूं कि इलेक्शन पिटीशन में तीन-चार साल लग सकते हैं लकिन इनक्वायरी मैं स्वीकार करने को यार हूं । किसी क्षेत्र में नहीं, मेर क्षेत्र में जिस तरह से चौधरी साहब इनक्वायरी कराना चाहते हैं करा लें । हमने कोई भी बइमानी नहीं की है । मैं तो चुनाव के वक्त किसी बूथ क अन्दर नहीं गयी और चुनाव के पंडाल म कभी नहीं गयी । इसलिये मैं इस चीज को पूरे दाव के साथ कह सकती हूं कि ` चीजें गलत हैं गलत आरोप लगाया गया है और फिर से मैं दोहराती हूं जो इनक्वायरी करवाना चाहें, करवा ल ।

मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मैं जानना चाहता हूं कि वह किस विषय पर बोल रही हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह एक अलग प्रश्न है । कहीं विशेषाधिकार भंग हुआ है, किसी माननीय सदस्य ने कि.या है वह अलग सवाल है उसके लि विधिवत् सूचना की आवश्यकता है । स्पष्टीकरण जो हुआ है वह ो यहां अपन बारे म कह रही हैं । अब मान लीजिय अगर सहमति भी हो जाय तो जो काम चुनाव आ ोग का है क्या वह काम दूसरे लोग करेंगे ? इसलिये इसको अलग रखते हैं । यह जो सवाल है इस पर अभी फसला हो यह विचार कर लीजिय । यह विधान सभा की व्यवस्था से सम्बन्धित चीजें हैं ।

(श्री नारायणदत्त तिवारी बोलने के लि` खड़े हुये)।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

जो कह रही हैं इसके मानी यह है कि उन्होंने चोरी करवायी । उनकी चोरी को कोई देख न सका ।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मैं नियम 63 की ओर आप का ध्यान दिलाता हूं । सदन के समक्ष जो घटना हुई, विशेषाधिकार भंग होने को नियम 63 के अन्तर्गत उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करें और जांच करके सदन के सम्मुख रखें ।

श्री अध्यक्ष---

मैं उनको जेल भेज दूं ? यहां बुलाना पड़ेगा और जेल भेजना होगा । कुछ प्रक्रिया तो करनी होगी । उनको सदन के सम्मुख राजा देनी पड़ेगी ।

एक सदस्य---

किस कानून में आप चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

कानून नहीं लागू होता है इसके बारे में ।

एक सदस्य---

मेरी समझ में नहीं आया क्या श्न विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न मुझ पर पड़ जायगा अगर आप फैसला नहीं करेंगे । हमको जेल भेज देना पड़ेगा । आपके सम्मुख वह श्न है ।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)---

जेल भेज दीजिये ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

अध्यक्ष जी, यह प्रश्न किसी पार्टी विशेष या दल का नहीं है । मैं आशा करता हूं कि स्व चौधरी साहब इसमें लीड लेंगे क्योंकि उनका बहुत एक्सपीरिएंस है इस हाउस के चलाने का कि ऐसी स्थिति में इस पर हम क्या करें । सामान्य प्रथा यह रही है, जब ऐसी आकस्मिक घटना हुई है, वह गुमराह नौजवान है जिन्होंने ऐसा किया है, जानबूझ कर शरारत करने की नीयत से नहीं किया, लेकिन बेचारों को किसी ने गुमराह किया है ।

जिसने गुमराह किया है उसको तो पकड़ना मुश्किल है, लेकिन उन नौजवानों ने कुकृत्य किया है । इसलिये उन्हे हल्की सजा देना इस सदन का कर्त्तव्य है । मेरी सलाह है कि उनको 3 दिन की सजा देना काफी होगा ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

माननीय नेता सदन ने जो फरमाया वह ठीक ही है इस हद तक कि इस तरह से अनेक मामले इस सदन में हुये हैं....

एक सदस्य---

कभी चप्पल नहीं फेंकी गई...

चौधरी चरण सिंह---

बहुत से प्रीसीडेन्ट्स होंगे, आप सेक्रेट्री से जो पुराने दृष्टान्त हैं उनको दिखवा लें । इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, लेकिन मरा यह सजेशन है कि उनको हाउस के सामने एडमोनिश कर दिया जाय ।

एक सदस्य—

आपने चूंकि करवाया है इसलिये आप लीनियेंट व्यू ले रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उनको हर हाल में हाउस के सामने बुलाना होगा ।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, अभी जब मैं आपको यह सजेशन दे रहा था कि उनको एडमोनिश कर दिया जाय, तो अभी एक सज्जन ने यह फरमाया कि चूंकि मैंने यह करवाया है, इसलिये लीनिएन्ट व्यू ले रहा हूं । उनका यह रिमार्क अनपार्लियामेन्ट्री है और वह अपने शब्द वापस लें क्योंकि वह सीधे मेरे मोटिव पर अटैक है ।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये कि कौन सी चीज अनपार्लियामेन्ट्री है, इस पर जाना होगा । इसको भी देखना होगा कि वे शब्द क्या हैं । अगर इससे विशेषाधिकार की अवहेलना हो तो आप भी सूचना दे सकते हैं कि आप पर कोई हमला हुआ है, लेकिन.....

चौधरी चरण सिंह—

नेता सदन ने जब 3 दिन की सजा के लिये तजवीज किया तो उस पर मैंने कहा कि आप एडमोनिश कर दें । तो यह फरमाया गया कि चूंकि मैंने यह सब करवाया है इसलिये मैं लीनिएन्ट व्यू लेना चाहता हूं अर्थात जूता मैंने फिकवाया, इसलिये लीनिएन्ट सेन्टेन्स की बात कह रहा हूं । जब मैंने एतराज किया तो उन्होंने कहा कि ठीक ही कहा है । या तो वह अपने शब्द वापिस लें नहीं तो मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, माननीय नेता सदन की इस पर यह राय है कि और माननीय नेता विरोधी दल की भी यही राय है कि लीनिएन्ट व्यू लिया जाना चाहिये । अनेक घटनायें सदन में हुई हैं, इससे भी वीभत्स घटनायें हुई हैं । अच्छा होगा कि उनको एडमोनिश करके और उनकी पूरी बात सुनकर इसको समाप्त कर दिया जाय ।

श्री बांके लाल—

उनको सदन के सामने लाया जाय । माननीय नेता सदन ने एक बारगी यह कह दिया कि 3 दिन की सजा होनी चाहिये, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । उनको सदन के सामने पेश करके पूछा जाय और उनका बयान लिया जाय, तब जाकर सजा दी जाय । ऐसी सजा देना केवल डिक्टेटरशिप ही कही जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

उनको नियमानुसार ही सदन के सामने लाना होगा । लेकिन प्रश्न यह है कि इसी समय सदन इसको निपटायेगा ?

श्री बांके लाल—

दूसरी बात यह भी मान्यवर, कि हो सकता है कि दर्शक दीर्घा का जो प्रवेश पत्र मिलता हो, उस पर किसी दूसरे के हस्ताक्षर हों । ऐसा भी संदेह किया जा सकता है.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन ने जो फरमाया उसका अनुसरण करते हुये कार्यवाही होना चाहिये कि उनको बुलाया जाय और अगर माफी मांग लें तो छोड़ दिया जाय । अगर माफी न मांगें और अड़ जायें तो आपको सोचना पड़ेगा । अब प्रश्न यह है कि उनको बुलाया जाय या कस्टडी में रखा जाय ? (व्यवधान)...यही पूछा है कि अभी इसको निपटाया जाय या कल लिया जाय ?

(व्यवधान)...

अब इस पर बहस की गुंजायश नहीं है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह उचित नहीं होगा कि वह यहां आयें और भाषण करें । उनका अपराध तो स्वतः सिद्ध हो गया है कि उन्होंने यहां जूता फेंका और सदन का अवमान किया इसमें किसी तरह का साक्ष्य लेने या औचित्य अनौचित्य पर बात कराने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष—

उनको यहां बुलाकर मात्र पूछना उद्देश्य है । उनसे वो लिखे हुये सवाल पूछे जायेंगे । जसे पहला सवाल यह कि वह अनक्वालिफाइड एपालाजी अर्थात बिना शर्त क्षमा मांगते हैं ।

(व्यवधान)...

एक सदस्य—

जिनके द्वारा उन्हें पास जारी किया गया है जांच करने के बाद क्या उन्हें भी दोषी ठहराया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरा सवाल है । ऐसी परम्परा भयावह होगी । जो माननीय सदस्य प्रसन्न हो रहे ह, ऐसा नहीं है । ऐसा कार्ड आपके नाम से भी इश्यू करा सकते ह । माननीय सदस्य अपने कर्तव्यों को जानते हैं। जानबूझ कर ऐसा कोई करेगा ऐसा मैं नहीं मानता । अगर किसी को कराना है और मन में इच्छा भी है तो वह नहीं चाहता कि अपने कार्ड पर इजाजत दे । यह न समझिये कि जिसका नाम लिखा हुआ है वह अवश्यमेव उसमें भागी है । अभी उनको यहां ले आया जायेगा तो दो सवाल करके उनको यहां से हटा दिया जायगा । फिर आप गौर कीजिये कि क्या किया जाय ।

एक सदस्य—

अगर छोटा सा दंड देकर आप छोड़ देंगे तो ऐसी घटनायें आये दिन यहां होंगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप कानून बना दें—5 साल, 3 साल, 2साल । नहीं तो अधिकतम सजा आप देंगे जब तक विधान सभा है । अभी तक आपने विशेषाधिकार भंग होने के विषय म कानून नहीं बनाया है और यह उचित भी नहीं समझा था । अगर सदन चाहेगा तो कानून बनायेगा । कि क्या सख्त नियम आप बनाय । सदस्यों के लिये तो है कि आप निष्कासित कर सकत ह ।

(व्यवधान)...

पहला काम यह है कि सदन का समर्थ बढ़ाना पड़ेगा अगर यह सब काम होना है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सदन के सामने इस प्रकार की अप्रिय घटना हुई है । पिछले साल भी इसी से मिलती जुलती घटनाएं हो चुकी हैं और सजा दी जा चुकी है । तो इसके लिये अलग से कानून हैं, किसी कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है । इसके लिये यह सदन सक्षम है और यह विशेषाधिकार अवहेलना का जो नियम है वह साफ है । अगर सदन के सामने कठिनाई होती है तो सदन स्वयं निर्णय करने के लिये सक्षम है । आपके सामने पूरी रिपोर्ट आ गई है। माननीय नेता सदन ने तीन दिन के लिये साधारण कारावास की बात सदन के सामने उपस्थित कर दी है । तो प्रस्ताव सदन के सामने आ गया है । इस प्रस्ताव पर आप सदन की राय ले लें और जो सदन राय दे उसके अनुरूप दन्डित करें ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

चौधरी साहब ने गोरखपुर और बस्ती की बाबत कहा कि चुनाव के समय लोग पैरोल पर छोड़े गये, तो इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पैरोल के बारे में नियम बने हुये हैं और सबसे बड़ा नियम यह है कि जो भी मेडिकल सर्टीफिकेट किसी डाक्टर का लावे उसको दो महीने का पैरोल ग्रान्ट हो जावेगा।

चौधरी चरण सिंह—

अब यह इस बात के कहने का मौका नहीं है इसलिये मेरा प्वायन्ट आफ आर्डर है।

श्री राज मंगल पांडेय—

मैं इसके लिये 20 बार उठा हूं और यह मेरा हक है कि मैं जवाब दूं । मैं चौधरी साहब को चैलेन्ज करता हूं कि वह एक भी केस बतला दें जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो। मैं उसके लिये इस्तीफा देने को तैयार हूं ।

श्री राम सेवक यादव—

यह जो माननीय मंत्री जी ने मेडिकल सर्टीफिकेट की बात कही है तो यह तो कायदे कानून की कार्यवाही की ही जाती है । सर्वोच्च न्यायालय से भी फांसी की सजा बहाल रही लेकिन फिर भी पैरोल पर छोड़ा गया । जहां तक सार्टीफिकेट की बात है तो डाक्टरों के खिलाफ अनेकों बार हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्ट्रक्चर पास हो चुके हैं ।

सदन में पर्चे तथा चप्पलें फेंकने से सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में मार्शल की रिपोर्ट तथा सदन के अवमान का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपका ध्यान नियमावली के पृष्ठ 25 में नियम 71 पर ले जाना चाहता हूं (दोषारोपित व्यक्ति के लिये अवसर) उस दशा को छोड़कर जबकि विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष किया गया हो, सदन दंड आदेश देने के पूर्व दोषारोपित व्यक्ति को उस पर लगाये गये दोष के स्पष्टीकरण या निर्दोषिता सिद्धि के सम्बन्ध में अपना पक्ष उपस्थित करने का अवसर देगा ?

परन्तु यदि यह विषय विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जा चुका है और दोषारोपित व्यक्ति समिति के समक्ष अपना पक्ष उपस्थित कर चुका है तो जब तक सदन अन्यथा निदेश न दे,

[श्री अध्यक्ष]

उस व्यक्ति के लिये सदन द्वारा ऐसा अवसर दिया जाना आवश्यक न होगा। हम उसको दोष सिद्ध करने के लिये नहीं बुलाते हैं। दोष तो सिद्ध ही है, प्रत्यक्ष हुआ है। लेकिन जिसको दण्ड देते हैं, उसको बुलाते हैं।

अगर यह सब करना है, तो सदन का समय बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सदन का समय 5.00 बजे समाप्त हो जायेगा। तो यह निश्चय करें कि इसको कल करेंगे या सदन का समय बढ़ाया जाय?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही तब तक चलती रहे, जब तक कि कार्य-सूची में दी गयी कार्यवाही समाप्त न हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जब तक कार्य-सूची पूरी न हो जाय, सब तक के लिये सदन अपना समय बढ़ायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना श्री भगवती सिंह की प्राप्त हुई है कि डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के छात्र संघ के भूतपूर्व मंत्री श्री महेशप्रताप सिंह की जघन्य हत्या हुई है। यह प्रशासन से संबंधित है। इसके लिये अल्पसूचित प्रश्न किया जाय। यह स्वीकार नहीं की गई।

दूसरी सूचना श्री शारदा भक्त सिंह की है कच्ची शक्कर बनाने वाले कारखानों द्वारा गन्ने के मूल्य पर गन्ने की खरीद के बारे में। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

एक सूचना श्री मोहन लाल कपूर की जनसंघ के श्री रवीन्द्र किशोर शाही के नेतृत्व में हुये प्रदर्शन के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज के बारे में। यह अस्वीकृत है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

माननीय, यह तो परसों की बात है, लाठी चार्ज हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

तो प्रश्न कर लें।

एक सूचना श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी की गेहूं की खरीद मूल्य तथा बिक्री संबंधी नियमों की घोषणा न किये जाने के बारे में भेजी गयी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय, यह बड़े महत्व की बात है इसीलिये दिया था।

श्री अध्यक्ष—

आपने लिखा है कि रबी की नयी फसल बिक्री के लिये आने के लिये तैयार हो गयी है, लेकिन सरकार द्वारा गेहूं के खरीद तथा बिक्री मूल्य घोषित न किये जाने के बारे में बात है तो इसमें शासन की कार्यवाही का विषय है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं समझता हूं कि इसमें मंत्री जी बयान दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है, इसके बारे में सवाल कर लें तो वह जवाब दे देंगे ।

माननीय मु० रफी खां ने ग्राम पिटरहाई थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के श्री मनोहर व बच्चू खटिक के साथ मड़ई के सर्वश्री गंगा सहाय, चिरौंजी, जैद इत्यादि द्वारा किये गये जुर्म के बारे में सूचना दी है । यह प्रश्न ऐसा है कि अदालत इसका उपयुक्त माध्यम है । इस तरह के जब कई मामले हरिजनों के बारे में आते हैं तो बयान दिलवाते हैं ।

एक श्री चरण सिंह का है वे कृपया अल्प-सूचित प्रश्न कर लें ।

सातवां प्रश्न श्री मोहम्मद असरार अहमद का है । डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के छात्रसंघ के भूतपूर्व मंत्री श्री महेश प्रताप सिंह की जघन्य हत्या के सम्बन्ध में है । इस पर आप पहले अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह श्री मोहन लाल कपूर का जो प्रश्न है नियम 51 के अन्तर्गत श्री शाही के सम्बन्ध में है वह पुराना कैसे हो गया ? परसों का यह मामला है । विधान परिषद् के वह सदस्य हैं । आज विधान सभा हो रही है । यह तो अर्जिएस्ट है । इससे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न और क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

इसको देख लूंगा ।

श्री जनार्दन साद ओझा (जिला गोरखपुर)—

22 तारीख को मैंने भी नियम 51 में एक प्रश्न दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

आज जो सूचनायें नियम 51 के अन्तर्गत मिली हैं उन्हीं पर निर्णय मैंने दिया है ।

सदन में पर्चे तथा चप्पलें फेंकने से सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में मार्शल की रिपोर्ट तथा सदन के अवमान का प्रश्न (क्रमागत)

*श्री राम सेवक यादव—

एक प्रश्न उठाया गया था । मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपनी व्यवस्था दें । उधर से यह कहा गया कि आपकी तरफ से यह सब कराया गया है इसलिये आप चाहते हैं कि उनको सख्त सजा मिल जाय । यह एक तरह से मोटिव इम्प्यूट करना है । माननीय चौधरी साहब ने जब सफाई दे दी तब भी इस तरह की बात करना और मोटिव इम्प्यूट करना कहांतक मुनासिब है ? एक आदमी जब ईमानदारी तथा नेकनीयती स बात कहता है तो उसे मान लेना चाहिये । अगर इस तरह से मोटिव इम्प्यूट करने का सिलसिला चलेगा तो इससे कार्यवाही में बाधा पड़ेगी । मैं चाहता हूं कि इसे वापस लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

अन्त में जो बात माननीय सदस्य कहते हैं या आखिरी में जो बात कहते हैं वही मान ली जाती है । यही अब तक की परम्परा रही है । ऐसा कहने से काम चलता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और सदन की आज्ञा से बैठकर ही बोलना चाहता हूं क्योंकि मेरी तबीयत खराब है . . . .

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं उनके सम्बन्ध में माननीय नेता सदन ने जो सलाह दी है उसके सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि जब तक वे यहां नहीं आ जायं तब तक कोई सलाह उनके बारे में नहीं दी जा सकती न ही उस समय कोई सलाह देने का अवसर था। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इस मामले में जो अवमान सदन का सदन के समक्ष होता है उन्हें हम दोष-सिद्धि के लिये नहीं बुला रहे हैं। अभी आपको नेता विरोधी दल नेता, जनसंघ और अन्य माननीय सदस्यों की राय मालूम हो गई।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं। मैं तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष जी, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि कई वर्ष के बाद इस सदन में आज अपने विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर मिला है। जिस स्थान से मैं बोल रहा हूं उस स्थान से हमारे प्रदेश के कई महारथी जिन्होंने भारत के स्वातंत्र्य संग्राम में जबरदस्त हिस्सा लिया, अगुवाई की उनका यह एक प्रमुख स्थान रहा है। इस स्थान से समय-समय पर उत्तर प्रदश के अन्दर और बाहर भारत को भी दिशा मिली है। मेरा विश्वास है कि आज जो यह काम मेरे ऐसे छोटे लोगों के कंधों पर आया है, हमारे बड़े बुजुर्ग चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों सब मिलजुल कर इस सूबे की गरिमा, इस सदन की गरिमा ऊंची करने में और भी ज्यादा सहयोग पहले से भी अधिक सहयोग हमें बराबर देते रहेंगे।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में हमने कहां-कहां क्या-क्या भूलें की—कहने में या न कहने में—उसके सम्बन्ध में मुझे ज्यादा नहीं सुनायी पड़ा। मुख्य शिकायत यह थी कि सरकार तुम्हारी क्यों बनी। मैं यह शिकायत उन लोगों की तरफ से समझता हूं जिन दलो के लोगों को चुनाव में बहुमत नहीं मिला है। लेकिन यह शिकायत चुनाव निकलने के बाद ही शुरू नहीं हुई। चुनाव शुरू भी नहीं हुये थे कि शिकायत शुरू हो गई थी कि उत्तर प्रदेश के अन्दर गड़बड़ होने वाली है।

हमारे मित्र माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का दल का एक अखबार है 'आर्गेनाइजर' उसने 29 दिसम्बर, 1973 के अंक में एक बात छापी और कहा कि बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा कमाल का काम कर दिया। वह बंगाल से एक पुलिस अफसर को लाया है जो कि चुनाव रिगिंग का काम बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसके बाद उसे इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस बना दिया गया है। चौधरी साहब इस बात के गवाह हैं। उनसे ज्यादा बड़ा गवाह और कोई नहीं हो सकता। चौधरी साहब को उत्तर प्रदेश का प्रशासन चलाने में बड़ा हिस्सा रहा है। वे प्रदेश के एक बहुत बड़े अगुवा व्यक्ति रहे हैं, बुजुर्ग है, मंत्री रहे हैं और मुख्य मंत्री भी रहे हैं। (किसी सदस्य के कुछ कहने पर)

मैं तो आपके अखबार की बात कह रहा हूं। मुझमें इतनी ताकत कहां है कि मैं अपनी तरफ से ज्यादा बोल सकूं।

चौधरी चरण सिंह--

जितने फेल्योर हों सब मेरे सर मढ़ो ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चौधरी साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं । इतना जरूर कहूंगा कि जिससे जितनी आशा होती है उतना न हो तो उसको शिकायत उतनी ज्यादा होती है । मुझसे आपसे बहुत ज्यादा आशा थी इसलिये शिकायतें बहुत ज्यादा हैं और उन शिकायतों की मैं जरूर चर्चा करूंगा वह बात अपनी जगह पर है । बहरहाल, दिसम्बर, 29 को मान्यवर, जनसंघ को सपना आने लगा कि श्री हिमांशु कर बंगाल से यहां आये हैं । चौधरी साहब जानते हैं कि श्री हिमांशु कर एक दिन के लिये भी बंगाल सर्विस में नहीं रहे । वे आई० पी० एस० कैडर के हैं और उत्तर प्रदेश में उनका एलाटमेंट हुआ था और यू० पी० के बाहर वे कभी नहीं गये । रायबरेली के वे भले ही रहने वाले हों लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर वे कहीं भी नहीं गये, लेकिन कहा जाने लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है । इसी तरह से जितनी शिकायतें हुईं, मैं चौधरी साहब का और इस सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा, कल एक छोटा सा नोट बना कर चौधरी साहब को भेज दूंगा कि 8 नवम्बर से, जब से मैं मुख्य मंत्री बना और इस प्रदेश में कांग्रेस शासन को चलाने का जिम्मा मेरे सिर पर आया, तब से जितनी लिखित शिकायतें सरकारी कर्मचारियों के पक्षपात पूर्ण रवैये के बारे में कांग्रेस की ओर से आई हैं या अन्यथा विरोधी दल की ओर से आयी हैं अगर उनकी गिनती करा ली जाय तो मैं फिर बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि विरोधियों ने तो एक दर्जन से ज्यादा शिकायतें नहीं की हैं । चौधरी साहब को पूरा भरोसा था कि 28 तारीख के दूसरे दिन से काम अच्छी तरह से होने लगेगा । उनको पूरा भरोसा था कि वे जीतेंगे वरना वह भी कहते कि उत्तर प्रदेश के भाइयों, सजग रहो, चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में घपले हो रहे हैं । मैं तो आपकी तारीफ करता हूं इस बात के लिये कि उस समय तक आप सही रास्ते पर थे जब तक हमारे साथ थे आपने कुछ गलत लोगों की राय ली और उन गलत लोगों के साथ में पड़ गये थे यह दुर्भाग्य है ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

मैं मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन था और आपका बहुमत था तो अपना बहुमत होते हुये भी आपने असेम्बली क्यों नहीं बुलायी, जब आपने अपना मंत्रिमंडल बनाया तो असेम्बली क्यों नहीं बुलायी, इसका जवाब आपके पास है ? आपने केवल चुनाव लड़ने के लिये मंत्रिमंडल बनाया और चुनाव में भ्रष्टाचार करने के लिये ही आपने अपना मंत्रिमंडल बनाया कोई काम आपने किया ? अगर कोई काम हुआ हो तो बतला दें, हम उसको मान जायेंगे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चौधरी साहब कभी अपना विवेक नहीं छोड़ते, चेष्टा करते हैं कि उसके अनुरूप काम करें । हम तो चौधरी साहब के साथ मिल कर कई लड़ाइयां लड़ चुके हैं कांग्रेस के उन दोस्तों के साथ जो पूंजीवादी प्रवृत्तियों के प्रतीक थे लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि चौधरी साहब को अगर जरा भी शुबहा होता कि चुनाव के जमाने में फलां जगह गड़बड़ी हुई है तो वे जरूर ध्यान आकृष्ट करते क्योंकि चौधरी साहब जैसा मिसिलबन्द अच्छा राजनीतिज्ञ उत्तर प्रदेश में न कोई था, न है और न होगा । चौधरी साहब के पास बहुगणा ने आज से 10 साल पहले किस दिन क्या कहा था, इसका पुराना चिट्ठा मिल जायेगा । चौधरी साहब बड़े ही सतर्क राजनीतिज्ञ हैं । मैं तो बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनसे सीखने लायक हैं । हम लोग तो कागज खो देते हैं लेकिन अकेले चौधरी साहब ऐसे इन्साइक्लोपिडिया हैं जो सारे कागजात को घुमाफिरा कर रख रहते हैं ।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हमारे यहां कोई गडबड़ी हो रही थी, दारोगाओं के ट्रांस्फर में गड़बड़ी हो रही थी, आफिसरों के ट्रांसफर में गड़बड़ी हो रही थी, कलेक्टरों के एप्वाटमेंट में गड़बड़ी थी, भाषणों में गड़बड़ी थी तो चौधरी साहब के पास मिसिल मुरत्तब होनी चाहिये थी, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई मिसिल मुरत्तब नहीं की । मिसिल मुरत्तिब करके कहते कि यहां यह घपला है, यह मुश्किल है । लेकिन मुझे दुख हुआ और मैं उम्र में छोटा हूं । मैंने उनका सदैव आदर किया है और करूंगा चाहे वह किसी भी दल में रहें । फोन से वे हुक्म कर सकते थे कि फलां फलां जगह गड़बड़ी हो रही है (व्यवधान) . . . .

श्री बांके लाल—

मान्यवर, यह महान असत्य बोलने वाले हैं इसलिये इनसे क्या पूछा जाय ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हम जीते क्यों ? इस सम्बन्ध में मेरा स्पष्ट मत है । उस तरफ से बड़ी आशा थी कि इससे ज्यादा मंहगाई सताने वाली नहीं है यह कैसे जीतेंगे, लेकिन फिर भी हम जीत गये । अगर यह हमारा कसूर है तो यह जबर्दस्त कसूर है । ऐसे जमाने में भी जनता ने हमें जिताया है । हमारे प्रदेश में चीजों की कमी है और उस तरफ से पूरी आशा थी कि यह कमियां हमें खड़ा नहीं रहने देंगी । सच तो यह है कि जब मुझ से पूछा गया कि आप लोगों को मालूम होगा कि आपका चुनाव किससे है तो मैंने कहा कि हमारा चुनाव कमियों से है, अव्यवस्था से है जो आज तरह-तरह से हमारे प्रदेश में घर कर गई है । अगर उसके बावजूद हमने बहुमत पाया है तो इससे हम घमंड नहीं करते और हमारा दल भी नहीं करता है क्यों कि हम मानते हैं कि हमारे प्रति जनता का अगाध विश्वास है । यह भी हम जानते हैं कि जनता ने हमको राज्य करने के लिये नहीं दिया है और हमने इसलिये वोट नहीं जीते हैं बल्कि हमें समाज बदलना है और समाज बदलने के लिये हम जीते हैं । इसके लिये हम बराबर चेष्टा करते रहेंगे ।

एक बात और कही गई कि यहां थानेदार बहुत बदले गये । कितने हजार थानेदार हैं और कितने थानेदार बदले गये । चौधरी साहब गृह मंत्री थे 1966 में तो यह नहीं हुआ होगा कि उनके जमाने में थानेदार न बदले गये हों । मैं आपसे यह कह सकता हूं कि टोटल स्ट्रेन्थ के एक परसेंट भी थानेदारों का तबादला नहीं हुआ । मेरा विश्वास है चौधरी साहब को तरह से कि तबादला कोई सजा नहीं है । अगर कोई अफसर गलत है तो उसको घर जाना होगा । मैं आपको विश्वास दिला दूं कि जितने दिनों तक मुझे राज्य चलाना होगा उतने दिनों तक दबाव में आने वाला नहीं हूं तबादलों के मामले में । राज्य कर्मचारी को अपना कार्य करने का पूरा हक है जब तक वह मर्यादा में काम करता है । काई राजनीतिक दबाव उस पर नहीं होगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे पास कांग्रेस की तरफ शिकायतें हैं । (व्यवधान)

श्री भगवती चरण (जिला गढ़वाल)—

जरा हेलीकाप्टर का भी जिक्र कर दीजिये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अभी इब्तदाये इश्क है रोता है क्या । आगे-आगे देखिये होता है क्या ।

श्री मोती लाल वेहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, "अभी तूने दुनिया में देखा है क्या, लगा देते हैं आग पानी में आंसू" ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्रीमन् जहां तक शासन के सूत्रों के इस्तेमाल और प्रयोग का सवाल है । चौधरी साहब के जमाने में जो रूल बने हुये थे मैंने उनकी तरमीम की है । मैंने फैसला किया है कि 5 हजार रुपया या 50 प्रतिशत जो भी ज्यादा हो वह जमा करा लिया जाये । बिल बहुत देर में आते थे और पेमेन्ट देर में होता था । प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्रियों के सिलसिले में जो वसूल मानना पड़ेगा जिसे चौधरी साहब ने अपने जमाने में कभी नहीं किया । हमने पैसा पहले जमा करा दिया । दूसरा कसूर मेरा यह है कि कोई भी मिनिस्टर और कोई भी अधिकारी या कोई भी कांग्रेस का लीडर हो अगर सरकारी वेहिकल इस्तेमाल की है तो जो ट्रान्सपोर्ट का रेट है वह देगा । दो रेट होते हैं एक तो वह जो इस्टेट डिपार्टमेंट का है और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट रेट है । ट्रांसपोर्ट रेट में अधिक पैसा देना होता है ।

मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब और कई लोग पुराने बैठे हुये हैं कुछ लोग नये भी बैठे हैं । 1936 से मैं भी कांग्रेस की सेवा करने का हिस्सेदार हूं । मैं चुनाव में सरकारी मशीनरी के प्रयोग का सख्त विरोधी रहा हूं । हमारे पास कागजात हैं जिनसे साबित हो सकता है कि विरोधी दलों ने कैसे उनका इस्तेमाल किया है । जूनियर इंजीनियर्स को जनसंघ ने अपने मंच से खड़ा करके उनके भाषण कराये और उसकी निन्दा करते हैं । अमीनुद्दौला पार्क में सार्वजनिक सभा में जब अटल बिहारी बाजपेयी आये थे तो जूनियर इंजीनियर्स के नेताओं को खड़ा करके भाषण कराये गये । हमारी मीटिंगों में विघ्न डाले गये । प्रजातंत्र में सबसे बड़ी चीज है भाषण स्वातंत्र्य की । हमारी मीटिंगों में पत्थर फेंके गये । हमारी कितनी मीटिंगों को खराब किया गया । मेरठ में नाना जी देशमुख की मीटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई थी और कभी भी किसी भी जगह भाषण स्वातंत्र्य को छीनने की कोशिश नहीं की गयी ।

चौधरी चरण सिंह—

मैं कह देना चाहता हूं कि नेता सदन क्योंकि वह बीमार हैं, ज्यादा दखल नहीं देना चाहता, सन् 1971 में हर मीटिंग में कांग्रसियों ने दखल दिया था ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, चौधरी साहब ने मेरी ताईद की है । मैं तो यह कहता हू कि प्रजातंत्र के शत्रुओं की वह आइडेंटीफिकेशन भी कर रहे थे । आपने इस 74 के चुनाव में जिसमें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस की, जोकि मित्र पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको गिराने के लिये जो प्रयास किये गये हमें इस सदन में पहचानना है और इस सदन के बाहर भी प्रजातंत्र के उन शत्रुओं को पहचानना है । अगर हम नहीं पहचानते हैं तो प्रजातंत्र को अवश्य खतरा है ।

मैं एक बात और कह देना चाहूंगा, मान्यवर कि हमारे सामने यह बात कही गई.....

(व्यवधान) (शोर)....

एक सदस्य—

मान्यवर, मोटर कार का जिक्र किया गया परन्तु हेलीकाप्टर का जिक्र नहीं किया गया ?

हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह तो ऐसा है मान्यवर, (व्यवधान) (शोर).....हेलीकाप्टर की बात चौधरी साहब ने कही...(व्यवधान ...(शोर)...

एक सदस्य—

वह मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि हमारे आजमगढ़ जिले में ..(व्यवधान)....(शोर)

एक सदस्य—

(शोर).....माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...(शोर)

एक सदस्य—

मैं चुनाव में खड़ा था, हमारी मीटिंग हो रही थी ...(शोर)..(व्यवधान)... आप जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं उस बात पर था कि सरकारी यंत्रों के इस्तेमाल की बात कही गई थी कि सरकारी यंत्र इस चुनाव में इस्तेमाल किये गये थे। मैं उनकी सूचना के लिये कहना चाहता हूं कि हेलीकाप्टर के इस्तेमाल की जो बात कही गई है, हेलीकाप्टर माननीय कमलापति जी या उमाशंकर दीक्षित या बाबू जगजीवन राम ने इस्तेमाल किया। 90प्रतिशत हेलीकाप्टर बम्बई की फर्म से किराये पर लिया था या जो किराये पर नहीं ली गई थी तो उसका किराया दिया गया था। जो भी मैंने इस्तेमाल किया उसका मैंने किराया दिया था।

कई सदस्य—

(शोर).....(व्यवधान)

इतना पैसा आपको कहां से मिला। आपने यह पैसा पूंजीपतियों से लिया ? कि चोरी किया या अफसरों से लिया ? इसका ब्यौरा सदन में आप दें। इसका स्पष्टीकरण आप दें। (शोर) (व्यवधान).....

श्री रामसेवक यादव—

जो आपने किसी बम्बई की फर्म से हेलीकाप्टर किराये पर लिये थे, अभी आपने कहा है कि 90 प्रतिशत किराये पर लिये थे तो इस हेलीकाप्टर को प्रधान मंत्री जी ने कितना इस्तेमाल किया, आप जानते हैं ? यह जो हेलीकाप्टर बाबू जगजीवन राम या बहुगुणा जी, मुख्य मंत्री जी या दूसरे मंत्री जी ने इस्तेमाल किये, तो इसका किराया आपको कहां से मिला ?

दूसरे पेट्रौल की कमी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव काले धन का प्रयोग करके लड़ा जाता है।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का हलीकाप्टर पानी से चलता था या पेट्रौल से।

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जहां तक हेलीकाप्टर का प्रश्न है अगर इसके बारे में कोई और जिक्र करता तो कोई बात नहीं थीं लेकिन भाई राम सेवक यादव ने इसका जो जिक्र किया उससे बड़ा दुःख होता है।

एक सदस्य—

क्या आपने रिटर्न दाखिल किये हैं जिनमें इस सब खर्चों को दिखाया गया होगा !

श्री हेमवती नन्द बहुगुणा—

इलैक्शन्स में हेलीकाप्टर के इस्तेमाल किये जाने की परम्परा 1971 में, अगर माननीय सदस्यों को याद हो तो, जो त्रिगुट बना था, उसके समय के महायुद्ध के नेता विजय राजे सिंधिया ने किया था।

श्री राम सेवक यादव—

श्री कामाख्या नारायण सिंह ने, यदि उन्हें याद हो, पहली बार हेलीकाप्टर का प्रयोग किया था।

श्री हेमवती नन्द बहुगुणा—

हमने जो हेलीकाप्टर लिये उनका बाकायदा किराया दिया प्राइवेट पार्टीज को । विरोधी दलों को भी हक है, उनको भी अधिकार है कि वे प्राइवेट कम्पनीज से हेलीकाप्टर्स ले लेते। मैं किसी के साधनों की बात नहीं कहूंगा कि कैसे कैसे कहां से आये लेकिन सारा प्रदेश और भारत की जनता जानती है कि ज्यादा मोटर नयी नयी मोटरें किस किस दल के पास थीं और रंगीन झंडे किस किस दल के पास थे और चुनाव के पहले किस किस दल ने अपने अपने मुख्य मंत्री की घोषणा कर दी थी । उत्तर प्रदेश की जनता.....(व्यवधान)

श्री राम सेवक यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री को चुनौती देता हूं कि वे निष्पक्ष जांच बैठायें और इस बात की जांच करें कि जितने भी दल चुनाव लड़े हैं, उनके क्या-क्या साधन थे ?

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)—

मानव इतिहास में सबसे बड़ा कांड, वाटर गेट से भी बड़ा कांड उत्तर प्रदेश के चुनाव में गड़बड़ घोटाला है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य आपको इजाजत नही देता । अभी यह प्रश्न उठाया गया था कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि जब मैं बोल रहा हूं तो दूसरी तरफ से व्यवधान क्यों हो रहा है ? जब नेता सदन बोल रहे हैं तो ऐसा व्यवधान नहीं होना चाहिये । अब आप उनको सुनें (व्यवधान)...ऐसा नहीं है । इस तरह से नहीं । दोनो तरफ जब माननीय नेता सदन या माननीय नेता विरोधी दल बोलें तो उनको गौर से सुनिये ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे एक बात जानना था कि क्या पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में अब आपका हुक्म यह है कि जो भाषण कर रहे हों तो बीच में कोई पूछ न सके ?

श्री अध्यक्ष—

रूलिंग का सवाल नहीं है । काम कैसे चलना है मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह सवाल स्वयं विरोधी पक्ष से आया । क्योंकि बोलना इधर भी और उधर भी है । शायद ज्यादा बोलना इधर (विरोधी पक्ष) से है, जवाब देना इधर (सरकारी पक्ष से) है । अगर आप ऐसा करेंगे तो वह नहीं बोल पायेंगे, फिर दूसरे भी व्यवधान करेंगे इसलिये जो जबाब दिया जा रहा है उसको गौर से सुनें । अगर कोई बात समझदारी की सूझबूझ की, कोई ऐसा वाक्य हो कि वह वक्ता को हतप्रभ कर दे ऐसा व्यवधान हो, तो चाहे मुख्य मंत्री ही बोलते हो करें तब समझ में आ सकता है । लेकिन बार बार टोकना यह ठीक नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह बार बार कहा गया कि सी0आर0पी0 का भी इस्तेमाल हुआ ।

श्री बांके लाल—

यह नेता सदन हैं । हम लोगों के भी नेता हैं । ऐसा अपने को न समझें कि केवल एक दल के नेता हैं । वह सदन के नेता हैं । जब सदन के नेता का भाषण हो रहा है तो जहां

[श्री बांके लाल]

जहां त्रुटियां आयेंगी वहां उसको स्पष्ट करें । जवाब नहीं देंगे तो हम उनका विरोध ही कर सकते हैं । मैं वाक आउट भी कर सकता हूं बजाय इसके कि मैं उनके गलत भाषण को सुनूं ।

एक सदस्य–

आपको भी हेलीकाप्टर मिल जायगा एक ।

श्री बांके लाल—

इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण होना चाहिये हम सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये और शासन के उनमाद में गलत बात नहीं करनी चाहिये । (व्यवधान) . .ये असत्य-भास्कर हैं, ये झूठ की निशानी हैं और ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं । मेरा यह चार्ज है । नहीं तो ये रसीद मांगें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, यह कहा गया कि सी० आर० पी० को पी० ए० सी० की जगह इस्तेमाल किया गया । सच तो यह है कि तीन रोज का इलेक्शन दो रोज में हुआ और जो पोलिंग स्टेशंस की संख्या थी वह ड्ढोड़ी कर दी गयी । फोर्स 1971 या 1969 के मुकाबले में अगर हिसाब बैठाया जाय तो वही रेश्यो आता है जो 1969 और 1971 के फोर्स का था । अगर पी० ए० सी० हमारी काफी होती और उससे हम काम चला सक ते तो हम बाहर की पुलिस नहीं बुलाते । अगर हम पी० ए० सी० से कराते तो यह चार्ज रहता कि अपनी पुलिस से मनिपुलेट कराया । सी० आर० पी० जो अलग-अलग सूबों से, अगल-अलग जगहों से रक्रूटेड फोर्स है और जिसके ऊपर इस सरकार का कोई कब्जा नहीं है, तब शिकायत यह है कि उसको क्यों इस्तेमाल किया गया। चुनाव को व्यवस्थित ढंग से कराने के लि जो आवश्यक था उसको कराने की इस सरकार की जिम्मेदारी थी और वह हमने किया । यह जरूर कि चुनाव के बाद जगह-जगह से आज हरिजनों और गरीबों की शिकायतें आ रहीं हैं कि उन पर जोर और जुल्म या जा रहा है कि क्यों उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया । तो मैं बड़ी नम्रता कहना चाहता हूं अपनी ओर से और सारे सदन की तरफ से, मैं समझता हूं कि सदन में सभी लोग इस मत के हैं कि अप प्रजातांत्रिक अधिकार इस्तेमाल करने पर अगर कोई वर्ग किसी वर्ग को सताता है तो वह वर्ग प्रजातंत्र का दुश्मन है इसलिये वह वर्ग इस सरकार का दुश्मन है और स देश के सारे भविष्य का दुश्मन है इसलिय वह वर्ग जो गरीबों को स तरह से सताता है उसको प्रजातंत्र से मुकाबला करना होगा उसको किसी एक आदमी से नहीं, किसी एक राजनीतिक दल से नहीं, कि ी एक सरकार से न ीं बल्कि सारे भविष्य के साथ ुकाबला करना होगा ।

एक सदस्य—

जो आप कह रहे हैं उसका ठीक उल्टा हो रहा है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

राज्यपाल के अभिभाषण में सभी बातों का जिक्र नहीं किया जा सकता । पर चौधरी साहब ने खर्चे की बात कही और कहा कि सरकारी कर्मचारियों को इतना कुछ दे दिया, बहुगुणा जब से आये तबसे न्होंने कितना कुछ कर दिया और घाटा बहुत बढ़ा दिया, अब निर्माण का खर्चा कहां से आयेगा । मैं उनकी फिक्र की कद्र करता हूं और मैं मानता हूं कि चौधरी साहब इस बात की सही फिक्र रखते हैं कि फाइनेन्सेज से क्या बनेगा । लेकिन मैं अदब से उनसे कहता हूं कि इतने सालों आपने यहां सरकार चलाई और हर साल आप मद्रास, बम्बई और दूसरे सूबों से पिछड़ते चले गये । मेरा मकसद कहने का यह है कि सन् 47 से 67 तक, जब मैं आपका छोटा-मोटा कार्यकर्त्ता था और आप जहां फैसले होते थे उस जगह पर बैठे थे, तो आपने उत्तर प्रदेश का क्या किया ? आगे बढ़े या पीछे रह गये ? फिर क्यों आप किसी को दोष दें ? लेकिन वह बात आप छोड़ दीजिये । सन् 67 में जब चौधरी साहब संविद के नेता बने उस वक्त क्या मिनिमम कार्यक्रम था । चौधरी साहब, मैं तो आपके वायदों, कांग्रेस के वायदों,

लोगों को जनता के दिये गये वायदों को पूरा करने की चेष्टा कर रहा हूं। वायदे करते वक्त आपको सोचना चाहिये था कि क्या वजन पड़ेगा ? जब हमने आपके वायदे पूरे किये तो आपको हमारी पीठ ठोंकनी चाहिये थी ऊपर से आप शिकायत करते हैं कि खजाना खाली कर दिया।

माधव बाबू की पार्टी को मैं क्या कहूं। उनकी पार्टी ने सारे देश में शोर किया कि इतना बड़ा प्लान कैसे बनेगा। लेकिन सुब्रहमण्यम स्वामी साहब ने कितनी बड़ी प्लान बनायी थी। और जब मैंने कहा कि यह तो किसी तरह से बैठती ही नहीं है तब उन्होंने कहना शुरू किया कि हम तो इतना सस्ता कर देंगे।

(व्यवधान)

हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे देश के विरोधी पक्ष वाले इस बात से बहुत गुस्से में हैं कि कांग्रेस शक्ति में है। मैं आपक गुस्से की कद्र करता हूं, लेकिन गुस्से में आपका मामला हल होने वाला नहीं है। आपको अपने विचारों को बदलना होगा, आगे आने वाले समाज के विचारों के साथ-साथ अपने को ढालना होगा। हमारे एक भाई बहुत बार-बार खड़े होते हैं, चौधरी साहब भी बड़े मजबूत आदमी है, उन्होंने कहा कि हमारे मैनीफैस्टो म समाजवाद का नाम नहीं आयेगा, वे राजी हो गये, न आये, हमें तो हलधर किसान ही चाहिए तो अपन अपन सिद्धांतों को छोड़ दिया गया और अपने-अपन रास्ते छोड़ कर हमको हराने की कुचेष्टा की गयी और हम पर यह गलत तोहमत लगाया जा रहा है जो न उचित है और न जरूरी है। जमाना बदल रहा है, नयी आशायें हमारे दरवाजे को खटखटा रही हैं, नयी सुबह आयेगी, उत्तर प्रदेश आग बढ़गा, उसकी उन्नति होगी, उसे कोई रोक नहीं पायेगा। वित्त के मसले को हम अपने ढंग से देखत आये हैं, उसमें भी हम आवश्यक परिवर्तन करग। मुझे शर्म आती ह मैं देखता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों से पीछे हैं। मैं इस शर्म को मिटाने आया हूं, आपका सहयोग चाहता हूं। आशा है कि इस शर्म को मिटाने में सब का सहयोग हमें मिलेगा।

श्री हरीश चन्द्र गंगवार (जिला बरेली)—

मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं··· (व्यवधान)

श्री यादवेंद्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बातों को फिर से कहने का अवसर प्रदान किया। जिन माननीय सदस्यों ने इस पक्ष से तथा उस पक्ष से अपने विचार व्यक्त किये उन सभी का आभार मानता हूं। जहां तक महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का प्रश्न था उस पर तो मूल रूप से विरोध पक्ष ने कोई चर्चा नहीं की, संशोधन में भी जो मूल नीतियां थीं उनकी चर्चा नहीं हुई, जिससें मुझे ऐसा लगा कि जहां तक हमारी मूल नीतियों का प्रश्न है उन्ह विरोध पक्ष ने स्वीकार कर ही लिया है। हां, चुनाव को लेकर जो वाक्युद्ध हुआ या परेड हुई जिसमें अच्छे भंजे मंजाये लोगों के हाथ देखे···।

एक सदस्य—

जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।

श्री यादवेंद्र सिंह—

मेरी मूरत आपको पसन्द आयी, इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं (हंसी) मैं उस परड का उप संहार करने के लिये खड़ा हुआ हूं। काफी समय सदन का लिया जा चुका है दोनों तरफ की भावनायें भी सदन में व्यक्त की जा चुकी है, न तो विरोधी पक्ष ही झूठे आरोप लगाने से च्युत होगा और हम भी सफाई देते ही रहेंगे। बहरहाल यह अध्याय समाप्त हुआ और विरोध क एक सदस्य जो हमारे पड़ोस से आते हैं, उनकी मरी मूर्ति पसन्द आ गई है। चौधरी

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

साहब जो बुजुर्ग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको अपना संशोधन वापस ले लेना चाहिये और सदन से इतना निवेदन करूंगा कि सदन मेरे प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर और महामहिम राज्यपाल को अपना धन्यवाद दे ताकि आगे की कार्यवाई चल सके ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"इस प्रदेश में संसदीय मान्यताओं द्वारा तथा संविधान के उपबन्धों की मंशा के प्रतिकूल, सदन को अपना मत प्रकट करने का अवसर न देते हुए, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार से जून, 1973 में त्याग-पत्र दिला कर, शासक दल की उच्च सत्ता में विधान सभा को निलम्बित कर दिया था और इस प्रदेश का शासन जन प्रतिनिधियों से नौकरशाही के हाथ में सौंपते हुए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। तत्पश्चात् सामान्य निर्वाचन से कुछ दिन पहले दल विशेष को निर्वाचन में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार का पुनःगठन किया गया जिसने सदन को अपने प्रति विश्वास व्यक्त करने का अवसर भी नहीं दिया । यही नहीं, इस प्रदेश के संसदीय इतिहास में यह भी एक बिडम्बना हुई कि विधान सभा के रहते हुए 1973 में राज्यपाल महोदय को एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित करने का अवसर ही नहीं दिया गया ।

अभी गत 5 मार्च को उस दल को, जिसने जनतंत्र की मान्य परम्पराओं को ताक पर रख कर अथवा नौकरशाही के साथ साठ-गांठ करके नियम विरुद्ध भ्रष्ट तरीकों को अपना कर तथा करोड़ों पयों का कुछ गरीब लोगों को लालच कर चुनाव म फर्जी बहुमत प्राप्त किया, पदारूढ़ कर दिया गया । इससे जनता के मन में संसदीय प्रणाली की आधार-शिला अर्थात् निष्पक्ष चुनावों के प्रति सन्देह उत्पन्न हो गया है तथा जनतंत्र में उसकी आस्था डगमगाई है । यह सरकार वास्तविक बहुमत की प्रतिनिधि नहीं है बल्कि शुद्ध तानाशाही का एक दूसरा रूप ह । अतएव जनता को किसी भी प्रकार अर्थात् हर प्रकार के तरीकों से इसको उखाड़ फेंकने का अधिकार होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिनांक 19 मार्च, 1974 को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के हाथ उठाकर विभाजित होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत:—

पक्ष में—209, विपक्ष में—159।)

सदन में पर्चे तथा चप्पलें फेंकने से सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में मार्शल की रिपोर्ट तथा सदन के अवमान का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से यह जानना चाहूंगा कि जो मामला आपके सामने है, अवमान का उसको आज लिया जाय ?

कुछ सदस्य—

कल लिया जाय ।

कुछ सदस्य—

आज लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

कल लिया जायगा । पुलिस कस्टडी में वह रहेगा । कल उस पर बिचार होगा अभी क्या फायदा है ?

एक सदस्य—

आज अभी लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

कल लिया जायगा । पुलिस कस्टडी में रहेंगे ।

कुछ सदस्य—

अभी लिया जाय ।

कुछ सदस्य—

कल लिया जाय । (शोर)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा में नामावली संख्या सूचना (रोल लिस्ट) के केन्द्रों पर न पहुंचने के संबन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अभी और कार्यक्रम है, मद 12 । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा में नामावली संख्या सूचना (रोल लिस्ट) का केन्द्रों पर न पहुंचने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश त्रिपाठी तथा श्री झामलाल अहिरवार द्वारा दी गई सूचना पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य ।

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री राम जी लाल सहायक)—

माननीय सदस्य श्री राम प्रकाश त्रिपाठी तथा श्री झाम लाल अहिरवार ने नियम 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना में यह उल्लेख किया था कि हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा के केन्द्रों पर विशेष रूप से फर्रुखाबाद जनपद के केन्द्रों पर, परीक्षार्थियों के नामावली संख्या–सूचक चक्र तथा परीक्षा की स्कीमें नहीं पहुंची है जिससे परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र नहीं मिल पा रहा है । इसके अतिरिक्त 21 मार्च, 1974 से प्रारम्भ होने वाले कला, रंजन कला, शार्टहैन्ड विषयों की परीक्षा पुस्तिकायें भी केन्द्रों पर नहीं पहुंची हैं । इस कथित अव्यवस्था से परीक्षार्थी, अभिभावक एवं अध्यापक उत्तेजित है और स्थिति बिस्फोटक हो गई है ।

इस विषय में जांच कराने पर यह ज्ञात हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यालय से विभिन्न कन्द्रों पर अनुक्रमांकों की सूची भेजने का कार्य फरवरी महीने से ही प्रारम्भ हो गया था और 15 मार्च, 1974 तक सभी कन्द्रों पर ये सूचियां रजिस्टर्ड डाक से भेज दी गई थीं । परीक्षा केन्द्रों के अतिरिक्त अनुक्रमांक सूचियां सभी पंजीकरण केन्द्रों पर भी

[प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री राम श्री लाल सहायक)]

पृथक से भेजी गई ताकि यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर किसी कारण से अनुक्रमांक सूची समय से न पहुंची हो तो परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र पंजीकरण केन्द्रों पर भेजी गई सूची से प्रदान कर दिया जाय।

इस वर्ष प्रदेश भर में इन परीक्षाओं के 2,005 परीक्षा केन्द्र हैं। प्राप्त सूचनानुसार 23 केन्द्रों पर जिनमें फर्रुखाबाद के भी पांच केन्द्र सम्मिलित हैं, 20 मार्च, 1974 तक अनुक्रमांक सूचियां नहीं पहुंच सकी थीं। इसकी सूचना मिलते ही सम्बन्धित केन्द्रों पर अनुक्रमांक सूची की द्वितीय प्रतियां विशेष वाहकों द्वारा भेजी गई।

जहां तक परीक्षा पुस्तकों आदि का प्रश्न है, केन्द्रों पर इनकी आपूर्ति राजकीय प्रेस द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने से काफी पूर्व कर दी जाती है। परन्तु यदि किसी केन्द्र पर उत्तर पुस्तिकायें अथवा अन्य सामग्री समय से न पहुंच सके तो सूचना मिलने पर इसका प्रबन्ध स्थानीय स्तर से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अन्य केन्द्रों से तत्काल करा दिया जाता है।

परीक्षायें 21 मार्च, 1974 से सारे प्रदेश में प्रारम्भ हो चुकी है और सामान्य स्थिति से चल रही है। प्रदेश के किसी भी केन्द्र से अनुक्रमांक सूची अथवा उत्तर पुस्तिकाओं आदि की कमी के कारण परीक्षा में किसी प्रकार के व्यवधान की कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से सम्बन्धित में एक सूचना और एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं और वह यह है कि 21 तारीख से बोर्ड की परीक्षायें आरम्भ हुई हैं। फर्रुखाबाद जनपद में 21 तारीख और 22 तारीख को 2–3 केन्द्रों पर कायमगंज और राय पुर केन्द्रों पर प्रवेश पत्र नहीं पहुंचे और छात्रों को कोड नम्बर लिखकर परीक्षा देनी पड़ी है। तीन दिन बोर्ड की कापियां डी0 आई0 ओ0 एस0 की कस्टडी में रहीं और तीन दिन बाद जब रोल नम्बर पहुंचे तो उन पर रोल नम्बर लिखे गये हैं। इससे बहुत बड़ी अव्यवस्था हुई है। क्या माननीय मंत्री जी उत्तरदायी कर्मचारियों को दंडित करने की कृपा करेंगे जिन्होंने ऐसी गलती की है जिससे संम्पूर्ण जनपद में हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई है।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मेरे पास ऐसी सूचना कोई नहीं है, लेकिन यदि माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा ताकि इसमें उचित व्यवस्था की जा सके।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जब इसमें रूलिंग आपकी हो चुकी है तो फिर लिखकर देने की क्या आवश्यकता है?

श्री अध्यक्ष—

तीन चार जगहों की जानकारी की बात कही है। लिखकर देने में क्या आपत्ति है?

श्री रामप्रकाश त्रिपाठी—

जब आपकी रूलिंग हो चुकी है और मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि 21–22 तारीख को रोल्स नहीं पहुंचे हैं तो मन्त्री जी जानकारी करा लें। वैसे मैं लिख कर दे दूंगा।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि मेरे जनपद में भी दो-एक केन्द्रों में रोल नम्बर नहीं मिल हैं और लड़कों को प्रवेश-पत्र नहीं मिले हैं? जिन लड़कों ने प्रवेश-पत्र

न मिलने की वजह से परीक्षायें नहीं हैं, क्या माननीय मन्त्री जी उनकी दुबारा परीक्षा की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

अगर आप इसको लिखकर देंगे तो मैं जांच कराकर परीक्षा का इन्तजाम करा सकूंगा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

सारे प्रदेश में ऐसे ही केन्द्र है जहां पर जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा रोल नम्बर और कापियां नहीं पहुंची हैं। तो क्या उसकी जांच करा कर माननीय मन्त्री जी एक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सारे प्रदेश की जांच का सवाल नहीं है। कुछ केन्द्रों का है। उनके लिए कह दिया है कि अगर आप लिख कर देंगे तो जांच करा लेंगे और उचित व्यवस्था करेंगे।

एक सदस्य—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहने की जुर्रत कर रहा हूं कि वह यह बतलायें कि मुरादाबाद में इतनी गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल दूसरा है।

एक सदस्य—

परीक्षायें चल रही हैं। पडरौना में 34 अध्यापकों पर 107 चलाई गयी है। इससे वहां बड़ा व्यवधान उत्पन्न हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न दूसरा है। अध्यापकों के बारे में जो व्यवहार है उसके बारे में अलग से प्रश्न पूछें।

एक सदस्य—

मैं कल बरेली से आया हूं। वहां हर थाने के अन्दर गिरफ्तारियां की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न हमारे सम्मुख है वह यह कि जो विद्यार्थी इम्तिहान देना चाहते हैं। उनको समय से प्रवेश-पत्र नहीं मिला तो क्या व्यवस्था होगी ? माननीय मन्त्री जी का बयान है कि सबको मिल गया है। अगर कोई सदस्य और सूचना देना चाहें तो मन्त्री जी उसको देख लेंगे।

सदन में पर्चे तथा चप्पलें फेकने से संबन्धित घटना के संबन्ध में मार्शल की रिपोर्ट तथा सदन के अवमान का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अब यह है कि जो लोग पकड़े गये हैं उनके बारे में क्या किया जाय। उसे आज लिया जाय या कल लिया जाय ?

एक सदस्य—

इस प्रश्न को आज ही ले लें। हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि हमारे उपनेता के हस्ताक्षर से प्रवेश-पत्र मिला। क्या ऐसा तो नहीं है कि डा० राजेंद्र कुमारी बाजपेयी ने उनको भेज दिया हो कि जाकर उपनेता बी० के० डी० से प्रवेश-पत्र ले लो।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

इसको कल लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस पर मुझे वोट लेना पड़ेगा।

एक सदस्य—

मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को आज ही ले लिया जाय क्यों कि यह विद्यार्थियों का मामला है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह मामला कल तक के लिए स्थगित किया जाय और इनको पुलिस कस्टडी में रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

अतएव यह मामला कल लिया जायेगा और उनको पुलिस कस्टडी में रखा जायगा। अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
26 मार्च, 1974।

पो० एस० यू० पो०—ए० पो० 21 वि० सभा—(434)—1974—835.